

बैंक बाज़ार
शिक्षा
संचार
कार्यालय
विज्ञान
सूचना
प्रौद्योगिकी



खंड

2

वाचन और विविध विषय

इकाई 8

सामाजिक विज्ञानों की भाषा (इतिहास के संदर्भ में) तथा 5
वर्तनी के कुछ नियम

इकाई 9

सामाजिक विज्ञानों की भाषा (राजनीति विज्ञान) तथा शब्द रचना 20

इकाई 10

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण 32

इकाई 11

विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द 48

इकाई 12

विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द और अर्थ 61

इकाई 13

वाणिज्य की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द 89

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

प्रो. वी.रा. जगन्नाथन अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं निदेशक मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली	प्रो. आर.एस. सर्वाजु प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद
प्रो. टी.वी. कट्टीमनी कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)	प्रो. आलोक गुप्ता प्रोफेसर एवं डीन हिंदी भाषा और साहित्य केंद्र, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर (गुजरात)
प्रो. ए. अरविन्दकाशन पूर्व प्रतिकुलपति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा (महाराष्ट्र)	संकाय सदस्य प्रो. सत्यकाम (निदेशक)
प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (उ.प्र.)	प्रो. शत्रुघ्न कुमार प्रो. स्मिता चतुर्वेदी (पाठ्यक्रम संयोजक) प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पाठ्यक्रम संयोजक

प्रो. स्मिता चतुर्वेदी
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

खंड संयोजन, संशोधन एवं संपादन

प्रो. स्मिता चतुर्वेदी
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

इकाई लेखक
डॉ. सीताराम शास्त्री
डॉ. भारत भूषण
डॉ. सुरेश कुमार
डॉ. महेन्द्र चतुर्वेदी
प्रो. दिलीप सिंह

संपादन सहयोग
डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय
परामर्शदाता, हिंदी
मानविकी विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

सचिवालयीय सहयोग
श्री नवल कुमार

सामग्री निर्माण

श्री. के. एन. मोहनन सहायक कुलसचिव (प्रकाशन) सा. नि. वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली	श्री. सी. एन. पाण्डेय अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन) सा. नि. वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली	श्री. बाबूलाल रेवाड़िया अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन) सा. नि. वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली
--	---	---

जुलाई, 2019

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2019

ISBN-978-93-89200-38-6

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

मानविकी विद्यापीठ एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय कार्यालय मैदान गढ़ी नई दिल्ली से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण प्रभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कंप्यूटर, C-206, A.F.Enclave-II, नई दिल्ली

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20-अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

खंड 2 का परिचय

हिंदी भाषा : विविध प्रयोग पाठ्यक्रम का यह दूसरा खंड है। इस खंड में भी हम आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप हिंदी भाषा के माध्यम से किस प्रकार विविध विषयों को पढ़कर समझ सकते हैं और स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस खंड में हमने विभिन्न इकाइयों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य से संबंधित पाठ दिए हैं।

ज्ञान—विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए इन विषयों की विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। पारिभाषिक शब्द बोलचाल की भाषा से भिन्न निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ज्ञान—विज्ञान के विषयों का वाचन करने की प्रक्रिया में बहुत से पारिभाषिक शब्द उन विषयों के संदर्भ में आपके सामने आएँगे। इनके बारे में हमने इकाइयों में आपको विस्तार से जानकारी दी है।

इकाई संख्या 8, 9 तथा 12 क्रमशः सामाजिक विज्ञान के इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा विधि एवं प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित हैं। इन इकाइयों में पारिभाषिक शब्दों की रचना अर्थात् प्रत्यय आदि की सहायता से निर्मित शब्दों की विशेषताओं की चर्चा की गई है। इसके साथ ही विधि एवं प्रशासन के क्षेत्र से उदाहरण देते हुए पारिभाषिक शब्दों के अर्थ पक्ष की व्याख्या भी की गई है। इकाई संख्या 13 में वाणिज्य से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग तथा इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट शब्दावली का विश्लेषण किया गया है। इकाई संख्या 10 में मानविकी के ललित कला क्षेत्र से संबंधित पाठ दिया गया है। इस इकाई में भी ललित कला क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इकाई संख्या 11 विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आज हम अपने सामान्य जीवन में सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हिंदी भाषा के नहीं होते किंतु वे शब्द अब रूढ़ बन चुके हैं। इनका विशिष्ट अर्थ भी होता है। इन शब्दों या संकल्पनाओं का विश्लेषण भी हमने इस इकाई में किया है। इस इकाई के अध्ययन से आप हिंदी में विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों के स्वरूप को समझ सकेंगे।

विविध विषयों की भाषा न केवल पारिभाषिक शब्दों के कारण विशिष्ट होती है बल्कि वाक्यों के प्रयोग, पदबंध की रचना आदि की दृष्टि से भी प्रत्येक विषय की भाषा का एक निश्चित स्वरूप या शैली बन जाती है। अतः भाषा की इस विशेषता को भलीभाँति समझने से विविध विषयों का वाचन—अध्ययन आसान हो जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इकाइयों में भाषा की विशिष्ट शैली पर भी विस्तार से चर्चा की है। अगर इस खंड में सीखे हुए बिंदुओं को ध्यान में रखें तो आप आसानी से विविध विषयों का वाचन कर सकेंगे और वाचन के अभ्यास से अभिव्यक्ति में पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

इकाई 8 सामाजिक विज्ञानों की भाषा (इतिहास के संदर्भ में) तथा वर्तनी के कुछ नियम

इकाई की रूपरेखा

- 8.0 उद्देश्य
- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 वर्तनी संबंधी कुछ नियम
 - 8.2.1 प्रत्ययों से शब्द—रचना
- 8.3 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषयक पाठ का वाचन
 - 8.3.1 सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण
 - 8.3.2 कांग्रेस की स्थापना
- 8.4 गांधी जी का आगमन
 - 8.4.1 क्रांतिकारी देशभक्त
 - 8.4.2 साइमन कमीशन
 - 8.4.3 चुनाव
 - 8.4.4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ
 - 8.4.5 भारत छोड़ो आंदोलन
 - 8.4.6 नेता जी की आज़ाद हिंद फौज
 - 8.4.7 स्वतंत्रता प्राप्ति
- 8.5 वर्तनी के दो रूप
 - 8.5.1 पाठ में प्रयुक्त कुछ शब्दों की वर्तनी की विशेषताएँ
- 8.6 शब्दावली
- 8.7 सारांश
- 8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 8.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इतिहास विषय से संबंधित यह इकाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालती है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको इतिहास विषयक लेखन से परिचित कराना है। इसमें प्रत्ययों द्वारा शब्द—रचना तथा वर्तनी के दो रूपों की भी चर्चा की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- प्रत्ययों द्वारा शब्द—रचना विशेषकर पारिभाषिक शब्दों की रचना को पहचान कर उनका सही प्रयोग कर सकेंगे;
- वर्तनी के दो रूपों से परिचित होंगे और वर्तनी का सही प्रयोग कर सकेंगे;
- इकाई में आए पारिभाषिक शब्दों का अर्थ कर सकेंगे; और
- सामाजिक विज्ञानों विशेषकर इतिहास के किसी प्रकरण को पढ़कर उसका स्तर समझ सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

सीबीसीएस के ‘हिंदी भाषा : विविध प्रयोग’ पाठ्यक्रम की यह आठवीं इकाई है। आपने पहले खंड में विभिन्न विषयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा के विविध स्वरूप की जानकारी प्राप्त की है। इस इकाई में आप देखेंगे कि इतिहास की घटनाओं का वर्णन करते समय भाषा का क्या रूप हो जाता है। इकाई के आरभिक खंड में हम वर्तनी के प्रयोग पर विचार कर रहे हैं और ‘इ’, ‘ई’, ‘ईय’, ‘इक’ और ‘इत’ प्रत्ययों का विवेचन करते हुए इनसे बनने वाले शब्दों का परिचय दे रहे हैं।

इकाई में वाचन हेतु दिए गए पाठ में अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन पारिभाषिक शब्दों को समझने और उनके उचित प्रयोग को जानने के लिए उपर्युक्त प्रत्ययों की जानकारी लाभदायक होगी।

आइए, पाठ के अध्ययन से पूर्व वर्तनी संबंधी कुछ नियमों पर विचार करते हैं। आपके लिए इन नियमों का अध्ययन पाठ को समझने में लाभकारी होगा।

8.2 वर्तनी संबंधी कुछ नियम

आगे इकाई में इतिहास विषय से संबंधी जिस पाठ का आप अध्ययन करेंगे वह विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इस इकाई में इतिहास संबंधी कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जैसे—आंदोलन, अधिवेशन, स्थापना, राष्ट्रीय, संगठित आदि। किसी विषय—विशेष से संबंधित शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों की और चर्चा हम इस खंड की अन्य इकाइयों में करेंगे। इन शब्दों के सही प्रयोग का एक प्रमुख पहलू शब्दों की वर्तनी है। इस इकाई में हम प्रमुख रूप से शब्दों की वर्तनी की चर्चा करेंगे और सही वर्तनी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया में प्रत्ययों के प्रयोग से बने शब्दों पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की इकाई संख्या ३८ में हम आपको कुछ प्रत्ययों की जानकारी दे चुके हैं। यहाँ हम कुछ और प्रत्ययों और उनसे बनने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे।

8.2.1 प्रत्ययों से शब्द—रचना

जैसा कि आप जानते हैं, भाषा के बहुत सारे शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे दया शब्द से निर्दय, दयावान, दयनीय, दयालु आदि शब्द बनते हैं। इसे प्रत्यय प्रयोग कहते हैं। अगर प्रत्यय का सही ज्ञान हो तो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में वर्तनी—दोष नहीं होता। दूसरे शब्दों में उस प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्दों की वर्तनी का ज्ञान हो जाता है। हम इस इकाई के तथा इकाई से भिन्न कुछ और शब्दों के उदाहरणों से इस बात को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

- i) प्रत्यय ‘ईय’ : इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में दीर्घ/ई/ को आप पहचान सकते हैं। स्थानीय, केंद्रीय, भारतीय, दयनीय, राष्ट्रीय, स्मरणीय, पूजनीय। इन शब्दों में ‘दया’ से ‘दयनीय’ बनता है, ‘पूजा’ से ‘पूजनीय’। बाकी ‘स्थान’, ‘भारत’ आदि शब्दों से बने हैं।
- ii) प्रत्यय ‘इक’ : इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कुछ उदाहरण और देखिए—न्यायिक, आर्थिक, तार्किक, मानसिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यापारिक। हम अन्य शब्दों की रचना की बात कर चुके हैं। आप यह ध्यान रखें कि ‘मन’ से ‘मानसिक’ बनता है।

सामाजिक विज्ञानों की
भाषा (इतिहास के संदर्भ
में) तथा वर्तनी के कुछ
नियम

- iii) प्रत्यय 'इत': यह प्रत्यय विभिन्न प्रकार के शब्दों में जुड़ता है। मूल शब्द का रूप तथा प्रत्यय वाला रूप दोनों को देखकर रचना को पहचानें।
- | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|
| विकास | — | विकसित | उपेक्षित, प्रदर्शित |
| स्थापना | — | स्थापित | कुपित, क्रोधित |
| उत्पादन | — | उत्पादित | संगठित, सम्मानित |
| घोषणा | — | घोषित | शोषित, पराजित |
| व्यवस्था | — | व्यवस्थित | अवस्थित, संशोधित |
- iv) प्रत्यय 'ई' : संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए इस प्रत्यय का उपयोग होता है, जैसे विजयी, पूर्वी, स्वार्थी, विरोधी आदि। कुछ अन्य शब्दों में जिनके अंत में 'आ' आता है उसमें रचना के उदाहरण देखिए।
- भाषा — भाषाई एशिया — एशियाई
'स्थायी' शब्द को 'स्थाई' नहीं लिखना चाहिए।
- v) प्रत्यय 'ई': आपने देखा होगा कि 'ई' प्रत्यय सिफ़ संस्कृत शब्दों में आता है। जब हम अंग्रेज़ी या उर्दू शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तो शब्द के अंत में कभी हृस्व 'ई' का प्रयोग नहीं होता। कुछ उदाहरण देखिए।
- अंग्रेजी शब्द : कमेटी, यूनिवर्सिटी, सोसायटी, अंग्रेज़ी, जनवरी, नर्सरी, सीनरी।
- उर्दू शब्द: बरबादी, परेशानी, बीमारी, आखिरी, देहाती, काफी, जरूरी।
- संस्कृत शब्द:
- | | | | | | |
|-------|---|--------|---------|---|----------|
| शांत | — | शांति | प्राप्त | — | प्राप्ति |
| उन्नत | — | उन्नति | जागृत | — | जागृति |
- 'ई' प्रत्यय वाले कुछ और शब्द देखिए और इनकी वर्तनी पर ध्यान दीजिए।
- पुष्टि, प्रगति, समष्टि, व्यक्ति, क्रांति, शक्ति, भवित्व, गति, प्रकृति।
- ### बोध प्रश्न
- निम्नलिखित शब्दों में 'ई' या 'ई' प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनाइए।

समाप्त	दक्षिण
क्रोध	अभिव्यक्त
उपलब्ध	समुद्र
विकृत	जापान
 - निम्नलिखित शब्दों में 'इत' या 'ईय' प्रत्यय उचित ढंग से लगाकर विशेषण शब्द बनाइए।

अपमान	नगरी
इच्छा	अंकुर
उच्चारण	विभाग

विभिन्न प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण की प्रक्रिया और उनसे संबंधित नियमों के अध्ययन के उपरांत अब हम इतिहास विषय से संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और शब्दों के स्वरूप को समझने का प्रयास करिए।

8.3 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषयक पाठ का वाचन

8.3.1 सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण

- 1) अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था, उसका परिणाम कुछ और ही निकला। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पश्चिम में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई थी, उसके कारण यूरोप के जन-जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे, उससे कुछ प्रबुद्ध भारतीय प्रभावित थे। इस प्रकार अपने देश एवं समाज की दयनीय अवस्था पर भारतीयों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ प्रबुद्ध शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को पहचाना। भारतीय संस्कृति और सभ्यता कितनी उच्चकोटि की थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतवासियों ने कितनी प्रगति की थी, इन सब बातों का विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि भारत की वर्तमान दुर्दशा के लिए विदेशी शासन ज़िम्मेदार है। इस दशा में सुधार के लिए प्रशासन में उनकी भागीदारी आवश्यक है। इन्हीं कारणों से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। फलस्वरूप भारतीय जनता के हितों का ब्रिटिश हितों से संघर्ष शुरू हुआ।
- 2) भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना के पनपने एवं फैलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि राजनीतिक दृष्टि से संपूर्ण भारत एक देश के रूप में सूत्रबद्ध हो रहा था। अंग्रेजी राज्य का अधिपत्य संपूर्ण भारत पर था। सड़क, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था के समुचित प्रसार से देश के विभिन्न हिस्से एक—दूसरे से जुड़ गए थे। अतः भारतीय जनता ने पाया कि उनका शोषण करने वाला सबसे बड़ा ब्रिटिश शासन है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए एकता के सूत्र में बँधना ज़रूरी है।
- 3) अंग्रेजों के आने से पूर्व भी इस देश में ईसाई धर्म प्रचारक आ चुके थे, किंतु जब अंग्रेज इस देश की राजनीति पर छा गए, तो ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्य में तेज़ी आ गई। 1857 के बाद उनकी गतिविधियाँ और तेज़ हो गईं। सीरामपुर एवं पटना में ईसाई मिशनरियों ने प्रेस के द्वारा धर्म प्रचार की छोटी-छोटी पुस्तकें एवं बाइबिल का हिंदी अनुवाद छाप कर लोगों में बाँटना शुरू किया। ईसाई धर्म के प्रभाव के बढ़ने की आशंका और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन ने समाज सुधार के आंदोलन की शुरूआत की। इन समाज सुधार आंदोलनों एवं आधुनिक मूल्यों से प्रेरित साहित्यिक रचनाओं के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में मदद मिली। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज द्वारा, रानाडे ने प्रार्थना समाज तथा सर सैयद अहमद ने मुस्लिम समाज में समाज सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। बंगाल के बंकिमचंद्र चटर्जी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर, असम के लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ, मराठी के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तमिल के सुब्रह्मण्यम भारती एवं हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उर्दू के अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाओं द्वारा राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना को बहुत बल मिला।
- 4) उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बड़ी संख्या में समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार हुआ। हिंदू पैट्रियट, अमृत बाज़ार पत्रिका, इडियन मिरर, बंगाली, मराठा केसरी, स्वदेशी मंत्र, आध्र प्रकाशिका, केरल पत्रिका, हिंदुस्तानी, ट्रिव्यून, कोहिनूर आदि पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास संपूर्ण देश में हुआ।

8.3.2 कांग्रेस की स्थापना

- 5) हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों की शोषण नीतियों के कारण विभिन्न माध्यमों से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी। जनता में राजनीतिक जागरूकता आने के महत्वपूर्ण कारणों की हमने चर्चा की। राजनीतिक सुधारों के लिए राजा राममोहन राय ने सफल अभियान चलाया था। और भारतीयों की राजनीतिक संस्थाएँ बन रही थीं। 1837 में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ज़मींदारों ने अपने वर्ग-हित के लिए लैंड होल्डरों की स्थापना की थी। 1843 में सामान्य सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये संस्थाएँ धनी वर्ग के लिए बनी थीं। अतः इनसे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने भारत की आर्थिक दरिद्रता के लिए ब्रिटिश शासन को दोषी बताया। जस्टिस रानाडे तथा अन्य लोगों ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसी प्रकार 1881 में मद्रास महाजन सभा एवं 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन संस्थाओं द्वारा सरकार के प्रशासनिक कार्यों की आलोचना की जाती थी। जिस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1843 में हुई थी, उसके कार्यों से बंगाल के युवाओं में असंतोष की भावना फैल रही थी, क्योंकि यह संस्था केवल अमीर वर्ग के हित के लिए कार्य कर रही थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के रूप में एक तेज़स्वी नेता युवाओं को मिला। इनके द्वारा 1875 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस संस्था के द्वारा भारतीय जनता को सूत्रबद्ध करके राजनीतिक आंदोलन आरंभ किया गया। किंतु इन प्रयासों के बावजूद एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ़ एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की जा सके।
- 6) राजनीतिक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की योजना बना रहे थे। एक सेवानिवृत्त सरकारी अंग्रेज अफसर ए. ओ. हयूम के माध्यम से इस योजना को एक व्यावहारिक रूप मिला। 1885 में 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई और दिसंबर में बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसमें प्रमुख भारतीय नेता इकट्ठे हुए। इसकी अध्यक्षता उमेशचंद्र बनर्जी ने की। हयूम ने इस संस्था को इसलिए सहयोग दिया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ भारतीय जन-असंतोष को रोका जा सके, लेकिन इस संस्था के द्वारा भारतीयों में जागृति तथा अपने अधिकार की लड़ाई के लिए एक मंच मिला। आरंभ में छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप से इसके माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सुधारों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। आधुनिक उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार से सहायता की माँग की गई। किसानों पर करों के बोझ को कम करने के लिए आंदोलन चलाया गया। इस प्रकार के सुधारात्मक आंदोलन को अंग्रेजी सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा। इस कारण राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन का दूसरा तरीका अपनाया। कांग्रेस ऐसी संस्था थी जिसका रूप समय एवं परिस्थिति के अनुकूल बदलता रहा। इस संस्था के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन होता रहा। देश के बड़े-बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने का श्रेय इसी संस्था को था। एक प्रकार से कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैय्यब, फिरोज़शाह मेहता, पी. आनंद, चार्ले, रमेशचंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले आदि के अलावा महादेव गोविन्द रानाडे, बालगंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय एवं सी. विनयराघवाचारियर इसके प्रमुख नेता थे।

- 7) कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में जागृति लाने के लिए समाचार-पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। तिलक के 'केसरी' एवं 'मराठा' पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। संध्या, जुगांतर, पंजाबी आदि पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता मिली।
- 8) अंग्रेज़ी सरकार भारत में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना से चिंतित थी। कांग्रेस के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। जनता संगठित हो रही थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई। शासन की सुविधा का बहाना बनाकर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। देश को खंडित करने की इस साजिश से सारा देश आंदोलित हो उठा। विभाजन के विरोध में जुलूस निकाले गए एवं सभाएँ आयोजित की गई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। चूंकि कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर रही थी। अतः अंग्रेज़ इसकी शक्ति को कमजोर करना चाह रहे थे। उन्हें इसके लिए अवसर भी मिला। मुस्लिम नेता जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे उनका एक हिस्सा धीरे-धीरे कांग्रेस विरोधी हो गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अंग्रेज़ों द्वारा उनमें यह भय उत्पन्न किया गया कि यदि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो बहुसंख्यक हिंदुओं के अधीन अल्पसंख्यक मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा कारण यह था कि आधुनिक शिक्षा एवं ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के द्वारा जिस प्रकार की जागृति हिंदुओं में आई, वैसी जागृति मुसलमानों में कम आई। अतः उन पर प्रगतिशील विचारधारा का उतना असर नहीं पड़ा। तीसरा कारण यह था कि स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए तिलक आदि नेताओं ने गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव आरंभ किए। इन प्रयत्नों में हिंदू रंगत देखकर मुसलमानों के कुछ हिस्सों में संदेह उत्पन्न हुआ कि कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया आंदोलन मात्र हिंदू आंदोलन है। परिणामस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना उच्च मुस्लिम वर्ग द्वारा हुई थी। सामान्य मुस्लिम जनता का शोषण तो उसी प्रकार हो रहा था जिस प्रकार हिंदू जनता का। अतः कुछ प्रगतिशील मुसलमान नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का लगातार समर्थन किया। ऐसे नेताओं में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अज़्मल खाँ, महज़रुल हक प्रमुख थे। इन मुस्लिम राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्नों के बावजूद पृथकतावादी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता रहा। 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन कर अपना हित साधना चाहा था, उसे पृथकतावादी शक्तियों ने समर्थन दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना से अंग्रेज़ों को अपनी इच्छा पूरी करने में सहायता मिली। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और पृथक चुनाव की माँग की। लीग का दावा था कि मुसलमानों का हित शेष राष्ट्र के हित से अलग है। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने में अंग्रेज़ों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति सफल हुई। किंतु कांग्रेस के माध्यम से नेतागण राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण समझौता लीग एवं कांग्रेस के बीच हुआ, जिसे 'लखनऊ समझौता' के नाम से जाना जाता है। इसमें लीग एवं कांग्रेस के बीच के मतभेद को दूर किया गया, किंतु सरकार से पृथक निर्वाचन के आधार पर सुधार की माँग भी रखी गई।

8.4 गांधी जी का आगमन

- 9) स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास में उन्होंने वहाँ की जनता के अधिकारों के लिए कार्य किया था। अपने आंदोलन द्वारा उन्होंने सरकार से जनता को अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की।

सामाजिक विज्ञानों की
भाषा (इतिहास के संदर्भ
में) तथा वर्तनी के कुछ
नियम

इस सफलता की चर्चा भारत तक भी पहुँची थी। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका जाकर उनसे मिले थे और भारत आने को कहा। 1915 में भारत वापस आने पर गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया। यात्राओं द्वारा उन्होंने भारत की विपन्नता को करीब से देखा। देश की दुर्दशा देखकर उन्होंने देश-सेवा का संकल्प लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में गांधी जी पहले नेता थे, जिन्होंने ग्रामीण जनता को भी इस आंदोलन से कुशलतापूर्वक जोड़ा था। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित 'सत्याग्रह' को उन्होंने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। वास्तविकता यह थी कि भारत की जनता अंग्रेजी शासन के शोषण से उत्पीड़ित थी; जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे। भारतीयों की इस दुर्दशा का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन था। इसके समाधान के लिए सरकार से सुधार का आग्रह किया गया। सरकार की दमनकारी नीतियों को परखने के बाद गांधी जी ने अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू किया तथा आगे चलकर पूर्ण स्वतंत्रता की माँग रखी।

- 10) गांधी जी ने यह भी देखा कि भारतीय लोगों के पिछड़ेपन का कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। अतः उन्होंने समाज सुधार के आंदोलन द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का अभियान चलाया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों सद्भावपूर्वक साथ रह रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व अपने लाभ के लिए इनमें फूट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। देश की एकता एवं आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को जरूरी समझा। अतः गांधी जी ने इन दोनों संप्रदायों की एकता को अपने कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान दिया।
- 11) गांधी जी ने अनुभव किया कि स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने पर ही अंग्रेजी शासन पर अधिक दबाव डाला जा सकता है। ग्रामीण जनता को अपने साथ लेकर स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने जन-आंदोलन में बदल दिया। बिहार के चंपारन जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर योरोपीय बागान मालिकों का अत्याचार बढ़ गया था। उनका निर्मम शोषण किया जा रहा था। अन्य कांग्रेसी नेता किसानों की इस समस्या पर विचार-विमर्श में ही लगे थे कि गांधी जी किसानों की सहायता के लिए चल पड़े। सविनय अवज्ञा का देश में उनका यह पहला प्रयोग था। पुलिस की धमकियाँ उन्हें इस कार्य में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाईं। अंत में सरकार ने समिति नियुक्त की तथा किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्य किया। इस प्रकार देश में सविनय अवज्ञा के प्रथम प्रयोग में ही उन्हें सफलता मिली। 1918 में अहमदाबाद में मिल मज़दूरों को समुचित न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। अनशन के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी बात मानी और मज़दूरी में वृद्धि के लिए राजी हुए। गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों के आंदोलन को समर्थन देकर उन्होंने जनता को जन आंदोलन के लिए संगठित किया। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन, जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर हुआ।

8.4.1 क्रांतिकारी देशभक्त

- 12) अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के फलस्वरूप भारतीय युवा वर्ग में भी असंतोष बढ़ता जा रहा था। उन्हें कांग्रेस की अहिंसावादी अनुनय-विनय की नीति में विश्वास नहीं था। इसलिए इन भारतीय नवजवानों के एक क्रांतिकारी संगठन का उदय हुआ। क्रांतिकारियों का मानना था कि अत्याचारी शासकों के दिल में हिंसा द्वारा भय पैदा कर दिया जाए तो वे देश छोड़ने के लिए विवश हो जाएँगे। गुप्त समितियाँ बनाकर वे अपना उद्देश्य

पूरा करना चाहते थे। महाराष्ट्र एवं बंगाल के युवाओं ने इस प्रकार की गतिविधियों में प्रमुखता से हिस्सा लिया। अनुशीलन समिति, जुगांतर, काल, संध्या मित्रमजेर, अभिनव भारत समाज आदि समितियों का गठन इसी उद्देश्य से हुआ था।

- 13) 1905 से 1918 के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों की जाँच के लिए रैलट कमेटी की नियुक्ति हुई थी। इस कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने कई कानून बनाए, जिनमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, नज़रबंदी, संदेह के आधार पर किसी के आने-जाने पर प्रतिबंध शामिल थे। न्यायाधीशों को बिना मुकदमे के फैसला देने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिन पर कोई सुनवाई भी संभव नहीं थी। 'रैलट एक्ट' को सरकार ने सैंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पास कर दिया। भारतीय जनता इस विश्वासघात को सहन नहीं कर सकी। देश में हड़तालों एवं जूलूसों की बाढ़ सी आ गई। पंजाब में नेताओं की गिरफ्तारी पर जनता का क्रोध उबल पड़ा। हिंसा फैल गयी। जनरल डायर ने आतंक फैलाने के लिए 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में सभा के लिए एकत्र जनता पर बिना पूर्व चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोगों की जानें गईं और अनगिनत घायल हुए। इस नरसंहार से सारा देश शोकमग्न हो गया। विश्व कवि और मानवतावादी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सर का सम्मान लौटा दिया। आंदोलन के द्वारा रैलट एक्ट को रद्द करने तथा जलियाँवाला बाग नरसंहार की क्षतिपूर्ति की माँग प्रारंभ हो गई।
- 14) शिक्षित राष्ट्रवादी मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। रैलट कमेटी के विरोध में देश की सारी जनता एकजुट होकर आंदोलन कर रही थी। हिंदू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या पारसी, सभी इस आंदोलन में एक मंच पर आए। धार्मिक विभेद को भुलाकर एक संगठित शक्ति के रूप में जनता ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। उनकी इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए भारत में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अज़मल खाँ ने मिलकर 'खिलाफ़त कमेटी' बनायी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। गांधी जी एवं तिलक ने इस आंदोलन को समर्थन देकर सिक्ख, हिंदू मुसलमान, पारसी सभी को एक मंच पर लाकर आंदोलन को मज़बूत किया। खिलाफ़त आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने सरकार के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इसमें सरकारी दफतरों में काम न करना, अदालतों, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना शामिल था। इस प्रकार आंदोलन का निर्णयक दौर प्रारंभ हुआ। सरकार ने रैलट एक्ट को रद्द करने एवं जलियाँवाला बाग हत्याकांड की क्षतिपूर्ति करने से इन्कार कर दिया था। इस निर्णय को देखते हुए 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया। सरकारी वकीलों ने वकालत छोड़ दी। हज़ारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की होली जलायी गई। लेकिन इस व्यापक आंदोलन को उस समय धक्का लगा जब उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में चौरी चौरा गाँव में किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई। क्रोध में आंदोलनकारियों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और वहाँ आग लगा दी। इस घटना में कई सिपाही मारे गए। गांधी जी को इस घटना के बाद विश्वास हो गया कि जनता के अंदर अहिंसक आंदोलन द्वारा सरकार के प्रति प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बन पाई है। अतः सरकार हिंसक आंदोलन को आसानी से कुचल सकती है। इसी कारण गुजरात के बारदोली नामक स्थान में कांग्रेस की बैठक हुई और एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी ने लोगों से आंदोलन बंद कर रचनात्मक कार्य करने के लिए आग्रह किया। नेताओं को गांधी जी के इस निर्णय से धक्का लगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेज़ों

सामाजिक विज्ञानों की
भाषा (इतिहास के संदर्भ
में) तथा वर्तनी के कुछ
नियम

- 15) आंदोलन की गति धीमी पड़ने के साथ—साथ बीच—बीच में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। लेकिन गांधी जी हिंदू—मुसलमान एकता के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इस कार्य के लिए उन्होंने अनशन का भी सहारा लिया।

8.4.2 साइमन कमीशन

- 16) सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसे 'साइमन कमीशन' के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के द्वारा सरकार यह पता लगाना चाहती थी कि देश में संसदीय जनतंत्र के लिए वातावरण बन गया है या नहीं। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि सात सदस्यों के इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसी कारण भारत पहुँचने पर यह कमीशन जाँच पड़ताल के लिए जहाँ—जहाँ गया, वहाँ—वहाँ इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। पंजाब में लाला लाजपत राय एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारी जुलूस निकाला गया। 'साइमन वापस जाओ' के नारों से आकाश गूँज उठा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठी प्रहार किया, लाला लाजपत राय लाठी प्रहार से घायल हुए। इसमें लगी गंभीर चोट के कारण ही उनकी मृत्यु भी हुई। परिणामतः क्रांतिकारियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। सरकार ने कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को सख्ती से दबाना चाहा; किंतु आंदोलन की इस बाढ़ को सरकार रोक नहीं पाई। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन से आंदोलन ने व्यापक और तीव्रतर रूप धारण कर लिया। इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 'पूर्ण स्वराज्य' का नारा दिया। 26 जनवरी, 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया।
- 17) नमक पर सरकार ने कर लगा रखा था। नमक जीवन की आवश्यक वस्तुओं में से एक है। गरीब, अमीर सब समान रूप से इसका उपयोग करते हैं। जीवन की इस आवश्यक वस्तु पर कर लगाना अन्यायपूर्ण था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून को समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया। सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। तब गांधी जी ने 'नमक कानून' तोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गुजरात राज्य में अहमदाबाद से दांड़ी तक की यात्रा की और जगह—जगह नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। इस अभियान के द्वारा गांधी जी ने यह दिखा दिया कि सरकार द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानून के अंकुश में भारतीय जनता नहीं रहना चाहती। सारे देश में इसी प्रकार के आयोजनों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया गया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी से देश का वातावरण फिर से अशांत हो उठा।
- 18) इन्हीं दिनों लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे पहला गोलमेज़ सम्मेलन कहा गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वह चाहती थी कि सम्मेलन से पूर्व गांधी जी तथा अन्य नेताओं को जेल से छोड़ दिया जाए। सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वायसराय द्वारा मनोनीत सदस्यों के साथ ही सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी एवं कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के बिना यह सम्मेलन असफल रहा।
- 19) सरकार ने 'दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन' के लिए कांग्रेस को राजी करने का प्रयास किया। इस प्रयास के परिणामस्वरूप लार्ड इरविन एवं गांधी जी के बीच बातचीत हुई।

बातचीत में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं एवं क्रांतिकारियों को फॉसी की जगह आजीवन कारावास की बात को अलग रखा गया। अंत में एक समझौता हुआ, जिसके तहत सिर्फ़ अहिंसक बंदियों को रिहा करने की बात थी। इसे गांधी—इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के एक वर्ग ने इस समझौते का विरोध किया। क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फॉसी दे दी गई। सरकार के इस कार्य से जनता में तीव्र आक्रोश पैदा हुआ।

- 20) सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध के कारण आंदोलन पर प्रभाव पड़ रहा था। मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा अपने—अपने संप्रदाय के हित की बात कह कर हिंदू—मुस्लिम एकता में बाधा पहुँचा रहे थे। जिन्ना आदि नेतागण कांग्रेस छोड़कर पृथक् क्षेत्र की माँग करने लगे थे। किंतु गांधी जी एवं प्रगतिशील मुसलमान नेताओं ने सदा एकता पर बल दिया।
- 21) दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में अंग्रेज़ों की चाल द्वारा पृथकतावादी वर्ग को लाभ पहुँचा। सम्मेलन में गांधी जी, मदन मोहन मालवीय एवं सरोजनी नायडू प्रतिनिधि के रूप में थे। गांधी जी द्वारा डॉ. अंसारी का प्रस्तावित नाम काट दिया गया था। इस कारण सरकार को यह कहने का मौका मिला कि कांग्रेस सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सम्मेलन में गांधी जी के तर्कपूर्ण उत्तर के बावजूद सरकार ने कांग्रेस के औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग को दुकरा दिया। निराश होकर गांधी जी भारत लौटे और नए सिरे से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।

8.4.3 चुनाव

- 22) 1932 में तीसरा गोलमेज़ सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में विचार—विमर्श के बाद 1935 में ‘गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट’ पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रांतों के लिए सरकार की नई प्रणाली बनाई गई, जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही रहे। जनता द्वारा चुने गए केवल थोड़े से सदस्यों को प्रशासन में शामिल कर सरकार दिखाना चाहती थी कि वह भारतीयों का हित चाहती है। कांग्रेस ने इस एक्ट की आलोचना की। एक्ट का प्रांतीय हिस्सा लागू किया गया। एक्ट का घोर विरोध होने पर भी कांग्रेस ने उसके तहत होने वाले चुनाव में भाग लिया। चुनाव में असाधारण सफलता प्राप्त कर कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 में अपनी सरकार बनाई। दो राज्यों में साझा सरकारों का गठन किया गया।

8.4.4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ

- 23) कांग्रेस ने आरंभ से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया। एशिया एवं अफ्रीका में ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल किया जाता था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इटली, जर्मनी और जापान में साम्राज्यवाद तथा नस्लवाद के तहत उठ रहे फासीवाद का कांग्रेस ने विरोध किया। इन्हीं दिनों विश्व के मानचित्र पर ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिन्होंने सारे विश्व को प्रभावित किया। पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक मंदी तथा समाजवादी राष्ट्र रूस में चौगुनी प्रगति महत्वपूर्ण घटना थी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव भारत पर पड़ा। कांग्रेस के भीतर एवं बाहर आंदोलनकारी नेताओं में समाजवादी विचारधारा अंकुरित हो रही थी। समाजवादी विचारधारा का अर्थ है राजनीतिक एवं सामाजिक ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन। इसके तहत अमीरी एवं गरीबी के भेद को मिटाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार की व्यवस्था होती है। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण वामपंथी पार्टी तथा ‘कांग्रेस समाजवादी पार्टी’ का जन्म

- हुआ। 'भारतीय किसान सभा' तथा 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना भी इन्हीं परिस्थितियों में हुई।
- 24) हिटलर के फासीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। अपनी विस्तार की नीति के कारण उसने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बिना विचार-विमर्श किए अंग्रेजी सरकार ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया। कांग्रेस ने सरकार से प्रश्न किया कि एक परतंत्र देश किस प्रकार युद्ध में सहायता कर सकता है। अतः भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जानी चाहिए। सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। विश्व युद्ध की लपटें भारत की ओर बढ़ने लगीं। अतः ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों का सहयोग ज़रूरी हो गया। इस उद्देश्य के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में एक मिशन भेजा। यह मिशन असफल रहा, क्योंकि सरकार ने कांग्रेस की तुरंत सत्ता हस्तांतरण की बात अस्वीकार कर दी।
- 25) पृथक निर्वाचन के आधार पर चुनाव के कारण पृथकतावादी भावनाएँ जन्म ले चुकी थीं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट रखी थी लेकिन चुनाव में आरक्षित 482 सीटों में से केवल 26 सीटें ही वह प्राप्त कर पाई। मुस्लिम लीग भी अधिक सीट नहीं जीत पाई थी। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया और यह प्रचार किया गया कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से खतरा है, अतः मुसलमानों का हित अलग होने में है। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की माँग रखी। राष्ट्रीय आंदोलन को इन घटनाओं से धक्का तो अवश्य लगा, लेकिन आंदोलन जारी रहा।

8.4.5 भारत छोड़ो आंदोलन

- 26) क्रिप्स मिशन के असफल होने पर कांग्रेस ने महसूस किया कि आंदोलन को ऐसा रूप दिया जाए जिससे बाध्य होकर अंग्रेजी सरकार भारतीयों की स्वतंत्रता की माँग मान ले। 8 अगस्त, 1942 को बंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति होना राष्ट्र के लिए आवश्यक है। भारत साम्राज्यवाद की मूल भूमि बन गया है अतः स्वतंत्रता की दृष्टि से ब्रिटेन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को परखा जाएगा। एशिया अफ्रीका की जनता इस स्वतंत्रता से आशा से भर जाएगी। स्वतंत्र भारत अपने विशाल संसाधनों द्वारा नाज़ीवाद, फासिज़म और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ संघर्ष में सहायता देगा।

8.4.6 नेता जी की आज़ाद हिंद फौज

- 27) आंदोलन की शुरुआत से पहले ही 9 अगस्त, 1942 को गांधी जी सहित सारे नेता बंदी बना लिए गए। कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। जनता ने आंदोलन को जारी रखा। सरकार ने जन आंदोलन को दबाने के लिए अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। स्वतंत्रता आंदोलन को नये तरीके से सफल बनाने के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अभियान शुरू किया। उनका मानना था कि देश को सैनिक शक्ति के बल पर स्वतंत्र किया जा सकता है। अपने उद्देश्य के लिए 1941 में वे देश से गुप्त रूप से निकल भागे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सैनिक अभियान की योजना बनाई। रूस होते हुए वे जर्मनी पहुँच गए। फिर 1943 में जापान पहुँच गए। उन्होंने सैनिक अभियान के लिए 'आज़ाद हिंद फौज' की स्थापना की। उनके द्वारा चला गया सैनिक

अभियान कुछ सफल भी रहा। भारत के पूर्वी हिस्से के कुछ भाग पर आज़ाद हिंद फौज ने अधिकार भी जमा लिया। नेता जी की विमान दुर्घटना में रहस्यमय मृत्यु के कारण यह अभियान सफल न हो सका।

8.4.7 स्वतंत्रता प्राप्ति

28) यद्यपि विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय हुई थी, तथापि युद्ध के दौरान ब्रिटेन की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति को बहुत अधिक क्षति पहुँची थी। समाजवादी देशों के समर्थन से सारे विश्व में औपनिवेशिकता के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई। ब्रिटेन की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। कंज़रवेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार के बहुत से सदस्यों ने कांग्रेस की स्वराज्य की माँग का समर्थन किया। इसी समय भारत में पृथकतावादी शक्तियों ने धर्म के आधार पर अलग क्षेत्र की माँग प्रारंभ कर दी। दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अफसरों पर अंग्रेज़ी सरकार ने देशद्रोह का अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया। इसके विरोध में भारतीय जनता ने जन आंदोलन चलाया। 1946 में बंबई में भारतीय नौसेना के कर्मचारियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश फौज के साथ कई घंटे तक युद्ध हुआ। भारतीय नेताओं के हस्तक्षेप पर यह संघर्ष समाप्त हुआ। भारतीय जनता अब और अधिक दिनों तक अंग्रेज़ों के अत्याचार को नहीं सहना चाहती थी। सारे देश में हड़तालों एवं जुलूसों का ताँता लग गया। इन सब घटनाओं को देखते हुए 1946 में सरकार ने सत्ता हस्तांतरण पर विचार के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। विभिन्न दलों के साथ लंबी बातचीत के बाद मिशन ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की, उसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कलीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारतीयों के हाथ सत्ता सौंपने की घोषणा की। लेकिन इस बीच सांप्रदायिक शक्तियों के कारण व्यापक हिंसा की घटनाएँ हुई। गांधी जी के अथक प्रयास के बावजूद हिंसा की वारदातें रुक नहीं पाई। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच विचार-विमर्श का लंबा दौर चला और अंत में देश के बँटवारे की बात मान ली गई। इस तरह लंबे संघर्ष का अंत 15 अगस्त, 1947 को हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन की यह लंबी कहानी समाप्त हुई।

8.5 वर्तनी के दो रूप

आपने देखा होगा कि इस पाठ्य सामग्री में भी हमारी कोशिशों के बावजूद कुछ शब्द दो वर्तनी रूपों में आ गए हैं। हिंदी में गए—गये, गई—गयी दोनों रूप चलते हैं। इसी तरह कुछ अन्य शब्दों में भी यह स्थिति है—

इसलिए — इसलिये नये—नए

हम मान सकते हैं कि फिलहाल दोनों रूप सही हैं।

हिंदी में उर्दू तथा अंग्रेज़ी से आए हुए कुछ शब्दों में भी यह स्थिति दिखाई पड़ती है। इनमें भी हम दोनों वर्तनी रूपों को सही मान सकते हैं। उदाहरण के लिए

बर्बादी	—	बरबादी	बिल्कुल	—	बिलकुल
सरकास	—	सर्कास	नुकसान	—	नुकसान
भर्ती	—	भरती	गर्मी	—	गरमी

सामाजिक विज्ञानों की
भाषा (इतिहास के संदर्भ
में) तथा वर्तनी के कुछ
नियम

संस्कृत से आए हुए कुछ शब्दों में भी हम वर्तनी के दो रूप देखते हैं। दोनों सही माने जाएँगे:	
महत्व — महत्त्व	कर्तव्य — कर्त्तव्य
अर्ध — अर्द्ध	पूर्ति — पूर्ति

बोध प्रश्न

- 3) निम्नलिखित शब्दों में से सही और गलत शब्दों को पहचानें।

असंगती	स्थापित	सरदी
गिरफ्तारि	स्थानिय	उन्नति
रथाई	पार्टी	पूर्ती
अनीती	कारीगरी	राजनीति
बर्फ	धार्मिक	विरोधि

8.5.1 पाठ में प्रयुक्त कुछ शब्दों की वर्तनी की विशेषताएँ

- i) प्रत्यय, पूर्ण, स्वरूप, हीन, शील, शाली आदि मूल शब्द के साथ मिलकर आते हैं। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण, परिणामस्वरूप, शक्तिहीन, प्रगतिशील, शक्तिशाली।
- ii) संस्कृत के हलंत वाले कुछ शब्द हिंदी में दोनों तरह से लिखे जाते हैं।

उदाहरण के लिए :

पृथक — पृथक्

अन्य कुछ शब्द हैं :

पश्चात—पश्चात् संसद—संसद्

आत्मसात—आत्मसात् वृहद—वृहद्

परिषद—परिषद्

- iii) दो शब्दों में अंतर देखिए।

शुरू—शुरुआत

- iv) कुछ अंग्रेजी शब्द उच्चारण की विशेषता के कारण 'ए' से लिखे जाते हैं, किंतु उनका उच्चारण 'ऐ' जैसा होता है : एक्ट, एसोसिएशन। इसी तरह एडवोकेट, एटलस, एटम।

- iv) संस्कृत शब्द 'उपरि' से दो शब्द बनते हैं :

उपरिलिखित — ऊपर लिखा गया

उपर्युक्त (उपरि+उक्त) — ऊपर बताया गया।

कई लोग अक्सर 'उपरोक्त' लिखते हैं जो गलत है।

बोध प्रश्न

- 4) निम्नलिखित शब्दों का संधि—विच्छेद कीजिए जिससे मूल शब्द और प्रत्यय दिखाई पड़ें।

विश्वसनीय पश्चिमी

स्थायित्व समाजवादी

एशियाई गतिशील

वाचन और विविध विषय	शुरूआत	संतुष्टि
	फलस्वरूप	आयोजित
	समर्थित	अशांति
	पीड़ित	संबंधित

8.6 शब्दावली

नोट : बाईं ओर लिखे अंक पैरा के अंक से संबद्ध हैं।

- 8) बहिष्कार : सब प्रकार का संबंध छोड़ देना। गांधी जी ने जनता से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया।
- 8) रंगत : स्पर्श, छाप। गणेश उत्सव आदि में हिंदू रंगत देखकर मुसलमानों में संदेह उत्पन्न हुआ।
- 9) सत्याग्रह : सत्य के लिए आग्रह। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने प्रारंभ से अंत तक सत्याग्रह को मुख्य आधार बनाया।
- 11) अवज्ञा : आज्ञा न मानना। चंपारन में गांधी जी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा द्वारा आंदोलन की शुरूआत की।
13. नज़रबंदी : किसी को ऐसी निगरानी में रखना जिससे कि वह निश्चित स्थान या सीमा के बाहर न जा सके।
11. अनशन : भोजन न करना, खाना छोड़ देना। हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अनशन का भी सहारा लिया।
23. समाजवादी विचारधारा : ऐसी विचारधारा जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक। रूस में पनपी समाजवादी विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव डाला।

8.7 सारांश

इस इकाई में आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषयक पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ के अध्ययन के पूर्व आपने प्रत्यक्ष और उनके प्रयोग से बनने वाले विविध शब्दों के बारे में पढ़ा। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- प्रत्ययों द्वारा शब्द-रचना विशेषकर पारिभाषिक शब्दों की रचना को पहचान कर उनका सही प्रयोग कर सकते हैं;
- प्रत्ययों द्वारा शब्द-रचना के ज्ञान से सही वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं;
- मूल शब्दों के साथ विभिन्न प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं;
- मूल शब्द के साथ जुड़कर आने वाले विभिन्न प्रत्ययों को पहचान कर, अन्य शब्द बना सकते हैं; और
- वर्तनी के दो रूपों, जैसे नए-नये, बिल्कुल-बिलकुल, महत्व-महत्त्व, अर्ध-अर्द्ध आदि को पहचान कर अपने लेखन में एकरूपता रख सकते हैं।

8.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कामता प्रसाद गुरु; हिंदी व्याकरण, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली—110003

बिपिन चंद्र : आधुनिक भारत, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली— 110016.

8.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1.	समाप्ति	दक्षिणी	2.	अपमानित	नगरीय
	क्रोधी	अभिव्यक्ति		इच्छित	अंकुरित
	उपलब्धि	समुद्री		प्रांतीय	संग्रहणीय
	विकृति	जापानी		उच्चरित	विभागीय
3.	गलत	गलत	गलत		
	गलत	गलत	सही		
	गलत	सही	गलत		
	गलत	सही	गलत		
	सही	गलत	गलत		
4.	विश्वास+ईय	पश्चिम+ई			
	स्थायी+त्व	समाजवाद+ई			
	एशिया+ई	गति+शील			
	शुरू+आत	संतुष्ट+इ			
	फल+स्वरूप	आयोजन+इत			
	समर्थ+इत	अशांत+इ			
	पीड़ा+इत	संबंध+इत			

इकाई 9 सामाजिक विज्ञानों की भाषा (राजनीति विज्ञान) तथा शब्द रचना

इकाई की रूपरेखा

- 9.0 उद्देश्य
- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 व्याकरणिक विवेचन : शब्द रचना
 - 9.2.1 'वि' उपसर्ग
 - 9.2.2 विलोम शब्द
 - 9.2.3 संधि
 - 9.2.4 समास
- 9.3 भारतीय लोकतंत्र विषयक पाठ का वाचन
 - 9.3.1 राजनीतिक समानता
 - 9.3.2 आर्थिक समानता
 - 9.3.3 धर्मनिरपेक्षता
- 9.4 पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग
 - 9.4.1 विषय का सरल विवेचन
- 9.5 सारांश
- 9.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

राजनीति विज्ञान विषयक पाठ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी में इस विषय के लेखन से आपको परिचित कराना है। इससे आप राजनीति विज्ञान विषयक लेखन में भाषा की प्रकृति की पहचान कर सकेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- उपसर्ग, विलोम, संधि, समास के अर्थ और नियमों को समझेंगे और उनका सही प्रयोग कर सकेंगे;
- पारिभाषिक शब्दों को पहचान सकेंगे और राजनीति विज्ञान में पारिभाषिक शब्द का महत्व समझ सकेंगे;
- यह सीखेंगे कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों को सरल भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है;
- स्वयं विषय का विवेचन कर सकेंगे, जिससे आप समान प्रसंगों में सही ढंग से अपने को अभिव्यक्त कर सकें; और
- सामाजिक विज्ञानों, विशेषकर राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी अंश को पढ़कर उसका तात्पर्य ग्रहण कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

हिंदी भाषा : विविध प्रयोग, पाठ्यक्रम की यह नौवीं इकाई है। आठवीं इकाई में आपने वर्तनी संबंधी कुछ नियमों का अध्ययन किया। इस इकाई में हम आपको 'शब्द रचना' का परिचय देंगे। 'शब्द रचना' का परिचय देने के क्रम में हम आपको 'उपसर्ग', 'विलोम', 'संधि' तथा 'समास' संबंधी नियमों के बारे में बताएँगे।

ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित इस इकाई में दिए जाने वाले पाठ में भी आपको कई पारिभाषिक शब्द मिलेंगे, जिनकी व्याख्या सरल शब्दों में स्वयं लेखक ने पाठ में ही कर दी है। इस इकाई में वाचन हेतु दिया जाने वाला पाठ इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसे लेखक ने अत्यंत सरल भाषा में विवेचित किया है। इकाई में दिए जाने वाले पाठ का अध्ययन करने के उपरांत आप स्वयं राजनीति विज्ञान विषय में हिंदी भाषा के प्रयोग की विशिष्टता को समझ सकेंगे।

आइए, पाठ के अध्ययन से पूर्व 'शब्द रचना' संबंधी व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करते हैं। इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए इनकी जानकारी होने पर आपको पाठ को समझने में आसानी होगी।

9.2 व्याकरणिक विवेचन : शब्द रचना

9.2.1 'वि' उपसर्ग

इस इकाई के अंतर्गत दिए गए पाठ में आपको 'विभिन्न', 'विशेष', 'विचित्र' जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग मिलेगा। उन शब्दों में 'वि' उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्दों के पूर्व 'उपसर्ग' 'लगाने से नए शब्द बनते हैं। 'वि' उपसर्ग के प्रयोग और उससे बनने वाले कुछ नए शब्दों के स्वरूप को देखिए—

'वि' उपसर्ग –

वि + भिन्न = विभिन्न

वि + शेष = विशेष

वि + चित्र = विचित्र

उपसर्ग लगाने से मूल शब्द के अर्थ में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं :

- i) शब्द में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे, विचित्र
- ii) शब्द का विपरीत अर्थ दे सकता है। जैसे, विदेश, विजातीय
- iii) शब्द के मूल अर्थ को सीमित अर्थ-क्षेत्र दे सकता है। जैसे, विज्ञान
- iv) शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे, विनाश

बोध प्रश्न

- 1) नीचे दिए गए शब्दों में 'वि' उपसर्ग लगाकर अर्थ की भिन्नता बताइए।

i) वाद

ii) धर्म

iii) पक्ष

iv) हार

- v) शिष्ट
- vi) मुख
- vii) कल
- viii) शम
- ix) जन

9.2.2 विलोम शब्द

इस इकाई में वाचन हेतु दिए गए पाठ में आपको कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी हैं। जैसे, समानता और असमानता, अमीर और गरीब, धनवान और निर्धन, निम्न और उच्च। इन्हें विलोम शब्द कहते हैं क्योंकि ये शब्द विपरीत अर्थ देते हैं।

विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है—

जैसे, 'अ' उपसर्ग लगाकर :

समान — असमान

संभव — असंभव

सचेत — अचेत

स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले 'अ' के स्थान पर 'अन्' उपसर्ग लगता है। जैसे,

एक — अनेक

अर्थ— अनर्थ

आदर— अनादर

'वि' उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे,

सम — विषम

संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 'वि', 'नि' आदि के बाद के व्यंजन 'स', 'ष' में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी नियम के ओर दो शब्द दिए जा रहे हैं, जिनमें वर्तनी के स्तर पर 'ष' का प्रयोग देखिए—

विषाद, निषिद्ध

नीचे कुछ विलोम शब्द और उनकी रचना बताई गई है।

स्वतंत्र (स्व + तंत्र) — परतंत्र (पर + तंत्र)

सापेक्ष (स + अपेक्ष) — निरपेक्ष (नि: + अपेक्ष)

स्वाधीन (स्व +अधीन) — पराधीन (पर +अधीन)

धनी (धन + ई) — निर्धन (नि: +धन)

बली (बल + ई) — निर्बल (नि: +बल)

बोध प्रश्न

2) नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए और उनकी रचना स्पष्ट कीजिए

i) उपलब्ध viii) सहमत

ii) अधिकार ix) नीति

iii) उपयोग	x) व्यवस्था
iv) पक्ष	xi) आवश्यक
v) आय	xii) अच्छाई
vi) भाव	xiii) प्रवृत्ति
vii) पूर्ण	xiv) निकृष्ट

सामाजिक विज्ञानों की भाषा (राजनीति विज्ञान) तथा शब्द रचना

9.2.3 संधि

इस इकाई में दिए जा रहे पाठ के पहले पैरा में 'सर्वोत्तम' शब्द का प्रयोग मिलेगा। 'सर्वोत्तम' शब्द दो शब्दों (सर्व+ उत्तम) से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों के मिलने से शब्दों की रचना में अंतर आ जाता है। अर्थात् शब्द के पहले खंड का (अंतिम अक्षर) दूसरे खंड के पहले अक्षर से मिल गया है और दोनों के मेल से एक भिन्न अक्षर बन गया है। अक्षर के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। आगे तीन प्रकार की संधियों के उदाहरण देखिए :

संधि के प्रकार

सूर्य + उदय = सूर्योदय अ + ऊ → ओ

इन उदाहरणों में 'अ+अ' मिलकर 'आ', 'अ+इ' मिलकर 'ए' और 'अ+उ' मिलकर 'ओ' हुआ है। ये सब अक्षर स्वर हैं। इसलिए इनके मेल को स्वर संधि कहते हैं।

- 2) वाक् + ईश = वागीश क् + ई → गी

जगत् + नाथ = जगन्नाथ त + ना → ना

इन उदाहरणों में अंत्य व्यंजनों के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले हैं और उनके स्थपर भिन्न अक्षर हो गए हैं। इसे व्यंजन संधि कहते हैं।

- 3) निः + अपेक्ष = निरपेक्ष विसर्ग + अ → र

नि : + आशा = निराशा विसर्ग + आ → रा

द : + भाव = दभाव विसर्ग + भ → र्भ

ऊपर के उदाहरणों में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले हैं ।

भिन्न अक्षर आया है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को **विसर्ग संधि** कहते हैं।

बाध प्रश्न

- 3) नमालिखित शब्द का साध वच्छद कराजए।

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| i) धनामाव | v) सदानन्द |
| ii) रमेश | vi) निरादर |
| iii) उन्नयन | vii) दुर्गति |
| iv) दिग्गज | viii) प्रश्नोत्तर |

9.2.4 समास

वाचन हेतु दिए गए पाठ में 'लोकतंत्र' शब्द का कई स्थलों पर प्रयोग मिलेगा। 'लोकतंत्र' भी दो शब्द 'लोक' 'व तंत्र' से मिलकर बना है। 'लोकतंत्र' में लोक और तंत्र के मिलने से दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं आता। इसमें दोनों शब्दों के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाले शब्द का लोप हो गया है। लोकतंत्र = लोक का तंत्र। लोकतंत्र में 'का' लुप्त है। इस तरह बनने वाले शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। अर्थात् जब दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को समास और उनसे मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे,

दया + सागर = दयासागर = दया (का) सागर

स्व + तंत्र = स्वतंत्र = स्व (का) तंत्र

गृह + युद्ध = गृहयुद्ध = गृह' (में) युद्ध

धर्म + निरपेक्ष = धर्मनिरपेक्ष = धर्म (से) निरपेक्ष

स्त्री + पुरुष = स्त्री-पुरुष = स्त्री (और) पुरुष

'यहाँ गृह देश के भीतर का अर्थ देता है।

बोध प्रश्न

4) नीचे लिखे पदों के सामासिक शब्द बनाइए।

- i) चंद्र के समान मुख वाली
- ii) माता और पिता
- iii) वर्षा का काल
- iv) कार्य में कुशल
- v) लंबे काल से
- vi) न्याय की दृष्टि से उचित

'शब्द रचना' संबंधी व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करने के उपरांत पाठ का वाचन कीजिए।

9.3 भारतीय लोकतंत्र विषयक पाठ का वाचन

- 1) हमारी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम अर्थ होता है नागरिकों की समानता, या दूसरे शब्दों में असमानता का अंत। संसार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से पूर्व अधिकतर समाज असमान राजनीतिक अधिकारों पर आधारित थे। केवल भारतीय समाज में ही राजनीतिक असमानता नहीं थी। यूरोप में अठारहवीं से बीसवीं शताब्दी तक धीरे-धीरे लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। लोकतंत्र एक उत्तम आदर्श है। परंतु इसे प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है हमारे जैसे समाज में, जहाँ अनेक विषमताएँ हैं, इस आदर्श की प्राप्ति और भी कठिन है। इन विषमताओं से समाज में ऐसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करती हैं। ये सभी समस्याएँ अर्थात् जाति तथा वर्गों की असमानता, धार्मिक और भाषाई समुदायों में संघर्ष इत्यादि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को कठिन बना देते हैं। अतः इन्हें प्रायः भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ कहा जाता है। यदि भारतीय

लोकतंत्र को सुदृढ़ होना है तो हमें इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करना होगा।

- 2) लोकतंत्र में दो महत्वपूर्ण विचार सामने आते हैं। ये हैं स्वतंत्रता तथा समानता के विचार। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, जो कि लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। कुछ सीमाओं में रहते हुए वे जो चाहें कर सकते हैं। उनके पास ऐसे अधिकार होते हैं, जिन्हें सरकार भी छीन नहीं सकती। परंतु ये सब भी समानता से संबंधित हैं। लोग स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग तभी कर सकते हैं जबकि वे समान हों। अतः स्वतंत्रता और समानता के विचार एक-दूसरे से संबद्ध हैं।

9.3.1 राजनीतिक समानता

- 3) समानता के भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विषमता या असमानता कई प्रकार की होती हैं निःसंदेह पहली तो राजनीतिक समानता है। इसका अर्थ हुआ कि लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए दो व्यक्तियों में से एक अमीर हो सकता है और दूसरा गरीब। राजनीतिक समानता का अभिप्राय होगा कि आर्थिक असमानता के बावजूद दोनों व्यक्तियों को एक-एक वोट देने का अधिकार होगा। निर्वाचन के समय सभी मतदाता समान अधिकार का उपयोग करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित शासन कहा जाता है।

9.3.2 आर्थिक समानता

- 4) लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक समानता नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्य के अनेक उद्देश्य या लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य हैं— स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतंत्र। ये सभी लक्ष्य एक-दूसरे से संबंधित हैं। हम पहले यह देखेंगे कि ये किस प्रकार संबंधित हैं। राजनीतिक समानता केवल सरकार तथा अधिकारों के उपयोग से संबंधित है। पर अब लोकतंत्र का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत को जीवन के अन्य क्षेत्रों में क्यों न अपनाया जाए। केवल राजनीति ही हमारे जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। हम कितना धन अर्जित करते हैं, उसको किस प्रकार व्यय करते हैं, अर्थात् हमारा आर्थिक जीवन भी अधिक नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक जीवन है। क्या हमें उस क्षेत्र में भी समानता चाहिए या नहीं? यह कहा जाता है कि केवल मताधिकार ही पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ लोग बहुत धनवान हैं तथा अन्य बहुत से लोग गरीबी में रहते हैं तो इस प्रकार का समाज बुरा है। उसमें सुधार होना ही चाहिए। मनुष्यों को केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन में भी समान होना चाहिए। जिन वस्तुओं को धन से खरीदा जा सकता है उनका उपयोग करने का अवसर सबको मिलना चाहिए। इस स्थिति को आर्थिक समानता या समाजवाद कहते हैं। समाजवाद के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार ही समानता है। समाजवाद केवल लोगों के राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समानता की धारणा का विस्तार करता है।

9.3.3 धर्मनिरपेक्षता

- 5) हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता नामक एक और लक्ष्य की बात भी कही गई है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करे, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। इसी को धर्मनिरपेक्षता का

सिद्धांत कहते हैं। हमारे देश में हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग निवास करते हैं। और धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखता हो, सरकार की दृष्टि में सब समान हैं—वे सब भारत के नागरिक हैं। हमारे संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसके दो अर्थ होते हैं। प्रथम, इसका अर्थ हुआ कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं। दूसरे शब्दों में धर्म को राजनीतिक जीवन से पृथक् रखना चाहिए। द्वितीय, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा—अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

- 6) लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता बहुत अच्छे आदर्श हैं। इस विचार से कोई भी असहमत नहीं होगा। परंतु इतिहास हमें विचित्र पाठ पढ़ाता है। हमें ज्ञात होता है इन आदर्शों को भी बिना कठिनाई के प्राप्त नहीं किया जा सका। हम एक सीधा—सा उदाहरण लेते हैं। राजनीतिक समानता की माँग है कि किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य देश पर शासन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अपना प्रबंध स्वयं करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर भी आपको मालूम है कि सन् 1947 से पूर्व तक भारत स्वाधीन नहीं था। अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करते थे और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। भारत ही नहीं एशिया के अधिकतर देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। कुछ समय पहले तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के अनुसार शासन होता रहा। काले वर्ण के लोग बहुमत में थे फिर भी श्वेत वर्ण के अल्पसंख्यकों के हाथों में समस्त सत्ता थी। इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो उचित है आवश्यक नहीं कि वह बिना कठिनाई के उपलब्ध हो जाए। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता उचित और न्यायसंगत थी, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालीन और शक्तिशाली स्वतंत्रता आंदोलन को चलाना पड़ा था। इसी प्रकार अन्य अनेक न्यायसंगत चीज़ें होती हैं, परंतु उनकी उपलब्धि संभव नहीं होती। अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक और न्यायसंगत समाज की स्थापना के मार्ग में हमारे देश में कौन—सी बाधाएँ हैं।
- 7) हमने देखा है कि लोकतंत्र का अर्थ नागरिकों की समानता होता है। अतः सभी प्रकार की विषमताएँ लोकतांत्रिक समाज के लिए अभिशाप हैं। लोकतंत्र में समाज के संचालन में सभी की समान भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार की विषमता इसके मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। हमारे समाज में लोकतंत्र के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। परंतु इससे आप यह न समझें कि हमारे समाज में या हमारी जनता में कोई बुराई है। आप यह न समझें कि हम अपनी लोकतांत्रिक सरकार चला ही नहीं सकते हैं। यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना में लगभग दो सौ वर्ष लग गए थे। इन देशों ने जो कुछ दो सौ वर्षों में प्राप्त किया वह हम बहुत थोड़े समय में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
- 8) हमारा समाज विषमताओं से भरपूर है। विषमताएँ इतनी भिन्न—भिन्न प्रकार की हैं कि उनकी गणना कर सकना भी संभव नहीं है। ये वे असमानताएँ हैं, जो विशेषकर लोकतंत्र के मार्ग में बाधक हैं। भारतवासी भिन्न—भिन्न भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास रखते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों की भाँति—भाँति की संस्कृतियाँ हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी विषमताएँ हैं। धनवानों और निर्धनों के मध्य असमानता है। लोगों की आमदनी में बहुत अंतर है। जाति—प्रथा के आधार पर उच्च जातियों,

निम्न जातियों तथा अछूतों के बीच बहुत अधिक विषमताएँ हैं। संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के बावजूद हमारे लोकतांत्रिक देश में अछूतों को अलग बस्तियों में रहने पर बाध्य किया जाता है। उनके निम्न जाति होने को उनके पूर्वजन्म के कर्म के साथ जोड़कर अवैज्ञानिक रीति रुढ़ियों, परंपराओं के कारण उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसी स्थितियों को अछूत मानी गई जातियों को ही झेलना पड़ता है। अन्याय, अत्याचार का यह सिलसिला सर्वज्ञ मानी गई जातियों द्वारा आज भी निरंतर चल रहा है। पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता है, महिलाओं को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसी पुरुषों के समुख कभी नहीं आतीं। पढ़े—लिखे लोगों तथा निरक्षरों में विषमता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी विषमताओं के परिणामस्वरूप जिन वर्गों का शोषण होता है, उनका अपना कोई दोष नहीं होता। यह लोकतांत्रिक समाज का कर्तव्य हो जाता है कि जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनका उद्धार करें। लोकतंत्र को सबसे बड़ा संकट इस प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है कि कुछ लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जाति, भाषा या क्षेत्र को लेकर भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए हानिकर होते हैं। प्रत्येक समुदाय अन्य समुदाय से अधिक अधिकारों की अपेक्षा करता है। यह प्रवृत्ति निश्चय ही लोकतंत्र के विरुद्ध है।

9.4 पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग

यह पाठ राजनीति विज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक विषय की अपनी एक विशेष शब्दावली होती है जो किसी खास अर्थ में प्रयुक्त होती है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सुनिश्चित होते हैं। इनकी अलग-अलग व्याख्या नहीं की जा सकती। इस पाठ के शीर्षक में प्रयुक्त 'लोकतंत्र' एक पारिभाषिक शब्द है। लोकतंत्र का अर्थ 'जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। हमने इकाई चार में पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। अगर हम पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लें तो उस शब्द के द्वारा व्यक्त विचार जान सकते हैं और विषय को समझ सकते हैं।

पारिभाषिक शब्द प्रायः विषय की किसी—न—किसी संकल्पना या धारणा के साथ जुड़े होते हैं। कई बार यह आशंका रहती है कि कहीं उनका दूसरा अर्थ न लगा लिया जाए। अतएव ऐसे शब्दों की व्याख्या विषय विवेचन के साथ ही लेखक स्वयं कर देता है। इस पाठ में भी लेखक ने प्रायः सभी पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या सरल ढंग से कर दी है। उदाहरण के लिए 'धर्मनिरपेक्षता' की परिभाषा को देख सकते हैं। लेखक के अनुसार, 'धर्मनिरपेक्षता' का अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखता हो, सरकार की दृष्टि में वे सब समान हैं। लेखक ने परिभाषा के बाद भारतीय संदर्भ देकर इसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। इससे पाठक उसका सही अर्थ जान सकता है।

बोध प्रश्न

- 5) नीचे पाठ के आधार पर कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं, बताइए कि इनमें किन अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है।
 - i) एक ऐसी शासन प्रणाली, जो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। कुछ सीमाओं में रहते हुए वे जो चाहें कर सकते हैं।
 -
 - ii) एक ऐसी व्यवस्था जो आर्थिक समानता के लक्ष्य से प्रेरित हो।
 -

iii) धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करने वाला राज्य।

iv) एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित शासन होता है।

v) अपने धार्मिक संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास।

vi) वह राष्ट्र जो किसी अन्य राष्ट्र द्वारा परतंत्र या पराधीन बनाया गया है।

किसी पाठ को समझने के लिए सिर्फ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक पारिभाषिक शब्दों के साथ ऐसे पदों का प्रयोग भी करता है, जो पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का विस्तार करते हैं, जैसे 'लोकतांत्रिक व्यवस्था'। यहाँ 'लोकतंत्र' नामक व्यवस्था की बात कही गई है। व्यवस्था कई तरह की हो सकती है—सामंती व्यवस्था, पूँजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था आदि।

- 6) नीचे कुछ पारिभाषिक पद दिए गए हैं— इनका अर्थ व्याख्या या विस्तार द्वारा स्पष्ट कीजिए।

क्रम	पारिभाषिक पद	व्याख्या
i)	लोकतांत्रिक व्यवस्था	लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था
ii)	भाषाई समुदाय	
iii)	भारतीय लोकतंत्र	
iv)	औपनिवेशिक शासन	
v)	आर्थिक समानता	

9.4.1 विषय का सरल विवेचन

यह पाठ तैयार करते हुए लेखक ने भाषा की सरलता और सुबोधता की ओर विशेष ध्यान दिया है ताकि विषय से अपरिचित विद्यार्थियों को भी सभी बातें सहज ही समझ में आ जाएँ। इसके लिए लेखक ने पारिभाषिक शब्दों की सरल व्याख्या तो दी ही है, वाक्य रचना में जटिलता से बचने का प्रयास भी किया है। छोटे वाक्यों के प्रयोग से यह पता लगता है कि लेखक के मन में विवेच्य विषय के संबंध में स्पष्ट जानकारी है। इस तरह के विषयों के लेखन में लेखक अपनी बात को पाठकों तक पहुँचाने के लिए जिन युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यहाँ समझाया जा रहा है।

- i) **व्याख्या** – लेखक अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या करता है। इसके लिए वह 'दूसरे शब्दों में', 'यानी', 'अर्थात्', 'कहने का तात्पर्य है' पदों या वाक्यांशों का प्रयोग करता है। जैसे इस पाठ में लेखक ने एक जगह लिखा है। 'इसका अर्थ हुआ कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं'। इस वाक्य में लेखक ने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझाया है। अब लेखक इसे और स्पष्ट करने के लिए उक्त वाक्य के आगे एक और वाक्य जोड़ता है, 'दूसरे शब्दों में धर्म को राजनीतिक जीवन

से पृथक् रखना चाहिए।’ इस तरह यह वाक्य पहले वाक्य के कथन को और अधिक स्पष्ट करता है।

एक और उदाहरण लें : समाजवाद का अर्थ है आर्थिक समानता की स्थापना करना अर्थात् समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास करना।

- ii) कथन को तर्क से सिद्ध करना—** ज्ञान—विज्ञान से संबंधित विषयों में लेखक को अपनी बात को कार्य—कारण शृंखला (तार्किक) के रूप में रखना होता है। अगर वह अपने कथन को विवेकपूर्ण ढंग से नहीं रखता तो वह अपने पाठकों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके लिए लेखक जो भी बात कहता है उसकी पुष्टि में प्रमाण भी प्रस्तुत करता है और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ‘अतः’, ‘इसलिए’, ‘क्योंकि’, जैसे शब्दों का प्रयोग भी करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को लें—

निर्वाचन के समय सभी मतदाता समान अधिकार का उपयोग करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को ‘एक व्यक्ति एक वोट’ के सिद्धांत पर आधारित शासन कहा जाता है।

उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने लोकतंत्र की एक विशेषता ‘राजनीतिक समानता’ को स्पष्ट किया है। इस विशेषता के अनुसार सभी को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। यह ‘वोट देने का अधिकार’, ‘राजनीतिक समानता’ के तर्क को पुष्ट करता है। इसीलिए इन दोनों वाक्यों को ‘इसलिए’ से जोड़ा गया है।

अन्य उदाहरण : समाजवाद के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार ही समानता है।

- iii) उदाहरण प्रस्तुत करना—** लेखन के दौरान अपनी बात के समर्थन में लेखक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है ताकि उसकी बात यथार्थपरक और सत्य मानी जाए। इसके लिए वह ‘उदाहरण के लिए’, ‘मसलन’, ‘जैसे’ आदि शब्दों या वाक्यांशों के साथ अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए इस पाठ का पैरा 3 देखा जा सकता है। इस पैरा में ‘राजनीतिक समानता’ की धारणा को परिभाषित करने के बाद लेखक अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा करने के लिए वह वाक्य की शुरुआत “उदाहरण के लिए वाक्यांश से करता है।

- iv) क्रमबद्धता—** लेखक अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए या उसके विभिन्न पक्षों को क्रमबद्ध रूप से रखने के लिए ‘पहले’, ‘दूसरे’, ‘अंततः’ आदि शब्दों का प्रयोग करता है। जब दो ही पक्ष रखे जाने हों तो कई बार ‘और’ या ‘तथा’ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।

उदाहरण के लिए पैरा 5 के निम्नलिखित अंश को देख सकते हैं।

हमारे संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसके दो अर्थ होते हैं। प्रथम, इसका अर्थ हुआ कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं। द्वितीय, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा—अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

उपर्युक्त वाक्यों में धर्मनिरपेक्षता के दो महत्वपूर्ण पक्षों को रखा गया है। इन दोनों पक्षों को क्रम से स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने ‘प्रथम’ और ‘द्वितीय’ शब्दों का प्रयोग करते हुए अलग—अलग वाक्य लिखे हैं।

- v) **विपरीत या अन्य कथन—** कई बार लेखक किसी बात के विरोधी पक्ष को उजागर करना चाहता है या बात का कोई अन्य पहलू रखना चाहता है जो पहले वाले पक्ष से भिन्न है तो वह 'इसके विपरीत', 'बल्कि' आदि पदों का प्रयोग करता है। जैसे : 'समाजवाद केवल लोगों के राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समानता की धारणा का विस्तार करता है।'

उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने समाजवाद की अवधारणा में निहित 'व्यापकत्व' को व्यक्त करने के लिए उक्त वाक्य को उपर्युक्त रूप में रखा है। इससे लेखक यह स्पष्ट करता है कि समाजवाद केवल 'राजनीतिक जीवन' में समानता तक सीमित नहीं है। इसके लिए वह 'बल्कि' द्वारा अपने मंतव्य को भिन्न रूप में व्यक्त करता है।

अन्य उदाहरण : धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार तक सीमित नहीं है, इसके विपरीत इसका अर्थ है राज्य को धर्म के हस्तक्षेप से मुक्त रखना।

- vi) **समापन —** अपनी बात को समाप्त करते हुए लेखक जब निष्कर्ष रूप में कोई बात कहता है तो 'प्रायः : 'संक्षेप में', 'निष्कर्ष रूप में', 'अंत में', 'इस प्रकार' आदि पदों का प्रयोग करता है ताकि पाठक को कथन का निष्कर्ष सूत्र रूप में स्पष्ट हो जाए। जैसे: संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात में निहित है कि हम सभी क्षेत्रों में समानता के आदर्श को कितना लागू कर पाते हैं।

अन्य उदाहरण : इस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र विश्व का महान लोकतंत्र है।

विषय की विवेचना करते हुए लेखक उपर्युक्त वाक्यांशों या शब्दों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करता है। दूसरे, विषय के व्यवस्थित विवेचन के लिए वह उसे उचित क्रम भी देता है। जैसे, सर्वप्रथम, वह अपनी अवधारणा को सूत्र रूप में रखेगा। फिर वह उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करेगा। उसके विभिन्न पक्षों को क्रम से प्रस्तुत करेगा। अपने कथन के समर्थन में जहाँ आवश्यक होगा उदाहरण देगा और अंत में, अपने कथन का निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

9.5 सारांश

इस इकाई में आपने 'भारतीय लोकतंत्र' विषयक पाठ के माध्यम से राजनीति विज्ञान विषय में हिंदी भाषा के प्रयोग का अध्ययन किया है। 'शब्द रचना' संबंधी व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करते हुए आपने 'उपसर्ग, विलोम', 'संधि' तथा 'समास' के नियमों का भी अध्ययन किया। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- उपसर्ग, विलोम शब्द, संधि और समास को परिभाषित कर सकते हैं और इनके सही प्रयोग कर सकते हैं;
- पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनकी सरल व्याख्या कर सकते हैं;
- विषय का सरल विवेचन कर सकते हैं; और
- लोकतंत्र और उसके वैचारिक आधार को परिभाषित कर सकते हैं।

9.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. ओम प्रकाश गाबा, राजनीति विज्ञान कोश, बी.आर.पब्लिशिंग कार्पोरेशन, दिल्ली
कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 110003

9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

- | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| 1) i) विवाद – विचार– विमर्श | vi) विमुख – हट जाना | |
| ii) विधर्म— दूसरा धर्म | vii) कल – अशांत या बेचैन होना | |
| iii) विपक्ष – दूसरा (विपरीत) पक्ष | viii) विषम – असमान | |
| vi) विहार – घूमना | ix) विजन – जन से रहित | |
| v) विशिष्ट – विशेष | x) असहमत – अ + सहमत | |
| 2) i) अनुपलब्ध –अन्+ उपलब्ध | xi) अनीति – अ + नीति | |
| ii) अनधिकार –अन्+ अधिकार | x) अव्यवस्था – अ + व्यवस्था | |
| iii) अनुपयोग –अन्+ उपयोग | xii) अनावश्यक—अन्+ आवश्यक | |
| iv) विपक्ष –वि + पक्ष | xiii) बुराई – बुरा + ई | |
| v) व्यय – वि + अय | xiv) उत्कृष्ट – उद्द + कृष्ट | |
| vi) अभाव – अ + भाव | v) सत् + आनंद | |
| vii) अपूर्ण –अ+ पूर्ण | vi) निः + आदर | |
| 3) i) धन + अभाव | vii) दुः + गति | |
| ii) रमा + ईश्वि) | viii) प्रश्न + उत्तर | |
| iii) उत् + नयन | | |
| iv) दिक् + गज | | |
| 4) i) चंद्रमुखी | | |
| ii) माता–पिता | | |
| iii) वर्षाकाल | | |
| iv) कार्यकृशल | | |
| v) दीर्घकालीन | | |
| vi) न्यायोचित | | |
| 5) i) लोकतंत्र | ii) समाजवाद | iii) धर्मनिरपेक्ष |
| iv) लोकतंत्र | v) सांप्रदायिकता | vi) उपनिवेश |
| 6) ii) एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का समुदाय। | | |
| iii) लोकतंत्र का वह स्वरूप जो भारत में है। | | |
| iv) दूसरे राष्ट्र को पराधीन (उपनिवेश) बनाकर किया जाने वाला शासन। | | |
| v) लोगों में आय की लगभग बराबरी | | |

इकाई 10 मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण

इकाई की रूपरेखा

- 10.0 उद्देश्य
- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 वाक्य—रचना (व्याकरणिक विवेचन)
 - 10.2.1 विशेषण
- 10.3 भारत की ललित कलाएँ
 - 10.3.1 विभिन्न ललित कलाएँ
 - 10.3.2 स्थापत्य कला
 - 10.3.3 मूर्तिकला
 - 10.3.4 चित्रकला
 - 10.3.5 संगीत कला
 - 10.3.6 काव्य कला
- 10.4 सारांश
- 10.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 10.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम वाक्य—रचना के व्याकरणिक नियमों का परिचय दे रहे हैं। इस इकाई में पढ़ाया जाने वाला पाठ 'ललित कला' विषय से संबद्ध है। इस पाठ को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आपको इस विषय से संबंधित भाषा, पारिभाषिक शब्दों तथा रचना प्रयोगों से परिचित कराना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- पाठ में प्रयुक्त विशेषणों के संदर्भ में विशेषण का अर्थ और महत्व बता सकेंगे तथा विशेषण का सही प्रयोग कर सकेंगे;
- वाक्य—रचना के अंतर्गत मुख्य वाक्यांश और पूरक वाक्यांश के संबंध को समझ सकेंगे और ऐसे वाक्यों में लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग कर सकेंगे;
- विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदल सकेंगे;
- प्रविशेषण का सही प्रयोग कर सकेंगे;
- दो या अधिक वस्तुओं की विशेषता की तुलना वाले वाक्यों को सही रूप में लिखना सीख सकेंगे; और
- मानविकी की भाषा, विशेषतः ललित कला में प्रयुक्त भाषा की विशिष्टता पहचान सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने विषय के सरल विवेचन के लिए भाषा के उपयोग का अध्ययन किया। इस इकाई में भी हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाएँगे। विषय के अनुरूप भाषा के विविध प्रयोगों को स्पष्ट करने के लिए हम 'वाक्य—रचना' के व्याकरणिक नियमों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम ऐसे वाक्यों की रचना पर विचार करेंगे, जिनमें पूरक वाक्यांश के

कारण लिंग, वचन और कारक की त्रुटियाँ हो जाती हैं। इस इकाई में वाचन हेतु दिए जाने वाले पाठ में विशेषणों का प्रयोग अधिक हुआ है इसलिए 'व्याकरणिक विवेचन' में हमने विशेषण के कुछ पहलुओं और भेदों पर भी चर्चा की है इससे आपको विशेषण का सही प्रयोग सीखने में मदद मिलेगी। इकाई में दिए जाने वाले विभिन्न नियमों की जानकारी होने पर आपकी भाषिक प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होगी। इस इकाई में वाचन के लिए दिया जाने वाला पाठ 'भारतीय ललित कला' से संबंधित है जिसके अंतर्गत स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीत कला का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

10.2 वाक्य—रचना (व्याकरणिक विवेचन)

वाक्य—रचना भाषिक संप्रेषण का मुख्य आधार है। वाक्य—रचना में त्रुटि भाषा के स्वरूप को विकृत कर देती है। इसलिए सही वाक्य—रचना को हम यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

नीचे का वाक्य पढ़िए :

मूर्तिपूजा वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार रही है।

क्या इस वाक्य को निम्नलिखित रूप से भी लिख सकते हैं?

मूर्तिपूजा वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार रहा है।

आप बात सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों में से कौन सा सही है। इसका परीक्षण करने के लिए वाक्य संरचना की जाँच करनी चाहिए।

उपर्युक्त वाक्य में रही है / रहा है क्रिया मूर्तिपूजा से निर्धारित होगी। क्योंकि 'रही है' क्रिया मूर्तिपूजा (संज्ञा) से संबद्ध है। मूर्तिपूजा स्त्रीलिंग शब्द है।

'वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार' वाक्य का पूरक पद है। 'का' का संबंध 'आधार' से है।

एक अन्य वाक्य से इसे समझें :

वर्ग संघर्ष क्रांति का आधार रहा है।

मुख्य वाक्यांश

उपर्युक्त वाक्य में 'वर्ग संघर्ष' पुलिंग एकवचन होने के कारण क्रिया का रूप 'रहा है' सही है। बहुवचन वाले वाक्य में क्रिया बदल जाएगी, जैसे :

उन्हें कार्य का भौतिक पक्ष कह सकते हैं।

यहाँ 'उन्हें' बहुवचन से क्रिया भी बहुवचन के अनुसार परिवर्तित हो गई है।

अपवाद देखिए : नेहरूजी आधुनिकता के प्रतीक थे।

यहाँ नेहरूजी के साथ क्रिया 'थे' के प्रयोग का नियम स्पष्ट है लेकिन इस 'थे' ने पूरक वाक्य के (संबंध) कारक को भी प्रभावित किया है।

यही वाक्य अगर इस रूप में लिखा हो तो वाक्य रचना के सामान्य नियमों का पालन होगा:

वह आधुनिकता का प्रतीक था।

उपर्युक्त वाक्य में एक वचन सर्वनाम के कारण पूरक वाक्य में 'का' कारक का प्रयोग हुआ है। अर्थात् यहाँ व्यक्तियों के नाम का प्रयोग पुलिंग बहुवचन में होता है वहाँ पूरक वाक्य में कारक भी उसी के अनुसार बदल जाता है।

बोध प्रश्न

1) नीचे दी गई तालिका से पाँच वाक्य बनाइए।

ताजमहल	सत्य	का	अभिव्यक्ति	था ।
गांधीजी	प्रेम	की	प्रतीक	थे ।
वह	सौंदर्य	के	पुजारी	लगता है ।

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)

10.2.1 विशेषण

वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण कहते हैं। इस इकाई में दिए जाने वाले पाठ का जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको यह अनुभूत होगा कि इस पाठ में ऐसे वाक्यों का प्रयोग अधिक किया गया है जिनमें वर्ण वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उदाहरण के लिए, स्थापत्य के अन्य नमूनों की उत्कृष्टता बताने के लिए पाठ में कहा गया है 'ताजमहल का अनुपम सौंदर्य'। यहाँ 'अनुपम' ताजमहल के सौंदर्य का विशेषण है।

इसी तरह के कुछ अन्य वाक्य देखें :

- क) शाहजहाँ का योगदान अविस्मरणीय है।
- ख) हिमाचल प्रदेश के मंदिर रमणीय हैं।
- ग) माउंट आबू के जैन मंदिर सूक्ष्म नकाशी के लिए विख्यात हैं।
- घ) वह अत्यंत मनोरम है।

अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण शब्द कौन-से होते हैं। ऊपर के चारों वाक्यों में विशेषण क्रिया के साथ प्रयुक्त हुए हैं। जहाँ विशेषण क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, उन्हें पूरक या विधेय विशेषण कहते हैं।

ऐसे वाक्यों को हम निम्नलिखित रूपों में भी लिख सकते हैं।

- क) शाहजहाँ का अविस्मरणीय योगदान
- ख) हिमाचल प्रदेश के रमणीय मंदिर
- ग) सूक्ष्म नकाशी के लिए विख्यात जैन मंदिर

ऊपर के तीनों वाक्यों में विशेषण विशेष्य (संज्ञा) के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेष्य का अर्थ है जिसकी विशेषता बताई जाए। इसीलिए जहाँ विशेषण विशेष्य शब्द से पूर्व प्रयुक्त हो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य आम तौर पर संज्ञा शब्द ही होता है। 'विशेष्य विशेषण' को 'पूरक विशेषण' में और 'पूरक विशेषण' को 'विशेष्य विशेषण' में बदल सकते हैं।

बोध प्रश्न

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण

- 2) नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त पूरक विशेषण को विशेष्य विशेषण में बदलिए।

उदाहरण : भारत देश धर्मनिरपेक्ष है।

भारत धर्मनिरपेक्ष देश है।

- i) रामचरित मानस नामक काव्य लोकप्रिय है।

- ii) आगरा में स्थित ताजमहल भव्य है।

- iii) उस नदी का पानी गंदा है।

- iv) वह व्यक्ति महान है।

- 3) नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त विशेष्य विशेषण को पूरक विशेषण में बदलिए।

- i) वह कैसा स्वस्थ बालक है।

- ii) 'गोदान' प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है।

- iii) मूर्तिकला के विकास में बौद्ध धर्म का उल्लेखनीय योगदान है।

- iv) मौर्यकाल की मूर्तियों में अद्भुत सौंदर्य है।

विशेषण को संज्ञा में परिवर्तित करना

विशेषण को संज्ञा में बदल कर भी हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे 'रामचरितमानस एक लोकप्रिय काव्य' को हम 'रामचरितमानस नामक काव्य की लोकप्रियता' वाक्य में बदल सकते हैं। यहाँ लोकप्रियता संज्ञा है। 'रमणीय मंदिर' को 'मंदिर की रमणीयता' में बदल सकते हैं।

बोध प्रश्न

- 4) नीचे के वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों को संज्ञा में बदलिए :

- i) वह कैसा स्वस्थ बालक है।

- ii) भारत देश धर्मनिरपेक्ष है।

- iii) सादा जीवन और उच्च विचार

प्रविशेषण

इस पाठ में आप गौर करेंगे कि जहाँ विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वहाँ कई बार अत्यंत, बहुत, अति आदि शब्दों का भी विशेषण से पहले प्रयोग हुआ है। जैसे 'अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ', 'विशेष उल्लेखनीय' आदि पदों का प्रयोग। विशेषण में अधिक बल प्रदान करने के लिए 'अत्यंत', 'विशेष', 'बहुत' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्रविशेषण कहा जाता है।

नीचे कुछ प्रविशेषण दिए गए हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करके देखिए—

अति, अत्यंत, बहुत, काफ़ी, ज्यादा, विशेष, अधिक।

वाक्य रचना संबंधी व्याकरणिक विवेचन और विशेषणों का अध्ययन करने के उपरान्त आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं।

10.3 भारत की ललित कलाएँ

कला क्या है ?

- 1) हम में से प्रायः सभी को कुछ ऐसे शौक जरूर होते हैं, जिनमें विशेष तरह का आनंद आता है। किसी को फ़िल्म देखने का शौक है तो किसी को संगीत सुनने का। किसी को क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में मज़ा आता है। कहने का मतलब यह है कि हम कुछ ऐसे कामों में भी रुचि लेते हैं, जिनसे हमारी भौतिक ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, बल्कि जो हमें मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करते हैं। हम में से कोई पेशे से दुकानदार हो सकता है लेकिन साथ ही उसे वायलिन बजाने का भी शौक हो, कोई गृहिणी अच्छी कविताएँ भी लिखती हो। सच्चाई यह है कि बौद्धिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुड़कर हम अपने जीवन को अधिक समृद्ध और सार्थक बनाना चाहते हैं। जिस तरह भोजन से शरीर का पोषण होता है, उसी तरह कला से मन और बुद्धि का पोषण होता है। मनुष्य जब भौतिक जीवन से ऊपर उठकर मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, तो इस प्रयत्न से भले ही कोई भौतिक लाभ न हो, लेकिन उससे जीवन को पूर्णता और सार्थकता प्राप्त होती है।
- 2) हम जो भी कार्य करते हैं उसे करते हुए दो बातों पर ध्यान देते हैं। एक तो इस बात का कि जिस जरूरत से प्रेरित होकर हम वह काम कर रहे हैं, वह ज़रूरत मुकम्मल तौर पर पूरी हो। इसे हम कार्य का भौतिक पक्ष कह सकते हैं। जैसे एक कुर्सी बनानी हो, तो हम उसकी मज़बूती, उस पर बैठने में सुविधा तथा उसकी लकड़ी को कीड़े न खा जाएँ इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम कोई काम करते हुए यह भी विचार करें कि वह काम अच्छे ढंग से पूरा हो, काम करते हुए आनंद आए, हमारे द्वारा किया गया काम दूसरों को भी रुचिकर और आनंद प्रदान करने वाला लगे, तो इसे हम उस कार्य का सौंदर्य पक्ष कहेंगे। जैसे कुर्सी पर बेल-बूटे बनाना, उस पर ऐसा रंग-रोगन करना जो दिखने में सुंदर लगे। इससे कुर्सी की उपयोगिता में कोई फ़र्क नहीं आता। फिर भी, इससे सभी को मानसिक और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है।
- 3) अब तक जो बातें आपको बताई गई हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि कला क्या है। अपने व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा दक्षता से किया गया कोई भी कार्य 'कला' कहा

जाएगा। लेकिन जो कार्य मानव के भौतिक उपयोग से प्रेरित होकर किया गया हो, वह उपयोगी कला के अंतर्गत आता है और जो कार्य सौंदर्यात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है वह ललित कला के अंतर्गत आता है। सौंदर्यात्मक उद्देश्य का अर्थ है, जो हमारे मन और आत्मा को आनंद पहुँचाए।

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण

- 4) यहाँ हम सिर्फ ललित कलाओं की चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ललित कलाएँ कितनी हैं? आपने ताज़महल देखा होगा, राजपूत या मुगल शैली के चित्र देखे होंगे, ध्यानस्थ बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी, भीमसेन जोशी या एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का गायन सुना होगा, प्रेमचंद का 'गोदान' पढ़ा होगा, 'आषाढ़' का एक दिन' नाटक देखा होगा। ये सभी ललित कलाएँ हैं। इन्हें हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं— स्थापत्य (गृह-निर्माण), मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य।

10.3.1 विभिन्न ललित कलाएँ

- 5) घर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। घर, हमारा एक छोटा सा संसार है, जहाँ हम पलते एवं बड़े होते हैं, जहाँ हमारे सुख-दुःख से भरे जीवन की अनगिनत घड़ियाँ बीतती हैं। मनुष्य अपने लिए सुख-सुविधा से परिपूर्ण घर ही नहीं चाहता, वह घर को सुंदर और भव्य भी देखना चाहता है। इसलिए वास्तुकला या स्थापत्य अर्थात् मकान-निर्माण को एक कला माना गया है। वास्तुकार या स्थापति उसकी इच्छा को पूर्ण करता है और इसी में स्थापत्य कला की अभिव्यक्ति होती है। भवन, महल, दुर्ग, पूजागृह (मंदिर, मस्जिद आदि), स्तंभ (मीनार) आदि के निर्माण में भी यही कला मूर्त होती है।
- 6) मंदिरों में स्थापित मूर्तियाँ, जिनमें भक्त भगवान का साक्षात् रूप देखता है, मूर्ति कला की उत्कृष्टता को अभिव्यक्त करती है। मूर्ति कला में जहाँ शारीरिक सौष्ठव का कलात्मक निर्माण होता है, वहीं मूर्ति के चेहरे पर विभिन्न भाव मुद्राओं को जीवंत बना देना भी उसका महत्वपूर्ण अंग है। स्थापत्य कला पत्थरों को छेनी-हथौड़े के द्वारा सौंदर्यात्मक रूप देकर निर्मित होती है। मूर्तियाँ भी मुख्यतः पत्थरों को तराश कर बनाई जाती हैं, किंतु धातु, लकड़ी और मिट्टी से भी मूर्तियों की रचना होती रही है। पत्थर या लकड़ी की मूर्तियाँ तराशी जाती हैं, धातु की मूर्तियाँ गढ़ी जाती हैं। स्थापत्य और मूर्ति कला में स्थापत्य अधिक स्थूल कला है।
- 7) भवनों और मूर्तियों का निर्माण लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई में होता है, इसलिए इन्हें त्रिआयामी कलाएँ कहा जाता है। चित्रकला द्विआयामी कला है क्योंकि चित्रों का निर्माण लंबाई और चौड़ाई में होता है। चित्रकार कागज़, कपड़ा या भित्ति (दीवार) पर रंगों और रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करता है। स्थापत्य और मूर्तिकला की अपेक्षा चित्रकला जीवन का बहुआयामी अंकन कर सकती है। इन तीनों में चित्रकला सबसे अधिक सूक्ष्म कला है।
- 8) अगर आपने स्थापत्य, मूर्ति और चित्र कला पर गौर किया हो तो, आपको कुछ समान विशेषताएँ नज़र आएँगी। जैसे ये तीनों कलाएँ दिक् पर आधारित हैं क्योंकि इन्हें हम दिक् में ग्रहण करते हैं। दूसरे, इन तीनों कलाओं के लिए भौतिक उपादानों की जरूरत होती है। जैसे, स्थापत्य में पत्थर की, मूर्ति में पत्थर, मिट्टी, धातु या लकड़ी की और चित्र में भित्ति, कागज़ या कपड़े की। संगीत और काव्य कलाओं में इन भौतिक उपादानों की जरूरत नहीं होती। दूसरा अंतर यह है कि संगीत और काव्य कला काल-आधारित कलाएँ हैं अर्थात् इनका रसास्वादन हम काल के प्रवाह में करते हैं।

तीसरा अंतर स्थूलता का है। स्थापत्य, मूर्ति और चित्र कला में कलाकारों के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति स्थूल रूप में होती है, जबकि संगीत और काव्य में सूक्ष्म रूप में। संगीत में कला का आधार स्वर और लय है, जिसे कलाकार गायन या वादन द्वारा व्यक्त करता है। संगीत में भावों के उतार-चढ़ाव की बारीकियों को व्यक्त किया जा सकता है। संगीत काव्य से अधिक भाव प्रधान होता है।

- 9) काव्य या साहित्य सबसे अलग किसी कला है। इसमें भाषा को कला-रचना के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साहित्य सबसे सूक्ष्म कला है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों की जटिलता और सूक्ष्मता को सहज ही प्रस्तुत कर सकते हैं। काव्य में कई विधाएँ आती हैं। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि। नाटक का इस दृष्टि से विशेष महत्व है क्योंकि रंगमंच पर नाट्य की प्रस्तुति में अन्य कलाओं का भी समावेश हो जाता है। नृत्य का संबंध नाट्य और संगीत दोनों से है और इसे दोनों कलाओं में शामिल किया जा सकता है।
- 10) आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि फ़िल्म कला है और फ़ोटोग्राफी ? निश्चय ही ये दोनों कलाएँ हैं। फ़िल्म नाट्य कला का और फ़ोटोग्राफी चित्रकला का ही विकास है। आधुनिक तकनीकों ने इन दोनों कलाओं को संभव बनाया है।

भारतीय कला का विकास

- 11) इतना जानने के बाद आपके मन में इस जिज्ञासा का उठना लाज़मी है कि भारत में इन कलाओं का विकास कब और कैसे हुआ। आइए, हम इनका थोड़ा परिचय प्राप्त करें। भारत में ललित कलाओं का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना भारत का ज्ञात इतिहास। आपको विदित होगा कि भारत की सभ्यता का आरंभ हड्ड्या सभ्यता से माना जाता है। यह हड्ड्या सभ्यता पाँच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इसके अवशेषों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ललित कलाओं का विकास हड्ड्या से भी पुराना है क्योंकि हड्ड्या तो काफी विकसित सभ्यता थी। आइए, हम पाँचों ललित कलाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें।

10.3.2 स्थापत्य कला

- 12) आपने इतिहास की पुस्तकों में मोहनजोदहो और कालीबंगा में उत्खनन (खुदाई) से प्राप्त अवशेषों के छायाचित्र देखे होंगे। इन चित्रों को देखकर आप स्थापत्य की भव्यता का सहज अनुमान कर सकते हैं। उस युग के नगर योजनाबद्ध ढंग से बने होते थे। मकान दो मंजिल के होते थे। घरों में रहने-सोने के कमरों, स्नान घर के साथ ही छत पर जाने की सीढ़ियाँ बनी होती थीं। नगर के बाहर स्नान के लिए पक्की ईंटों के लंबे-चौड़े तालाब बनाए जाते थे। उनके चारों ओर कपड़े बदलने के लिए बरामदे और कमरे आदि बनाए जाते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं में भी दुर्गों और पुरों की चर्चा की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन युग में किले, महल और घर भव्य और विशाल होते थे और उन्हें नगरीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता था।
- 13) हड्ड्या सभ्यता के बाद स्थापत्य के जो उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, उनमें मंदिर, स्तंभ, स्तूप, मकबरे, मस्जिद आदि प्रमुख हैं। भारतीय स्थापत्य कला का मनोहारी रूप मंदिरों के निर्माण में व्यक्त हुआ है। आपने मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, माउंट आबू के जैन मंदिर आदि कई प्राचीन और भव्य मंदिर देखे होंगे। लेकिन ये सभी मंदिर एक ही शैली के नहीं हैं। भारत में मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ हैं— नागर, द्राविड़ और वेसर शैली। नागर शैली के मंदिर प्रायः उत्तर भारत में, द्राविड़ के दक्षिण

भारत में और वेसर के मध्य भारत में मिलते हैं। वेसर वस्तुतः नागर और द्राविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है।

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण

- 14) नागर शैली में कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ—साथ स्थानीयता का प्रभाव भी साफ नजर आता है। इस शैली के मंदिर 900 ई. से 1300 ई. के मध्य बने हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मण्डी आदि के मंदिर इस दृष्टि से अत्यंत रमणीय हैं। विशेषतः बैजनाथ मंदिर (9वीं सदी) इस दृष्टि से दर्शनीय है। राजस्थान में माउंट आबू के जैन मंदिर (दिलवाड़ा मंदिर) अपनी सूक्ष्म नक्काशी के लिए विख्यात हैं। इन मंदिरों की छतें बहुमूल्य संगमरमर की बनी हैं। उनकी दीवारों, छतों और स्तंभों पर की गई कलात्मक नक्काशी अपने सूक्ष्म सौंदर्य से दर्शकों को अभिभूत कर लेती है। उड़ीसा के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में इसकी गणना होती है। इसका निर्माण 13वीं शती में हुआ था। मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर भी अपनी भव्यता, शिल्प—कौशल और कायिक दिव्यता में बेजोड़ हैं।
- 15) द्राविड़ शैली के मंदिर नागर से अलग तरह के हैं। इस शैली के मंदिरों में आँगन का मुख्य द्वार जिसे गोपुरम् कहते हैं इतना ऊँचा होता है कि अनेक बार वह प्रधान मंदिर के शिखर तक को छिपा लेता है। परंतु तंजौर, गंगैकोङ्डपुरम् और कांजीवरम् के मंदिर इतने ऊँचे और उनके गोपुरम् अनुकूलाकृतिक हैं कि दोनों का संबंध वास्तु की रमणीयता को बढ़ाता है, घटाता नहीं।
- 16) द्राविड़ शैली का आरंभ ईसा की सातवीं सदी में हुआ। इसका आरंभ पल्लव राजाओं के सहयोग से हुआ, जिन्होंने कांजीवरम् (कांजी) में इस शैली के महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए। तंजौर के चोल राजाओं का भी मंदिर निर्माण में स्तुत्य प्रयास रहा। तंजौर के विशाल बृहदीश्वर और सुब्रह्मण्यम् मंदिर रथापत्य की दृष्टि से असाधारण हैं। द्राविड़ शैली के मंदिरों की अंतिम शृंखला सोलहवीं सदी की है। ये मंदिर विशाल और भव्य हैं। रामेश्वरम्, मदुरै, तिन्नेवेली के मंदिर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मदुरै का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थानीय राजा तिरुमल नायक (1623–59) ने बनवाया। इसका गोपुरम् भी अत्यंत भव्य है। इस प्रकार के मंदिरों में असाधारण लंबे ढके बरामदे होते हैं। रामेश्वरम् का बरामदा तो 4000 फुट लंबा है और इनमें अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ हैं।
- 17) आपने सारनाथ और साँची के बौद्ध स्तूप भी देखे होंगे। सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। स्तूप वस्तुतः एक तरह का समाधि स्थल होता है, जहाँ मष्टक की अस्थियाँ रखी जाती हैं। भारत के प्राचीनतम स्तूप साधारणतः एक प्रकार के टीले हैं, अर्धवर्तुलाकार, ऊँचे और ठोस। ये स्तूप बौद्ध स्तूप हैं। सारनाथ और साँची के स्तूप में बुद्ध की अस्थियाँ रखी हैं। सारनाथ, भरहुत और साँची के स्तूप अशोक के समय के हैं।
- 18) मुसलमानों के आगमन के साथ ही हम रथापत्य कला के एक नये युग में प्रवेश करते हैं। आगरा का ताज़महल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और उसका बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली की कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूँ का मकबरा, जामा मस्जिद आदि कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो मुस्लिम शासकों द्वारा बनवाई गई। आपने इनमें से कुछ को अवश्य देखा होगा। ताज़महल का सौंदर्य और उसकी भव्यता को तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुस्लिम शासकों ने अपनी अभिरुचि के अनुकूल रथापत्य कला को एक नई शैली दी। इन शासकों द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों में हिंदुओं और मुसलमानों का सम्मिलित श्रम और प्रतिभा प्रयुक्त हुई है। विश्व में अपनी तरह की अकेली मीनार—कुतुबमीनार के निर्माण में हिंदू वास्तुकारों का योग रहा है। जौनपुर की

प्रसिद्ध अंताला मस्जिद, अकबर द्वारा बनवाए गए आगरे के किले और फतेहपुर सीकरी के कई भवनों पर मुगल काल से पहले की भारतीय स्थापत्य शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। दिल्ली का हुमायूँ का मकबरा, जो ताजमहल का आभास और बारीकी लिए हुए हैं, अकबर ने ईरानी शैली में बनवाया था। औरंगजेब को छोड़कर प्रायः सभी मुस्लिम शासकों ने कला के उत्थान में गहरी रुचि दिखाई थी। लेकिन इनमें शाहजहाँ का योगदान अविस्मरणीय है। उसने दिल्ली के लाल किले सहित कई भव्य इमारतें बनवाई, किंतु मुगलकाल की सबसे सुंदर और शालीन इमारत ताजमहल का निर्माण कराकर उसने भारतीय स्थापत्य कला को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। ताजमहल अपने अनुपम सौंदर्य के कारण विश्व का एक आश्चर्य माना जाता है। शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी आरजूमंद बानू बेगम (मुमताज महल) की स्मृति में इसे बनवाया था। आगरे में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा अपनी शालीनता और भव्यता में अद्वितीय है। इस जैसी सुंदर इमारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ताजमहल के शिल्प में स्थापत्य की परिपूर्णता दिखायी देती है।

10.3.3 मूर्तिकला

- 19) आपने सिक्कों पर तीन सिंहों का अंकन देखा होगा, जिसके नीचे एक चक्र भी है। यही चक्र हमारे झंडे पर भी है। आपको मालूम होगा कि यह हमारा राष्ट्रीय चिह्न है। यह चिह्न सारनाथ (वाराणसी) से प्राप्त अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यह स्तंभ-शीर्ष अपने सौंदर्य में अनुपम है। सिंह की शालीनता, प्रकृति विरुद्ध शांतमुद्रा अशोक की राजनीति के अनुरूप थी, जो शांति और अहिंसा के सिद्धांत पर टिकी थी। यह स्तंभ-शीर्ष मूर्तिकला की प्रतीकात्मकता का अच्छा उदाहरण है। आप जानते हैं कि मूर्तियाँ ईश्वरीय प्रतीक के रूप में भारत में लंबे समय से पूजी जाती रही हैं, इसलिए अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त करने के लिए मूर्ति का निर्माण भारत में अत्यंत प्राचीन काल से होता रहा है। मूर्तियों का एक और उद्देश्य है—अतीत की स्मृतियों को जीवित रखना। इस तरह मूर्ति निर्माण के पीछे लौकिक और धार्मिक दोनों उद्देश्य रहे हैं।
- 20) स्थापत्य कला की तरह मूर्ति कला का आरंभ भी भारत में हड्पा सभ्यता से माना जा सकता है। स्थापत्य और मूर्ति दोनों कलाओं में हड्पा के बाद के अवशेष प्रायः मौर्यकाल (325–188 ई. पूर्व) या उससे कुछ पहले के मिलते हैं। मूर्तिकला में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और नई—नई शैलियाँ अस्तित्व में आती रही हैं। मौर्यकाल की मूर्तिकला में यथार्थता और आकर्षक सौंदर्य अभूतपूर्व है। अशोक कालीन मूर्तिकला इसी युग की है। मौर्यकाल के बाद शुंग (150–73 ई. पू.) और शक-कुषाण काल (ई.पू. पहली सदी— 300 ई. तक) में मूर्तिकला का विकास हुआ। शुंगकला उतनी यथार्थपरक नहीं है। इन दोनों कालों में पत्थर और मिट्टी दोनों का उपयोग हुआ। कुषाणकाल की मथुरा में पाई गई यक्षिणियों की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें सामाजिक जीवन के आनंद और उल्लास को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।
- 21) बुद्ध की समाधिस्थ मूर्तियाँ मूर्तिकला की अमूल्य संपदा हैं। गंधार प्रदेश (अफ़गानिस्तान) में ग्रीक कलाकारों ने अपनी शैली से जिन भारतीय विषयों, अभिप्रायों, प्रतीकों का कलात्मक रूपायन किया, उन्हें गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाणकाल में ही इस शैली का विकास हुआ था। इस शैली की सभी मूर्तियाँ सिर्फ बौद्ध स्थलों से उपलब्ध हुई हैं। कुछ मूर्तियाँ गुप्तकाल (270–500ई.) में भी निर्मित हुईं। इनमें सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी बुद्ध मूर्ति शिल्पकला एवं सौंदर्यप्रभाव में अद्वितीय है। वस्तुतः मूर्तिकला के विकास में बौद्ध धर्म का योगदान उल्लेखनीय है।

22) हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा वैष्णव भक्ति का मुख्य आधार रही है। ईश्वर के साकार रूप की आराधना के लिए मूर्ति को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा—अर्चना वैष्णव भक्ति का मुख्य अंग है। ईश्वर के विभिन्न अवतारों तथा अन्य देवी—देवताओं की मूर्तियों का निर्माण काफी लंबे समय से होता रहा है। दूसरी—तीसरी शताब्दी के बाद से हिंदू धर्म के पौराणिक देवी—देवताओं की मूर्तियाँ मिलने लगती हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी आदि की मूर्तियाँ इस दृष्टि से दर्शनीय हैं। सातवीं सदी के बाद की अधिकांश मूर्तियाँ मंदिर मूर्तियाँ हैं। इनमें भी मंदिरों में स्थापित या शिखरों पर उकेरी गई मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इस युग में कोणार्क, खजुराहो और ऐलोरा के मंदिरों पर अलंकरण के रूप में उकेरी गई मूर्तियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। कोणार्क और खजुराहो के यौन—अंकन कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं।

23) ग्यारहवीं—बारहवीं सदी के बाद यद्यपि उत्तर भारत में मूर्तिकला का विकास अवरुद्ध हो गया था, लेकिन दक्षिण में यह विकास जारी रहा। शुद्ध अलंकरण की दृष्टि से 12वीं सदी के चालुक्य और होयसल मंदिरों की मूर्तियाँ अप्रतिम हैं। धातु (विशेषकर तांबे और पीतल) की अनेक मूर्तियाँ कर्नाटक में बारहवीं और अठारहवीं सदी के मध्य ढाली गई। इस दृष्टि से नटराज (नृत्य करते शिव) की मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर हैं। भारतीय मूर्तिकला के विकास में आधुनिक युग का महत्वपूर्ण योग है। यद्यपि आज कला पर पश्चिम की शैलियों का प्रभाव अधिक नजर आता है।

10.3.4 चित्रकला

24) रंगों और रेखाओं से बनने वाले चित्र मानव की भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम रहे हैं। मिर्जापुर और मध्यप्रदेश में गुफाओं की दीवारों पर बने रेखाचित्र पाषाण युग के हैं। ये चित्र उस आदिम मानव की भाव—चेतनाएँ व्यक्त करते हैं, जिसने भय, पूजा और उल्लास में ये चित्र बनाए। आपने कला संग्रहालयों में तरह—तरह के चित्र देखे होंगे, जिन पर मुगल काल शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा कलम, पहाड़ी कलम आदि पढ़ा होगा। वस्तुतः भारत में चित्र कला की कई शैलियों का विकास हुआ है, जिन्हें हम छह भागों में बाँट सकते हैं—

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 1) अजंता शैली | 2) गुजरात शैली | 3) मुगल शैली |
| 4) राजपूत शैली | 5) दकनी शैली | 6) आधुनिक शैली |

25) अजंता शैली के चित्र भित्ति चित्र हैं और गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं। ये चित्र ईसा से प्रायः सौ वर्ष से लेकर ईसा के बाद सातवीं सदी तक के हैं। अधिकतर चित्र मिट गए हैं या मलिन हो गए हैं। लेकिन जो बचे हैं वे अद्भुत हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की घटनाएँ चित्रित की गई हैं। अलंकरणों के चित्रों में अजंता के कलाकारों ने अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया है। फूल, पक्षी, पशु, गंधर्व, देव सभी सुंदर एवं जीवंत रूप में चित्रित किए गए हैं। उनमें अद्भुत कोमलता और सजीवता है।

26) गुजराती शैली का दूसरा नाम जैन शैली है क्योंकि अधिकतर इस शैली में जैन कल्पसूत्रों का ही ग्रंथ चित्रण किया गया है। इस शैली के चित्र अधिकतर पंद्रहवीं सदी के हैं। इसी शैली से लघुचित्र शैली (मिनिएचर) भी निकली है। इनके विषय धार्मिक ही नहीं, लौकिक भी हैं।

27) मुगल शैली भारतीय चित्र कला के संसार में अपना अलग स्थान रखती है। अपनी सुरुचि और परिष्कार तथा कूची के स्पर्श की कोमलता और हाशिए की कसीदाकारी

से वह तत्काल पहचानी जा सकती है। यह शैली फारस (ईरान) और भारत के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। मुग़ल शैली का आरंभ हुमायूँ (16वीं सदी) के काल में हुआ। इस कला को आगे बढ़ाने में अकबर का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ को छोड़कर प्रायः सभी मुगल चित्र कागज पर बने हैं। आरंभ के मुगल चित्रण में ग्रंथ चित्रण अधिक हुए हैं। महाभारत, रामायण के फ़ारसी अनुवादों, अकबरनामा, रसिकप्रिया आदि पर बनाए गए चित्र उल्लेखनीय हैं। इस तरह साहित्य और चित्रकला का सुखद संयोग स्थापित हुआ। मुगल शैली में लिपिकारिता (किताबत) का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मुगल शैली का प्रभाव भारतीय चित्रकला पर प्रायः ढाई सौ वर्षों तक रहा। इस बीच एक से अधिक अभिराम चित्र हजारों की संख्या में बने।

- 28) राजपूत शैली का विकास राजस्थान, बुदेलखण्ड और हिमालय-पंजाब के रवजाड़ों में हुआ। इस शैली के चित्र सोलहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं सदी के मध्य बने। राजपूत शैली मूल रूप से देशी है, परंतु उस पर मुगल शैली का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की तैयारी और विषयों के चयन में इस शैली के चित्र देशी परंपरा का प्रयोग करते हैं। स्थान-विशेष के कारण उसकी अनेक उप शैलियाँ बन गयीं, जिन्हें कलम कहते हैं। जैसे, पहाड़ी, जम्मू, काँगड़ा, बशोली आदि। यह शैली मध्यकालीन हिंदी काव्य की प्रत्येक प्रवृत्ति को चित्रित करती है। उसके चित्र भारतीय महाकाव्यों, पुराणों, संगीतशास्त्र, रीतिकाव्य को जाने बिना नहीं समझे जा सकते। उसमें कला, संगीत और साहित्य का अद्भुत संयोग है। रागमाला के चित्र इस दृष्टि से अनूठे हैं।
- 29) दकनी शैली भी मुगल शैली से प्रभावित प्रांतीय शैली है। यह भी प्रतिकृति प्रधान है और मुख्यतः बीजापुर और हैदराबाद में इसका विकास हुआ है। आधुनिक चित्रकला शैलियों पर मुख्यतः यूरोपीय कला का प्रभाव है किंतु अवर्णोद्धारणा ठाकुर के प्रयास से अजंता और मुगल शैलियों को पुनः विकसित करने का कार्य किया गया। भारतीय कला को भारतीय जनजीवन और परंपरा से जोड़कर प्रस्तुत करने वालों में अवर्णोद्धारणा ठाकुर के अतिरिक्त नंदलाल वसु, अमृता शेरगिल, रामकिंकर आदि का नाम प्रमुख है।

10.3.5 संगीत कला

- 30) संगीत किसे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं तो कुछ लोग सुगम संगीत या मनोरंजक फ़िल्म संगीत सुनकर झूम उठते हैं। ग्रामीण अंचलों के लोग आनंदविभोर होकर लोकगीत गाते हैं। कोई भी विशेष अवसर हो, संगीत के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में तो संगीत उतना ही पुराना है जितने वेद। वेद की ऋचाएँ गाई जाती थीं और सामवेद की रचना तो इसी दृष्टि से हुई। इसवीं सदी के आरंभ में भरत ने नाट्यशास्त्र में संगीत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की। कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में संगीत और अभिनय पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का आरंभ काफी पहले हो चुका था।
- 31) भारतीय संगीत का एक व्यवस्थित शास्त्र है। संगीत के सात अंग माने गए हैं— राग, स्वर, ताल, वाद्य, भाव और अर्थ। रागों के विकास में मुस्लिम संगीतकारों का विशेष योग रहा है। तराना, कौल नक्श, गुल आदि अमीर खुसरो ने प्रचलित किए। टप्पा आदि कई लोक शैलियों को विकसित कर उन्हें शास्त्रीय रूप देने का महत्वपूर्ण कार्य भी मुस्लिम गायकों ने किया। आज भी ध्रुपद, दुमरी, खयाल आदि के प्रसिद्ध गायक मुसलमान हैं।

- 32) वादन गीत और नृत्य दोनों का सहचर है। भारत में कई वाद्यों का चलन रहा है। संभवतः बाँसुरी प्राचीनतम वाद्य है। नगाड़ा, तुरही (तूर्ध), शंख, घंटा, डमरू भी प्राचीन वाद्य हैं। वीणा, सरोद, तंबूरा, सारंगी, दिलरुबा, पखावज, तबला, शहनाई आदि अन्य परंपरागत वाद्य हैं। सितार अमीर खुसरो ने बनाया था।
- 33) समूचे भारतीय संगीत के दो प्रकार रहे हैं— शास्त्रीय और लोक संगीत। लोक संगीत तो अलग—अलग क्षेत्रों में स्थानीय परंपरा के अनुसार विकसित होता रहा है। शास्त्रीय संगीत की दो शैलियाँ विकसित हुई हैं— हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी उत्तर भारत में और कर्नाटक दक्षिण भारत में विकसित हुई परंपराएँ हैं। इन दोनों में मूलतः कोई भेद नहीं है। अंतर इतना ही है कि उत्तर में बाहर से आने वाली जातियों ने अपने योगदान से संगीत के रूप और अलंकरण में कुछ परिवर्तन कर दिए, जबकि दक्षिण का संगीत ज्यों—का—त्यों बना रहा। मुसलमानों के आगमन से, भारतीय और फ़ारसी—अरबी संगीत का संगम हुआ और परिणामस्वरूप अनेक नए राग बने। हिंदुस्तानी संगीत का नया रूप निखरा।
- 34) नृत्य का संगीत से गहरा संबंध है। ऋग्वेद में नृत्य के अनेक उल्लेख मिलते हैं। शुंगकालीन मूर्तिकला में नृत्य करती नर्तकियों के कई रूप अंकित हुए हैं। संगीत की ही तरह नृत्य की भी दो परंपराएँ हैं— लोक और शास्त्रीय। शास्त्रीय परंपरा के भी दो रूप हैं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय नृत्यों में प्रमुख है कत्थक। कत्थक का विकास मुस्लिम शासकों के काल में विशेष रूप से हुआ। कहा जाता है कि अवध के नवाब वाज़िद अली शाह कत्थक के विशेषज्ञ थे। कत्थक में भावों की अभिव्यक्ति पर बल है। दक्षिण के नृत्यों में भरतनाट्यम का विशेष महत्व है। इसमें मुद्राओं और अंगों के अद्भुत संचालन से अनंत भाव व्यक्त किए जाते हैं। भरतनाट्यम के अतिरिक्त दूसरा प्रधान नृत्य केरल का कथकली है। वस्तुतः यह एक तरह का नृत्य नाटक है, जिसमें कथा की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। आंध्र प्रदेश की कुचीपुड़ी, उड़ीसा की ओडिसी, मणिपुर की मणिपुरी आदि नृत्य की लोकप्रिय शास्त्रीय शैलियाँ हैं। आधुनिक युग में इन सभी नृत्य शैलियों को संरक्षित और विकसित करने के महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं।

10.3.6 काव्य कला

- 35) इस इकाई में हम काव्य की चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि साहित्य का अध्ययन तो आप साहित्य से संबद्ध पाठ्यक्रमों तथा इकाइयों में विस्तार से करेंगे ही। यहाँ सिर्फ भारतीय साहित्य की प्राचीनता और विविधता को संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की कई ऋचाएँ तो साहित्यिक उत्कृष्टता लिए हुए हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में तत्कालीन लोगों के जीवन के दुख—दर्द, उमंग, उल्लास और आकांक्षाएँ अत्यंत भावप्रवण और कल्पनाशील रूप में व्यक्त हुए हैं। ऋग्वेद संस्कृत की रचना है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण और व्यास का महाभारत संस्कृत के अमर महाकाव्य हैं। कालिदास, भवभूति, भास, अशवघोष आदि कुछ प्रमुख संस्कृत रचनाकार हैं, जिन्होंने महान काव्य ग्रंथों और नाटकों की रचना की। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी महान साहित्य की रचना हुई है। इन भाषाओं में मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म से प्रेरित साहित्य रचा गया। अपभ्रंश की ही विभिन्न शैलियों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। इनमें हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असमी, कश्मीरी आदि प्रमुख हैं। हिंदी का साहित्य लगभग

एक हजार वर्ष पुराना है और आधुनिक युग से पूर्व मुख्यतः ब्रज, राजस्थानी, अवधी, मैथिली आदि बोलियों में रचा गया। दक्षिण की चार भाषाओं—तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ का साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तमिल का साहित्य तो लगभग तीन हजार वर्ष पुराना है। भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की गई है और की जा रही है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचंद्र, सुब्रह्मण्यम् भारती, प्रेमचंद, गालिब, वल्लतोल आदि कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम हैं।

- 36) प्राचीन साहित्य मुख्यतः या तो काव्य के रूप में रचा गया या नाटक के रूप में। भारत में नाट्यकला का विकास काफी पुराना है। भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की पहले चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने नाट्य के विभिन्न अंगों—उपांगों पर विस्तृत विचार किया है। भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत रस सिद्धांत नाट्यकला के विकास से ही अस्तित्व में आया है। भारतीय परंपरा में भरत का स्थान वही है जो पश्चिम में अरस्तू का रहा है। भरत में रंगमंच का अद्भुत विकास हुआ था। नाट्यशास्त्र में रंगमंच, रंगशाला, अभिनय आदि पक्षों पर विस्तृत विचार किया गया है।
- 37) इस तरह भारतीय कला की परंपरा अत्यंत उज्ज्वल और समृद्ध रही है। ललित कलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत भूमि पर आकर बसने वाली विदेशी जातियों के योग से भारतीय कला को नया जीवन मिलता रहा है। आज भारतीय कला का जो भी स्वरूप हमारे सामने उभर कर आता है वह इन सभी जातियों के सामूहिक सहयोग का सुखद परिणाम है। इनमें यूनानी, शक, कुषाण, मुस्लिम आदि जातियाँ प्रमुख हैं।

विशेषण और तुलना

इस इकाई के प्रारंभ में हमने आपको विशेषण से संबंध जानकारी दी थी। आपने 'भारत की ललित कलाएँ' पाठ का अध्ययन कर लिया है। पाठ में दिए गए कुछ अंशों के आधार पर हम आपको 'विशेषण' और 'तुलना' में अंतर बताएँगे।

आपने पाठ में निम्नलिखित वाक्य पढ़े होंगे :

- 1) संगीत काव्य से अधिक भावप्रधान होता है।
- 2) स्थापत्य और मूर्तिकला में स्थापत्य अधिक स्थूल कला है। (पैरा 6)
- 3) संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। (पैरा 35)
- 4) इन तीनों में चित्रकला सबसे अधिक सूक्ष्म कला है। (पैरा 7)

उपर्युक्त चारों वाक्यों में विभिन्न वस्तुओं की विशेषताएँ बताई गई हैं किंतु दूसरी वस्तुओं की तुलना में। पहले दो वाक्यों में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की गई है, जबकि शेष दोनों वाक्यों में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की गई है।

दो वस्तुओं/व्यक्तियों में तुलना : जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषता को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, वहाँ वाक्य रचनाएँ निम्नलिखित ढंग से होंगी—

- i) राम गोपाल से बड़ा है।
- ii) राम और गोपाल में राम बड़ा है।

पहले वाले वाक्य में तुलना के लिए 'से' और दूसरे तरह के वाक्य में 'में' का प्रयोग होगा। दोनों वाक्य रचनाओं से इसका कारण आप समझ गए होंगे।

दो से अधिक वस्तुओं/व्यक्तियों की तुलना : जहाँ दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की विशेषता को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ वाक्य रचनाएँ निम्नलिखित ढंग से होंगी—

- i) राम अपनी कक्षा में सबसे बड़ा है।
- ii) भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है।

आप पाएंगे कि इस तरह के वाक्यों में चूंकि तुलना दो से अधिक वस्तुओं में की गई है और उनमें से किसी एक को सबसे अधिक या कम विशेषता युक्त माना गया है, इसलिए ऐसे वाक्यों में 'सबसे' का प्रयोग होगा।

बोध प्रश्न

- 5) नीचे दिए गए वाक्यों में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की गयी है। आप इन वाक्यों को भिन्न रूप में लिखिए।

उदाहरण : राम श्याम से बड़ा है।

राम और श्याम में राम बड़ा है।

- i) 'प्रेमाश्रम' से 'गोदान' अधिक लोकप्रिय है।

- ii) संगीत, काव्य से अधिक भाव प्रधान है।

- iii) स्थापत्य और मूर्तिकला में स्थापत्य अधिक स्थूल कला है।

- iv) इकबाल ज़फर से तेज़ दौड़ता है।

10.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने ललित कला के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का विशेष अध्ययन किया है। इस इकाई को पढ़ने की प्रक्रिया में आपने :

- वाक्य—रचना के अंतर्गत मुख्य वाक्यांश और पूरक वाक्यांश के संबंध को समझा है और ऐसे वाक्यों में लिंग, वचन, कारक आदि का सही प्रयोग करना भी सीखा है। आप स्वयं ऐसे वाक्यों की सही रचना कर सकते हैं।
- इस पाठ में विशेषणों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसलिए व्याकरणिक विवेचन में 'विशेषण' के अध्ययन द्वारा आपने विशेषण का सही प्रयोग करना सीखा है। अब आप स्वयं विशेषणों का सही रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
- विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलना भी सीखा है। आप स्वयं विशेषण को संज्ञा में बदल सकते हैं। आप प्रविशेषण का भी सही प्रयोग कर सकते हैं।
- दो या अधिक वस्तुओं की विशेषता की तुलना वाले वाक्यों को सही रूप में लिखना भी सीखा है।

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण

- मानविकी की भाषा का प्रयोग सीखने के साथ ही आप ने भारतीय ललित कलाओं के विकास का परिचय भी प्राप्त किया है। इससे आप भारतीय ललित कला का विकास स्वयं अपनी भाषा में बता सकते हैं।

10.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कामता प्रसाद गुरु	: हिंदी व्याकरण, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली—110003
भगवत् शरण उपाध्याय	: भारतीय कला की भूमिका, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, रानी झौंसी रोड, नई दिल्ली— 110005
बृहत् पारिभाषिक शब्द—संग्रह,	अंग्रेज़ी—हिंदी (मानविकी) दो खंडों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

10.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

- 1) तालिका से निम्नलिखित सही वाक्य बन सकते हैं।
 - i) ताजमहल सौंदर्य का प्रतीक लगता है।
 - ii) ताजमहल प्रेम का प्रतीक लगता है।
 - iii) ताजमहल सौंदर्य की अभिव्यक्ति लगता है।
 - iv) ताजमहल प्रेम की अभिव्यक्ति लगता है।
 - v) गांधीजी सत्य के प्रतीक थे।
 - vi) गांधीजी सत्य के पुजारी थी।
 - vii) वह प्रेम का पुजारी था।
 - viii) वह सत्य का पुजारी था।
 - ix) वह प्रेम का प्रतीक था।
 - x) वह सत्य का प्रतीक था।
- 2) i) रामचरितमानस लोकप्रिय काव्य है।
 - ii) भव्य ताजमहल आगरा में स्थित है।
 - iii) उस नदी में गंदा पानी है।
 - iv) वह महान् व्यक्ति है।
- 3) i) वह बालक कैसा स्वरूप है।
 - ii) प्रेमचंद का उपन्यास 'गोदान' सर्वश्रेष्ठ है।
 - iii) मूर्तिकला के विकास में बौद्ध धर्म का योगदान उल्लेखनीय है।

- iv) मौर्यकाल की मूर्तियों में सौंदर्य अद्भुत है।
- 4) i) स्वास्थ्य ii) धर्मनिरपेक्षता iii) सादगी और उच्चता iv) कमज़ोरी
- 5) i) 'प्रेमाश्रम' और 'गोदान' में 'गोदान' अधिक लोकप्रिय है।
 - ii) संगीत और काव्य में संगीत अधिक भावप्रधान है।
 - iii) मूर्तिकला से स्थापत्य अधिक स्थूल कला है।
 - iv) इकबाल और ज़फर में इकबाल तेज़ दौड़ता है।

मानविकी की भाषा (ललित कला) तथा विशेषण



इकाई 11 विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द

इकाई की रूपरेखा

- 11.0 उद्देश्य
- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 विज्ञान की भाषा
- 11.3 विज्ञान के पाठ से संबंध पारिभाषिक शब्द
- 11.4 सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा
- 11.5 सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध पारिभाषिक शब्द
- 11.6 सारांश
- 11.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 11.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विषयक पाठ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक लेखन से आपको परिचित कराना है। इससे आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक लेखन में भाषा की प्रकृति की पहचान कर सकेंगे। इसके साथ ही इकाई में हम आपको पाठ के आधार पर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध पारिभाषिक शब्दावली से भी परिचित कराएंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विज्ञान की भाषा के संदर्भ में हिंदी के विविध प्रयोगों से परिचित हो सकेंगे;
- सूचना प्रौद्योगिकी विषयक अंशों के पारिभाषिक शब्दों के स्वरूप और उनके प्रयोग के बारे में जान सकेंगे; और
- सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में रोजमरा के जीवन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की पहचान कर सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

यह इकाई विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। इकाई 4 में 'मानव की उत्पत्ति और विकास' शीर्षक विज्ञान विषयक पाठ में आपने विज्ञान से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों को पढ़ा था। इस इकाई में आप विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले कुछ और पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानेंगे। पारिभाषिक शब्द क्या हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों के अध्ययन में इनका क्या महत्व है। इस इकाई के अंतर्गत आप यह भी जानेंगे।

विज्ञान की भाषा को समझाने के लिए हम 'पेट्रोलियम' के विषय में लिखा गया एक पाठ दे रहे हैं। इस पाठ का ध्यान से अध्ययन कर आप विज्ञान विषय के लेखन में हिंदी के विशिष्ट स्वरूप को समझ सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को

स्पष्ट करने के लिए हम प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित कुछ खबरें पाठ के रूप में दे रहे हैं। इन खबरों को ध्यान से पढ़कर आप प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट प्रयोग को समझ सकते हैं।

11.2 विज्ञान की भाषा

पेट्रोलियम

1) लगभग साढ़े चार सौ करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी एक लाल तपे हुए गोले के समान थी। उस समय जीव की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वायुमंडल में तब प्राण देने वाली ऑक्सीजन गैस का पता तक नहीं था केवल कार्बन डाइ-ऑक्साइड, वाश्पकण और कुछ अंश में नाइट्रोजन आदि गैसें ही थीं। फिर करोड़ों वर्ष निकल गए। पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी पड़ने लगी। पृथ्वी का भीतरी भाग तो बहुत गर्म और पिघली अवस्था में बना रहा किंतु ऊपरी सतह ठंडी होकर ऊबड़-खाबड़ कड़ी पपड़ी जैसी हो गई। इस प्रकार ऊँचे-ऊँचे पहाड़ तथा छिछले और गहरे समुद्र की तरह गड़दे बन गए। फिर और समय बीता। वायुमंडल में परिवर्तनों के कारण वाष्पकण मेघों के रूप में बने और तापमान कम होने पर मूसलाधार बारिश होने लगी। वर्षा से झीलों और समुद्रों की सृष्टि हुई और पहाड़ों से निचली भूमि पर जाने वाली नदियाँ बनीं। यह भयंकर वर्षा-युग लंबे समय तक बना रहा।

प्रथम जीवों की सृष्टि

2) फिर आज से करोड़ों वर्ष पहले जीवों की सृष्टि हुई। सबसे पहले उद्भिद (उगने वाले, वनस्पति) जीव पैदा हुए जो आजकल के शैवाल से मिलते-जुलते थे। इनके लिए आवश्यक पोषक तत्व—जल और कार्बन डाइ-ऑक्साइड—पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में थे, सो ये उद्भिद पूरी पृथ्वी पर छा गए। फिर उन अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जिनका आहार ये उद्भिद थे। ये प्राणी आजकल के जल में रहने वाले सीपी, घोंघा आदि से मिलते-जुलते थे। इन प्राणियों की उत्पत्ति से जो जीवन—चक्र बना, वह आज तक निरंतर चला आ रहा है—उद्भिद कार्बन डाइ-ऑक्साइड ग्रहण करते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे, अन्य प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते थे और कार्बन डाइ-ऑक्साइड छोड़ते थे। इस प्रकार ये एक—दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे का पोषण संवर्धन करते थे। सभी जीव नश्वर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर छाए ये उद्भिद और अतिलघु जीव—जंतु मरते थे और समुद्रतल में इनके गले—सड़े मृत शरीर जमा होते थे। इनके ऊपर नदियों से निरंतर लाई हुई लाखों टन मिट्टी—कंकड़ जमा होते थे। इस तरह यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। आंतरिक ताप और भारी ऊपरी दाब के कारण इन जैव—कंकालों से एक नया तरल—सा पदार्थ बना, जिसे खनिज तेल कहते हैं। ‘पेट्रोलियम’ इसी खनिज तेल का वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है और इसके अंतर्गत कई तेल, जिन्हें हम मिट्टी का तेल, डीज़ल, पेट्रोल, एस्फाल्ट आदि के नाम से जानते हैं, आते हैं।

चट्टानों के भेद

3) किंतु आप यह कह सकते हैं कि पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि तो पानी से हलके होते हैं फिर ये समुद्र के तल से ऊपर पानी की सतह पर तैरते हुए क्यों नहीं मिलते या पृथ्वी के ऊपर पानी के कुओं की तरह सामान्यतया क्यों नहीं मिल जाते। इसके लिए आपको चट्टानों की रचना पर ध्यान देना होगा। पृथ्वी के आरंभिक काल में जब

निरंतर वर्षा होती रहती थी और वर्षा का पानी जब पहाड़ों से बहते हुए समुद्र में पहुँचता था तब अपने साथ बड़ी मात्रा में कंकड़—मिट्टी ले जाता था। उनसे समुद्र तल पर तहें बनती जाती थीं। बरसों तक लाखों टन मिट्टी एक—दूसरे के ऊपर तहों के रूप में जमा होती रहती थी और लंबे समय के बाद कड़ी होने पर चट्टानें बन जाती थीं। एक के ऊपर एक स्तरों (तहों) में होने के कारण इन्हें स्तरित चट्टानें कहते हैं। इनमें से तरल पदार्थ रिस सकता है और ये अपेक्षाकृत मुलायम होती है। किंतु पृथ्वी में एक दूसरी तरह की चट्टानें भी बन रही थीं। पृथ्वी भीतर से अत्यधिक गर्म है और वहाँ पिघली अवस्था में धातुमिश्रित पदार्थ थे। ये पदार्थ जब ऊपर फूट पड़ते थे तो कड़ी चट्टानें बना देते थे। आग से तपने के कारण ये चट्टानें कठोर और अभेद्य होती थीं। अग्नि से बनने के कारण ये आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं।

पेट्रोलियम के मूल स्रोत

- 4) पेट्रोलियम स्तरित चट्टानों के भीतर रिसता रहता है और रिस—रिस कर जगह—जगह इकट्ठा हो जाता है; किंतु आग्नेय चट्टानों के पार नहीं जा सकता है, वहाँ रुक जाता है। चूँकि स्तरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें पृथ्वी में बेतरतीब फैली हुई हैं, इसलिए पेट्रोलियम स्तरित चट्टानों के बीच फँस जाता है। इस प्रकार खनिज तेल के कुंड पृथ्वी के भीतर बन जाते हैं। कुंड के नीचे और अगल—बगल आग्नेय चट्टानें होती हैं, इसलिए पेट्रोलियम वहाँ युगों तक जमा रहता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में, जगह—जगह भ्रंश होते हैं, जहाँ चट्टानें टूट जाने के कारण ऊँची—नीची होती हैं। भ्रंश से उत्पन्न दरार पर रिसता हुआ पेट्रोलियम धरती की सतह पर आ जाता है और तेल की छोटी—सी झील बन जाती है। ऐसे तेल को वैज्ञानिक 'निस्यंदन तेल' कहते हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम दो प्रकार से मिलता है— तेल कुंडों से और निस्यंदनी झीलों से।

निस्यंदन तेल

- 5) सबसे पहले लोगों की दृष्टि में पेट्रोलियम 'निस्यंदन तेल' के रूप में आया, क्योंकि यह सतह पर मिलता था और इसके लिए भू—खनन (पृथ्वी खोदने) की आवश्यकता नहीं थी। यह तेल पानी की तरह तरल नहीं होता बल्कि कुछ गाढ़ा होता है। ऊपर वायुमंडल के संपर्क में यह कुछ सूख जाता है और कुछ काले कठोर पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ता है। गरमी पाकर यह नरम चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जिसे एस्फाल्ट या बिटूमन कहते हैं। एस्फाल्ट के बीच से पानी नहीं रिस सकता। इस गुण को देखते हुए प्राचीन काल में लोग इसे जहाजों के तख्तों के जोड़ों में भर देते थे। जहाजों के तले और भीतरी सतहों पर भी यह लगाया जाता था। मकान बनाने में भी पथर जोड़ने में लोग इसे काम में लाते थे। दक्षिण अमेरिका की अत्यंत प्राचीन इन्का सभ्यता और प्राचीन बेबीलोनी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि एस्फाल्ट को वे काम में लाते थे। मध्य युग में निस्यंदन तेल खुजली तथा घावों पर मलहम के रूप में प्रयुक्त होता था और कुछ दवाइयाँ भी इससे बनती थीं। पिछली सदी में एक वैज्ञानिक ने इंग्लैंड में इसे साफ करने की विधि निकाली। साफ करने से तीन प्रकार के पदार्थ प्राप्त हुए— सबसे पतला लाल पदार्थ दीपों में प्रकाश करने में, उससे भारी मशीनों में लुब्रिकेटिंग तेल के रूप में और सबसे गाढ़ा मोमबत्ती बनाने में काम आता था।
- 6) इस प्रकार निस्यंदन तेल से तो लोग प्राचीनकाल से निरंतर न्यूनाधिक परिचित रहे हैं किन्तु भू—खनन द्वारा तेल—कुंड से पेट्रोलियम प्राप्त करने की जानकारी दो—तीन सौ साल के भीतर की है। चीन में अवश्य लगभग दो—हजार साल पहले पृथ्वी से कूप खनन द्वारा तेल निकालने और बाँस की नली से बनी पाइप—लाइनों द्वारा उसे दूर

ले जाने के उल्लेख मिले हैं, किंतु अधिक विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है। पिछली सदी में कूप खनन द्वारा तेल निकालने की कहानी बड़ी रोचक है। अमेरिका में जब यूरोप से लोग जा-जाकर बसने लगे तो पीने के पानी की समस्या सामने आई। अतः कुएँ खोदे गए, पर अनेक स्थानों पर पानी की जगह अजीब सा तेल निकला। पहले तो ऐसे कुएँ छोड़ दिए जाते थे, किंतु बाद में किसी समझदार व्यक्ति ने यह परीक्षण किया कि क्या प्रकाश-व्यवस्था में इसका वनस्पति तेल के स्थान पर, प्रयोग किया जा सकता है। आरंभ में तेल में लौ लगाते ही वह तुरंत फक से जल जाता था लेकिन रोशनी कम, काला धुँआ अधिक देता था। बाद में उस तेल को शुद्ध करने का प्रयास किया गया और पता चला कि शुद्ध किया गया तेल साफ्-सफेद रोशनी देता है। धीरे-धीरे इस तेल की माँग बढ़ी। कुओं को भी गहरे खोदने का प्रयत्न किया गया। सन् 1859 में अमेरिका के पेन्सिल्वैनिया राज्य में तेल का पहला कूप खोदा गया और इस खनन-कार्य का संचालन रेल कंपनी के एक गार्ड एडविन ड्रैक ने किया था। 17 अगस्त, 1859 को कूप के निचले तल से फौवारे की तरह तेल फूट निकला। सभ्यता के इतिहास में वह एक महत्वपूर्ण क्षण था।

तेलकुंडों की खोज

- 7) पहले निस्यंदन स्थान के पास तेल-कूप खोदे जाते थे। किंतु इन स्थानों पर तेल की मात्रा सीमित रहती है क्योंकि भूकंप या अन्य कारणों से मूल स्रोत से निस्यंदन स्थान का मार्ग कठोर चट्टानों से अवरुद्ध हो सकता है और यह भी हो सकता है कि मूल स्रोत उस स्थान से बहुत दूर हो। वास्तव में भूगर्भ में स्थित तेलकुंडों पर ही यह भरोसा किया जा सकता है कि लंबे काल तक बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम मिल सके। पर ये तेलकुंड पर्याप्त गहराई में होते हैं और ऊपर से पता नहीं चल पाता। तेलकुंडों की खोज ही वस्तुतः सबसे कठिन कार्य है, एक बार वे मिल गए तो फिर शेष काम आसान हो जाते हैं। नई-नई वैज्ञानिक विधियों ने इसे पहले की तुलना में तो सरल कर दिया है, फिर भी यह खोज लंबे समय और प्रचुर धनराशि की अपेक्षा रखती है।
- 8) सबसे पहले वायुयानों से चप्पे-चप्पे के फोटो लिए जाते हैं। फिर जिस स्थान पर तेल मिलने की संभावना होती है वहाँ कुछ वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण किए जाते हैं। यह अध्ययन-परीक्षण तीन दृष्टियों से होते हैं— **भूगर्भ-शास्त्रीय, भू-भौतिकीय और भू-रासायनिकीय**। भूगर्भ-शास्त्र द्वारा वहाँ की चट्टानें कहाँ हैं, आग्नेय चट्टानें कहाँ हैं, वे एक-दूसरे पर किस क्रम तथा व्यवस्था से पड़ी हैं, वे कौन-से स्थान हैं जहाँ आग्नेय-चट्टानों ने कुंड बना लिए हैं, इसे जानने के लिए धरती के भीतर किसी स्थान पर विस्फोट करते हैं। विस्फोट से तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे विभिन्न चट्टानों की सतहों पर जाकर टकराती हैं और टकराकर लौटती हैं इस प्रतिध्वनि को भू-फोन ग्रहण करते हैं। और जिस प्रकार प्रतिध्वनित तरंगों से रेडार वस्तुओं की प्रकृति व दूरी का पता लगाते हैं, उसी प्रकार भू-फोनों से पता चल जाता है कि स्तरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें कहाँ किस प्रकार फैली हैं; भू-भौतिकी द्वारा **गुरुत्वाकर्षण** और **चुंबकीय-शक्ति** को नापते हैं और इनके मामूली-से-मामूली अंतरों से तेलकुंड की संभावित स्थिति का पता लगाते हैं। **भू-रासायनिकी** द्वारा ऊपरी पत्थरों और अलग-अलग स्थलों पर खनन से प्राप्त मिट्टी की रासायनिक परीक्षा करते हैं और खनिज तेल की प्राप्ति के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। तेल कुंड प्रायः दुर्गम स्थानों, घने जंगलों, रेगिस्तानों और समुद्रतलों में होते हैं, इसलिए खर्चा और भी बढ़ जाता है। कभी-कभी तो करोड़ों खर्च करके भी केवल निराशा हाथ आती है।

तेल कूपों का खनन

- 9) जब एक बार खोज के बाद तेल का पता चल जाता है तो तेल कूप का खनन आरंभ होता है। इस दिशा में आधुनिक इंजीनियरिंग ने बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली है। लोहे की ऊँची-ऊँची तिकोनी मीनारें बनाई जाती हैं जिन्हें 'डेरिक' कहते हैं। खुदाई के यंत्र को ड्रिलिंग रिंग कहते हैं। इसके मुँह पर मजबूत दाँतों वाली तीन चकिकयाँ तेजी से घूमती हैं, जो मजबूत से मजबूत पथर को काट देती हैं। यह दूसरी बात है कि आग्नेय चट्टानों में कभी-कभी पाँच-छह फुट में ही इनके दाँत टूट जाते हैं और बार-बार उनको बदलना पड़ता है। इसे काटने में यंत्र का काटने वाला भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और उसे निरंतर ठंडा किया जाता है। पहले कीचड़ के साथ मिट्टी, बालू पथर के टुकड़े और कुछ कड़ी चट्टानों के अंश निकलते हैं। वैज्ञानिक निरंतर इन सबकी रासायनिक परीक्षा करते रहते हैं और तेल कितनी दूर पर हो सकता है इसका पता लगाते रहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल की सतह पर खोदने वाले यंत्र की रगड़ से तेल और गैस, जो बड़े वेग से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, आग पकड़ सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो पूरा तेल जलकर समाप्त हो जाएगा। कूप-खनन एक दुष्कर और जोखिम भरा कार्य है, इसलिए इसमें सभी प्रकार की सावधानियाँ निरंतर बरती जाती हैं।

तेल का शोधन

- 10) आरंभ में तेल बड़ी तेजी से निकलता है और उसे तुरंत पाइपों के द्वारा बड़ी-बड़ी टंकियों में भेज दिया जाता है। फिर धीरे-धीरे वेग कम हो जाता है और अंत में पंप की सहायता से तेल निकाला जाता है। तेल से सबसे पहले प्राकृतिक गैस को वहीं तेलकूप पर अलग कर दिया जाता है। इसी गैस के तरलीकृत रूप से हमारे घरों में गैस के चूल्हे जलते हैं। शेष अपरिष्कृत तेल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेट्रोलियम या खनिज-तेल कहा जाता है, तेल शोधन कारखानों में लंबी-लंबी पाइप लाइनों द्वारा भेज दिया जाता है। तेल शोधन-शाला (रिफाइनरी) में इस तेल को गरम किया जाता है। विशाल भट्ठी में फैले फौलाद के पाइपों के बीच से तेल को गुजारा जाता है। मुख्य शोधन-प्रक्रिया बेलनाकार मीनार में होती है। गोल मीनार लगभग 30 मीटर ऊँची और औसतन 5 मीटर व्यास की होती है। इसमें अलग-अलग ऊँचाइयों पर ट्रे लगी होती है। सबसे नीचे की मंजिल पर भट्ठी से तप्त खनिज तेल गैस रूप में होता है। इससे ऊपर की मंजिल तक पहुँचते-पहुँचते यह गैस ठंडी हो जाती है और तेल की भारी गैस बगल के ट्रे में गाढ़ी होकर लुब्रीकेटिंग (मशीन के तेल) को पैदा करती है। इसी प्रकार इससे ऊँची मंजिल से डीज़ल तेल, उससे ऊपर मिट्टी का तेल, उससे ऊपर पेट्रोल क्रमशः ट्रे में जमा होता रहता है। सबसे ऊपर पेट्रोलियम गैस रूप में रह जाता है और सबसे नीचे कुछ गाढ़े पदार्थ बच जाते हैं जैसे, पैराफिन (जिससे मोमबत्ती बनती है), एस्फाल्ट-बिटुमन (तारकोल आदि जिससे रंग और सुगंधित इत्र आदि बनते हैं), सफेद तेल (जो दवाइयों आदि में प्रयुक्त होता है) आदि।

भारतीय स्थिति

- 11) भारत में कूप खोजने व खनन करने, पाइप-लाइन बिछाने व रख-रखाव करने, शोधन-शालाओं में शोधन आदि करने का उत्तरदायित्व 'तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग' को सौंपा गया है। डिगबोई और बंबई हाई तेल के बड़े स्रोत हैं। इन जगहों का और बाहर से आयात किया हुआ तेल बंबई, कोचीन, बरौनी, गुवाहाटी, बड़ौदा, हल्दिया, मथुरा आदि की तेल शोधनशालाओं में परिष्कृत किया जाता है। वर्तमान विकास को देखकर कहा जा सकता है कि हम तेल के मामले में बड़ी सीमा तक आत्म-निर्भर हो जाएँगे।

11.3 विज्ञान के पाठ से संबद्ध पारिभाषिक शब्द

विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द

अभी आपने विज्ञान विषय से संबद्ध पाठ का अध्ययन किया। अध्ययन करने की प्रक्रिया में देखा होगा कि विज्ञान विषय से संबद्ध विचारों को विशिष्ट शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे, हम सब सामान्य बोलचाल की भाषा में चट्टान शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन भूविज्ञान में चट्टानों के प्रकारों को अलग-अलग शब्दों से व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे, इस पाठ में स्तरित और आनेय चट्टानों की बात कही गई है। ऐसे विशिष्ट विचारों के विशिष्ट शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द (technical terms) कहा जाता है। हम पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लें तो उससे व्यक्त हुए विचार जान सकते हैं और विषय को समझ सकते हैं।

'पारिभाषिक' शब्द की रचना 'परिभाषा' (definition) शब्द से हुई है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएँ बाँध दी गई हों अर्थात् पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है। एक परिभाषा देखिए— भूविज्ञान—ज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी की रचना के बारे में अध्ययन करते हैं।

नीचे पाठ में आए कुछ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है।

नोट : शब्दों के बाईं तरफ लिखी गई संख्या पाठ में आई पैरा संख्या है।

- 1) वायुमंडल : पृथ्वी के चारों ओर कई तरह की गैसें व्याप्त हैं। इन गैसों को वायु कहा जाता है और इनसे बनने वाले पूरे वातावरण को वायुमंडल कहते हैं।
- 2) वाष्पकण : वायुमंडल में व्याप्त पानी के वे छोटे-छोटे कण जो वाष्प रूप में होते हैं।
- 3) उद्भिद : बालों के लच्छों की तरह पानी में फैलनेवाली एक घास। यह अत्यंत निम्न कोटि का उद्भिद है, जिसमें जड़ आदि अलग नहीं होती।
- 1) शैवाल : भूमि को भेदकर उत्पन्न होने वाला, जो जमीन फोड़कर निकलता हो। यह उद्भिद जीव होता है और प्राणिगण की भाँति जन्म लेता और मरता है। मस्तिष्क न रहने पर भी यह अनुभव की शक्ति रखता है।
- 7) भूर्गमृश्य : पृथ्वी का आंतरिक भाग।
- 5) भूखनन : पृथ्वी में की जाने वाली खुदाई।
- 7) भूकंप : पृथ्वी के भीतर किसी स्थान पर अचानक विस्फोट से उसके चारों ओर की चट्टानें बिखरने लगती हैं। चट्टानों के आगे-पीछे खिसकने से तरंगे उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों से पृथ्वी के ऊपरी भाग में भी कंपन आता है, इसे ही भूकंप कहते हैं।
- 8) भूगर्भशास्त्र : विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि की भीतरी बनावट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भूगर्भशास्त्रीय : भूगर्भशास्त्र से संबंधित। भूभौतिकी : भूमि के भीतरी भाग का भौतिकशास्त्रीय अध्ययन। भू-रासायनिकी : भूमि के भीतरी भाग का रसायनशास्त्रीय अध्ययन।
- 2) ताप : शाब्दिक अर्थ गर्मी-ऊष्णता-प्रत्येक वस्तु (सजीव और निर्जीव) किसी न किसी ताप पर रहती है, जिसमें बाहरी या आंतरिक परिवर्तन से उतार-चढ़ाव भी आता है। ताप को मापने के यंत्र को तापमापक यंत्र (थर्मोमीटर) कहते हैं। थर्मोमीटर द्वारा

मापी गई ताप की मात्रा को तापमान या तापक्रम कहते हैं। ताप के लिए ऊष्मा (heat) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है किंतु ऊष्मा को मापने के अर्थ में 'ताप' शब्द का ही प्रयोग होता है।

- 2) दाब : शाब्दिक अर्थ— दबाने का भाव— प्रत्येक वस्तु (सजीव और निर्जीव) ताप की ही तरह दाब में रहती है अर्थात् उसके चारों ओर का वातावरण उस पर निश्चित दबाव डालता है। दाब के बढ़ने या घटने से वस्तु की स्थिति और रूप में भी परिवर्तन आता है। ताप और दाब में भी गहरा संबंध है। दाब बढ़ने से तापमान बढ़ता है और दाब घटने से तापमान घटता है। जैव कंकालों पर आंतरिक ताप और ऊपरी भारी दाब से ही तरल पदार्थों का निर्माण हुआ, जो आज खनिज तेल के रूप में उपलब्ध है।
- 4) भ्रंश : (फाल्ट) — पृथ्वी के भीतर चट्टानों की कई तहें होती हैं। ये चट्टानें बेतरतीब होती हैं। कहीं चट्टानों की सतह कम ढलाव लिए होती है और कहीं अधिक ढलाव लिए। इस कारण पृथ्वी की इस भीतरी रचना में कई स्थलों पर चट्टानें टूट जाती हैं, जिन्हें भ्रंश (फाल्ट) कहते हैं।
- 8) गुरुत्वाकर्षण : भार के कारण वस्तु का पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा जाना। जैसे हम किसी वस्तु को हाथ से छोड़ें तो वह सीधे पृथ्वी की ओर जाएगी।
- 9) चुंबकीय शक्ति : चुंबक — एक तरह का प्राकृतिक या कृत्रिम पत्थर जो लोहे को अपनी ओर खींचता है— चुंबकीय शक्ति— अपनी ओर खींचने की शक्ति। पाठ में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति की ओर संकेत है क्योंकि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। चुंबक की तरह पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी।
- 8) भूफोन (**geophone**) : पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली किसी उथल—पुथल या विस्फोट के कारण उठने वाली तरंगों को ग्रहण करने वाला यंत्र। इसमें हम चट्टानों की स्थिति का पता लगाते हैं।
- 8) रेडार (**radar**) : एक ऐसा यंत्र जो वायु तरंगों से आकाश में विचरण करने वाली वस्तुओं की प्रकृति व दूरी का पता लगाता है।
- सोनार (**sonar**) : वह यंत्र जो जल तरंगों से जल के भीतर की वस्तुओं की दूरी नापता है।
- 8) तेल कुंड : पृथ्वी के भीतरी भाग में जहाँ खनिज तेल का भंडार हो उस जगह को तेल कुंड कहते हैं। तेलकूप— भूखनन द्वारा जिस जगह से तेल निकाला जाए, उसे तेलकूप कहते हैं।
- 9) डेरिक (**derrick**) : तेल खनन के लिए तेल कूपों में लगाया जाने वाला लोहे का ऊँची—ऊँची तिकोनी मीनारों वाला यंत्र।
- 9) ड्रिलिंग रिंग (**drilling ring**) : तेलकूपों में से तेल खनन करने वाला यंत्र।
- 10) शोधन— खनिज तेल (पेट्रोलियम) जब निकाला जाता है तो अपरिष्कृत (crude) अवस्था में होता है। इन्हें शोधनशालाओं में शोधित (साफ) किया जाता है। खनिज तेल को साफ करने की इस प्रक्रिया को शोधन प्रक्रिया (refining) कहते हैं। शोधन के द्वारा डीजल (diesel) मिट्टी का तेल (kerosene), पेट्रोल (petrol), पैराफिन

(parafin) जिससे मोम तैयार किया जाता है, एस्फाल्ट (asphalt) जिससे डामर मिलता है, लुब्रीकेटिंग आयल आदि पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं।

प्राकृतिक गैस : भूखनन पृथ्वी को खोदकर जो अपरिष्कृत तेल (crude oil) प्राप्त होता है, उसमें आरंभ में ज्वलनशील गैस निकलती है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। यही गैस घरों में खाना बनाने के काम आती है। यह प्राकृतिक गैस वैसे तो अधिक दाब में द्रव (liquid) रूप में रहती है किंतु सामान्य तापक्रम पर यह गैस में परिणत हो जाती है।

बोध प्रश्न

आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। इस पाठ पर आधारित कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं। इन वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- 1) भूखनन द्वारा जिस जगह से तेल निकाला जाए उसे कहते हैं।
- 2) ताप के लिए शब्द का प्रयोग भी किया जाता है।
- 3) पृथ्वी में की जाने वाली खुदाई कहलाती है।
- 4) वायु तरंगों से आकाश में विचरण करने वाली वस्तुओं की प्रकृति और दूरी का पता लगाने वाला यंत्र कहलाता है।
- 5) जल तरंगों द्वारा जल के भीतर की वस्तुओं की दूरी नापने वाला यंत्र कहलाता है।
- 6) तेलकूपों में से तेल खनन करने वाला यंत्र कहा जाता है।
- 7) वायुमंडल में वाष्प रूप में विद्यमान पानी के छोटे-छोटे कण कहलाते हैं।
- 8) पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली किसी उथल-पुथल या विस्फोट के कारण उठने वाली तरंगों को ग्रहण करने वाला यंत्र कहलाता है।
- 9) पृथ्वी के भीतरी भाग में चट्टानों के आगे-पीछे खिसकने से उत्पन्न तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग में कंपन पैदा करती हैं। यह कंपन कहलाता है।
- 10) पृथ्वी के आंतरिक भाग को कहते हैं।

11.4 सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा

विज्ञान विषयक लेखन में हिंदी भाषा के स्वरूप से परिचय के बाद अब आपको सूचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लेखन में हिंदी के भाषिक प्रयोग से अवगत कराया जाएगा। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विषयक लेखन में हिंदी के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया है। हिंदी लेखन के भीतर अंग्रेजी या तकनीक से संबंधित आगत शब्दों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये शब्द हमारे रोजमर्रा के जीवन के अभिन्न अंग भी बन गए हैं। जैसे : मोबाइल फोन का प्रयोग करते समय हम स्वतः ही 'मैसेज', 'व्हाट्स एप', 'यू ट्यूब', आदि का प्रयोग करते हैं। यद्यपि 'मैसेज' का हिंदी अनुवाद संदेश है परन्तु उसका प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता। ये आगत शब्द और ऐसे ही अन्य अनेक शब्द सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने

वाले विभिन्न शब्द हैं। आइए सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ खबरों के माध्यम से हम भाषिक स्तर पर आ रहे इस बदलाव को समझने का प्रयास करते हैं।

1) कैश लैस होगा देश हमारा

देश में कैशलैस अर्थव्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के पास क्रेडिट, डेबिट कार्ड के अलावा बिटकॉइन जैसी आभासी करेंसी ही हो, बल्कि इसके कई अन्य तरीके हैं जिसमें न तो बैंक जाने की जरूरत है, न एटीएम की खोजबीन करने की। अब तो कई बैंकिंग और आर्थिक लेन-देन वाली सेवाएँ हमारे मोबाइल (स्मार्टफोन) और कंप्यूटर से जुड़ गई हैं जिनसे कभी भी और कहीं भी किसी सेवा या सामान की खरीददारी हो सकती है। ऐसा ही एक तरीका है ई-वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, जिसकी मदद से कुछ भी खरीददारी करते वक्त रुपये-पैसे का भगुतान किया जा सकता है।

साभार – विज्ञान प्रगति

फरवरी 2017

2) क्या है इंटरनेट का भविष्य-

फिलहाल दुनिया की इंटरनेट सेवाएँ जमीन और समुद्र के नीचे बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए मिल रही हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि पूरी दुनिया को इन केबल्स के माध्यम से इंटरनेट सेवाएँ अब ज्यादा दिनों तक नहीं दी जा सकेंगी। इसकी वजह यह है कि इतने वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से होकर गुजरने वाला डाटा जल्दी ही अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगा और तब अतिरिक्त डाटा भेज पाना सम्भव नहीं होगा। कंप्यूटर, लैपटाप, टैबलेट और मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट की माँग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है और इस मांग के हिसाब से ऑप्टिकल केबल्स पर डाटा ट्रांसफर कर पाना संभव नहीं होगा। यही नहीं, इन सारे उपकरणों पर जितनी बिजली की खपत हो रही है, उसकी भी एक सीमा है। अगर किसी वजह से लाखों मील लंबाई में फैले इन केबल्स का कुछ हिस्सा प्रभावित हो जाए, तब भी इंटरनेट का ट्रैफिक रुक सकता है। भूंकप, सुनामी या पानी के अंदर चलने वाले जहाजों के एंकर के टकराने से ये केबल्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। वर्ष 2008 में ऐसी एक घटना हो चुकी है जब मिस्र समेत कुछ देशों की इंटरनेट सेवाएँ बंद हो गई थीं।

साभार–विज्ञान प्रगति

मई – 2016

3) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गढ़ेगी नई दुनिया-

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसमें मशीन को कृत्रिम बुद्धि देने का काम किया जाता है। रोबोट सहित अन्य मशीनें इस श्रेणी में आती हैं। वैज्ञानिकों ने इस ओर कई सघन प्रयास किए हैं किन्तु अभी भी पूरी तरह से कृत्रिम मशीनें नहीं बन पाई हैं। इन्हें अपने फैसले लेने के लिए मानव पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उद्देश्य यह है कि मशीन खुद तय करे कि उसकी अगली गतिविधि क्या होगी।

साभार– विज्ञान प्रगति

अगस्त 2017

4) मानव शरीर का 79वाँ अंग—मेसेंटरी—

मानव शरीर एक जटिल व शानदार संगठन है जिसके विभिन्न अंगों व उनकी कार्य प्रणाली के संबंध में वैज्ञानिक समय—समय पर कई नई खोज व शोध करते रहते हैं इन्हीं खोजों व शोधों के द्वारा हमें मानव शरीर की संरचना व उससे जुड़ी बीमारियों एवं उनसे बचने के उपायों की नई—नई जानकारियाँ मिलती हैं।

विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द

आयरलैंड की लाइमरिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे. केविन कॉफरी ने मानव पाचन तंत्र में एक नए अंग की खोज की है। इस नए अंग का नाम ‘मेसेंटरी’ है। मेसेंटरी हमारे शरीर में पेट में पाया जाता है जो पेट, आँत, स्प्लीन (प्लीहा) और पैंक्रियाज को जोड़ता है। ‘मेसेंटरी’ के पुनर्वर्गीकरण के निष्कर्ष को लैंसेट गैस्ट्रोएंटीरोलॉजी और हिपेटोलॉजी नामक शोध पत्र में प्रकाशित किया गया है।

साभार— विज्ञान प्रगति

मार्च 2017

5) नैनो नाम नया संदर्भ पुराना –

नैनो आकार के कणों के विज्ञान को ही नैनोविज्ञान कहते हैं और नैनोविज्ञान का ही व्यवहारिक रूप है, नैनोटेक्नोलॉजी। दरअसल, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है—विज्ञान का जीवन की जरूरतों के लिए उपयोग। विज्ञान पहले व्यावहारिक विज्ञान बनता है और फिर उसका रूपांतरण टेक्नोलॉजी में होता है।

साभार— विज्ञान प्रगति

मई – 2016

11.5 सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध पारिभाषिक शब्द

ऊपर के अंशों में आपने सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ खबरों का वाचन किया। इन अंशों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अंग्रेजी से जस का तस प्रयुक्त करते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्दों को व्याख्यायित किया गया है।

बिटकॉइन— बिटकॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, इसका भौतिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है बल्कि कंप्यूटर पर यह कोड के रूप में मौजूद रहती है। इंटरनेट से लैस कंप्यूटर के माध्यम से इसकी खरीद—बिक्री होती है।

ई—वॉलेट — ई वॉलेट मोबाइल फोन और कंप्यूटरों से जुड़ा पर्स है जिसमें जरूरत के मुताबिक एक निश्चित रकम रखी जा सकती है। ई—वॉलेट में व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट या डेबिट—क्रेडिट कार्ड के द्वारा धनराशि रखता है।

नेट बैंकिंग — नेट बैंकिंग कागज रहित बैंकिंग है, जिसमें बैंकिंग से जुड़े अधिकतर कामकाज घर बैठे ही किए जा सकते हैं। जैसे : – किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर करना, बिजली, मोबाइल या गैस बिल का भुगतान करना, ड्राफ्ट बनवाना, टिकट बुक करना, चेकबुक हासिल करना, ये सब नेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे किए जा सकते हैं।

नीचे दिया गया अभ्यास सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले कुछ विशिष्ट शब्दों की समझ के लिए है। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर या सूचना प्रौद्योगिकी

संबंधी किसी पुस्तक अथवा पत्रिका का अध्ययन कर आप सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अन्य शब्दों को जान सकेंगे।

अभ्यास

कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले 15 शब्द लिखिए।

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

बोध प्रश्न

निम्नलिखित विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

11) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

12) नैनो टेक्नोलॉजी

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

13) कैशलैस अर्थ व्यवस्था

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

14) मेसेनटरी

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

15) स्मार्टफोन

विज्ञान और सूचना
प्रौद्योगिकी की भाषा तथा
पारिभाषिक शब्द

11.6 सारांश

विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आपको हिंदी में विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी लेखन-विधि से परिचित कराना है।

इस इकाई में आप जान चुके हैं कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ क्या है तथा उनके प्रयोगों का महत्व क्या है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विषयक किसी सामग्री का अध्ययन करते समय उसमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आप स्वयं कर सकने में सक्षम होंगे।

11.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

बृहत् पारिभाषिक शब्द—संग्रह, अंग्रेज़ी—हिंदी (विज्ञान) दो खंडों में, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

विज्ञान प्रगति : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का हिंदी मासिक।

11.8 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

- 1) तेलकूप
 - 2) ऊषा
 - 3) भूखनन
 - 4) रेडार
 - 5) सोनार
 - 6) ड्रिलिंग रिंग
 - 7) वाष्पकण
 - 8) भूफोन
 - 9) भूकंप
 - 10) भूगर्भ
- 11) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसमें मशीन को कृत्रिम बुद्धि देने का काम किया जाता है।
- 12) नैनो आकार के कणों के विज्ञान को नैनो विज्ञान कहते हैं। नैनो विज्ञान के व्यावहारिक रूप को नैनोटेक्नोलॉजी कहा जाता है।
- 13) ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके भीतर किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन कैशरहित हो।
- 14) मानव पाचन तंत्र से संबंधित एक अंग।

- 15) ऐसा मोबाइल फोन जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी आधारभूत फोन की तुलना में अधिक होती है। ऐसे फोन में पीडीए, मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, जीपीएस, टचस्क्रीन, वेब-ब्राउजिंग, वाई-फाई, अन्य पार्टियों के मोबाइल ऐप्स, मोशन सेंसर, मोबाइल पेमेंट आदि सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

अभ्यास

नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डिजिटल करेंसी, गूगल, वेबसाइट, डॉट कॉम, स्मार्ट कार्ड, स्वाइप मशीन, फेसबुक, टिवटर, वाट्सअप, मैसेंजर, पेटीएम, इंस्टाग्राम।



इकाई 12 विधि एवं प्रशासन की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द और अर्थ

इकाई की रूपरेखा

- 12.0 उद्देश्य
 - 12.1 प्रस्तावना
 - 12.2 राजभाषा हिंदी
 - 12.3 हिंदी की सांविधानिक स्थिति
 - 12.4 संविधान की व्यवस्था के आधार पर की गई कार्रवाई
 - 12.4.1 राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति
 - 12.4.2 राष्ट्रपति का आदेश 1960
 - 12.4.3 राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई
 - 12.5 राजभाषा अधिनियम (यथा संशोधित) 1967
 - 12.5.1 संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग
 - 12.5.2 कानूनों के हिंदी अनुवाद को मान्यता
 - 12.5.3 वार्षिक कार्यक्रम
 - 12.6 राजभाषा नियम 1976
 - 12.7 भाषा विवेचन
 - 12.7.1 राष्ट्रभाषा
 - 12.7.2 संपर्क भाषा
 - 12.7.3 राजभाषा हिंदी का स्वरूप
 - 12.8 शब्दावली
 - 12.9 भाषिक विवेचन
 - 12.9.1 अनेकार्थी शब्द
 - 12.9.2 भिन्नार्थक शब्द
 - 12.9.3 समानार्थी शब्दों के अर्थगत भेद
 - 12.9.4 एक शब्द प्रतिस्थापन
 - 12.9.5 वर्तनी संबंधी कुछ भूलों का सुधार
 - 12.10 सारांश
 - 12.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
 - 12.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर
-

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- राजभाषा हिंदी की सांविधानिक स्थिति को समझा सकेंगे;
- राजभाषा अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था को समझा सकेंगे;
- विभिन्न राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच पत्र—व्यवहार की भाषा बता सकेंगे;

- राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर कर सकेंगे;
- संपर्क भाषा के महत्व को बता सकेंगे;
- राजभाषा हिंदी के स्वरूप का विवेचन कर सकेंगे;
- प्रशासनिक तथा विधिक क्षेत्र में हिंदी की शब्दावली और अभिव्यक्तियों की विशिष्टता को समझा सकेंगे;
- अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी तथा राजभाषा हिंदी की समानताओं और असमानताओं को बता सकेंगे; और
- हिंदी में अनेकार्थी, समानार्थी, भिन्नार्थक शब्दों (विशेषकर पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ में) तथा अन्य व्याकरणिक रूपों को समझ कर उनका उपयुक्त प्रयोग कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाइयों में आपने विविध विषयों के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। उन्हीं इकाइयों में हमने आप को हिंदी के व्याकरणिक पक्षों और अन्य विषयों से संबंध पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी भी दी है। हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त करने पर जोर दिया गया है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में अन्य भाषा—भाषी हिंदी के माध्यम से संप्रेषण करने में सक्षम होते हैं और यहाँ से हिंदी संपर्क भाषा का कार्य करने लगती है।

इस इकाई में आप विशेष रूप से हिंदी भाषा संबंधी सांविधानिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसके साथ—साथ हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थी शब्दों की जानकारी भी देंगे।

12.2 राजभाषा हिंदी

आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि हिंदी राजभाषा किस प्रकार बनी? इसका स्वरूप क्या है? इसका प्रयोग कहाँ—कहाँ होता है? इस पाठ में हम आपको बताएँगे कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में क्या—क्या व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था किस प्रकार हुई है तथा इसे किस प्रकार लागू किया गया है।

आपने ध्यान दिया होगा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनपत्र का जो फॉर्म आपको मिलता है वह अंग्रेजी तथा हिंदी दो भाषाओं में छपा होता है। आपने और भी कई फॉर्म दो भाषाओं में छपे देखे होंगे। जैसे— मनीऑर्डर फॉर्म, रेल यात्रा में आरक्षण के लिए फॉर्म आदि। रेल यात्रा करते समय आपने गौर किया होगा कि यात्रियों के लिए सभी सूचनाएँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपी रहती हैं। विभिन्न कार्यालयों के नामों के बोर्ड भी आपने हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे देखे होंगे। कहीं—कहीं आपने देखा होगा कि ये बोर्ड तीन भाषाओं में छपे हैं। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठा हो कि ये फॉर्म या सूचनाएँ दो भाषाओं में क्यों हैं? और फिर हिंदी और अंग्रेजी में ही क्यों हैं? या फिर कुछ कार्यालयों के नाम के बोर्डों में तीन भाषाओं का इस्तेमाल क्यों है? इस पाठ में हम आपके मन में उठे सवालों का उत्तर देंगे तथा आपको बताएँगे कि कुछ कामों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल क्यों होता है।

12.3 हिंदी की सांविधानिक स्थिति

विधि एवं प्रशासन की भाषा
तथा पारिभाषिक शब्द और
अर्थ

संविधान सभा का निर्णय : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने काफी बहस के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ—साथ भारतीय संविधान लागू हुआ और हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार कर लिया गया।

किंतु अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना संभव न था। ब्रिटिश शासन—व्यवस्था का संचालन अंग्रेजी में होने के कारण सभी कानून अंग्रेज़ी में थे और सारी प्रशासनिक कार्यविधि का साहित्य अंग्रेज़ी में था। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेज़ी ही था। ऐसी स्थिति में भाषा को एकदम बदलने से असुविधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए अगले पंद्रह वर्षों के लिए राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जारी रखा गया। साथ—ही—साथ संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कानून के माध्यम से कर सकती है। आगे हम संविधान में हिंदी के बारे में की गई व्यवस्था की चर्चा करेंगे:

संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था : इसके मुख्य अंशों को हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। राजभाषा संबंधी उपबंध (व्यवस्था) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं।

राजभाषा

अध्याय 1 — संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा— (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए संविधान से पूर्व उसका प्रयोग किया जा रहा था:

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

- 3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा—
- अंग्रेज़ी भाषा का; या
 - अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

इस तरह देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुई है। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय अंकों के स्थान पर उनके अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा अर्थात् १,२,३,४,५,६,७,८,९ की बजाय १,२,३,४,५,६,७,८,९ लिखा जाएगा।

अध्याय 2— प्रादेशिक भाषाएँ

345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ— अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान—मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएँ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के द्वारा ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, जो कर्नाटक की सीमा से लगते हैं, कन्नड़ को किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में उड़िया या तेलुगू को कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा— संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था के अनुसार दो राज्यों के बीच पत्र—व्यवहार अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र—व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत हो।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध— यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

इस तरह किसी राज्य के किसी विशेष जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता दी जा सकती है।

अध्याय 3— उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा— (1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक—

- क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी में होंगी,
- ख) i) संसद में प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,
- ii) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और
- iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए लागू नहीं होगी।

(3) खण्ड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुनःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

इस व्यवस्था के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही अंग्रेज़ी भाषा में होगी तथा संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत विधेयकों या उनके प्रस्तावित संशोधनों की भाषा अंग्रेज़ी होगी। साथ ही संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित सभी कानूनों और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा

जारी किए गए सभी अध्यादेशों और सभी आधिकारिक आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में होंगे।

किंतु यह व्यवस्था स्थायी न होकर संक्रमणकालीन व्यवस्था है क्योंकि यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून बना कर अन्य कोई व्यवस्था न करे। राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल हिंदी या राज्य की राजभाषा का इस्तेमाल उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेज़ी में ही होंगे।

राज्यों के विधानमंडल विधेयकों, कानूनों, अध्यादेशों आदि के लिए अंग्रेज़ी के बजाय किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं किंतु राज्यपाल के प्राधिकार से गज़ट में प्रकाशित अंग्रेज़ी अनुवाद ही उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची* में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

*स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् जब भारतीय संविधान बना तो देश की 14 प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई। बाद में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली भाषाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह इन भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ये भाषाएँ हैं—

1. असमिया 2. कश्मीरी 3. संस्कृत 4. बांग्ला 5. मलयालम 6. गुजराती 7. मराठी 8. तमिल 9. हिंदी 10. उड़िया 11. तेलुगू 12. कन्नड़ 13. पंजाबी 14. उर्दू 15. सिंधी 16. नेपाली 17. मणिपुरी 18. कोंकणी 19. डोगरी 20. मैथिली 21. बोडो 22. संथाली

उपर्युक्त निर्देश में हिंदी के विकास और प्रसार की ज़िम्मेदारी संघ सरकार को सौंपी गई है। इसमें चार बातें प्रमुख हैं :

- क) हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति का वाहक बनाना
- ख) आठवीं अनुसूची की भाषाओं की शैली, रूप और पदावली का हिंदी में समावेश
- ग) हिंदी में मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण
- घ) ऊपर 'ख' और 'ग' की स्थिति में भाषा की मूल प्रकृति को कायम रखना।

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास का उद्देश्य क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? आप जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों और धर्मों का देश है। यहाँ की संस्कृति कई संस्कृतियों के मेल से बनी है। इसलिए भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति है। जब हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक ही है कि इससे हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का विकास होगा और वह राष्ट्रभाषा का दायित्व वहन करने में अधिकाधिक सक्षम होगी।

हिंदी के इस स्वरूप के विकास के संबंध में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए उसमें अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं) की शैलियाँ, रूपों और अभिव्यक्तियों का समावेश किया जाए। इस तरह भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता स्थापित करने और उनके समान तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया जाए। आप सोच सकते हैं कि यह समन्वय किस प्रकार हो सकता है? भारत की विभिन्न भाषाओं का आपसी रिश्ता बहनों का है। उनमें से अधिकांश का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। इसीलिए ऊपर से अलग—अलग दिखाई देने पर भी उनमें घनिष्ठ समानता उसी तरह विद्यमान है, जिस तरह भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता। अतः इन भाषाओं के तत्वों के हिंदी में समावेश से भाषिक एकता का विकास हो सकेगा। उसके बाद कहा गया है कि हिंदी के शब्द—भंडार को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाएँ और गौण रूप से अन्य भाषाओं से। शब्द—भंडार के विस्तार की यह व्यवस्था भी हिंदी के राष्ट्रभाषा या अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में विकास को लक्ष्य में रखकर की गई है।

120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा— (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेज़ी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेज़ी में' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

इस व्यवस्था के अनुसार संसद में कार्य की भाषा अंग्रेज़ी या हिंदी हो सकती है। किंतु जो सदस्य अंग्रेज़ी या हिंदी में अपने विचार व्यक्त न कर सकता हो उसे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है।

संविधान की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार अंग्रेज़ी या हिंदी में से किसी का भी प्रयोग करने की व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। इस अवधि की समाप्ति पर अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद संसद के कार्य के लिए केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होना था। किंतु बाद में संसद ने कानून बना कर यह व्यवस्था की कि हिंदी के साथ—साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी जारी रखा जाए।

बोध प्रश्न

1) नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए:

क) आठवीं अनुसूची की भाषाओं के रूप, शैली और पदावली का हिंदी में समावेश करते समय प्रमुखतया किस बात पर ध्यान रखा जाएगा?

.....

.....

.....

ख) संविधान लागू होने के बाद कितने वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई?

.....

.....

.....

.....

- 2) नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनके सामने कोष्ठक में सही (✓) या गलत (✗) का निशान लगाइए :

- क) हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। ()
- ख) संविधान लागू होते ही सारा सरकारी कामकाज हिंदी में शुरू हो गया था। ()
- ग) संविधान में राजभाषा के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। ()
- घ) संविधान में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया है। ()
- ड) राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की जिम्मेदारी संघ को सौंपी गई है। ()
- च) केवल संस्कृत से शब्द ग्रहण द्वारा ही हिंदी के विकास का आदेश दिया गया है। ()
- छ) जिस संसद सदस्य को हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं आती वह अपनी मातृभाषा में अपनी बात कह सकता है। ()

12.4 संविधान की व्यवस्था के आधार पर की गई कार्रवाई

12.4.1 राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रपति ने आदेश देकर सन् 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति (1957) गठित की गई। इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी, 1959 को प्रस्तुत की।

12.4.2 राष्ट्रपति का आदेश 1960

राजभाषा आयोग की सिफारिशों और संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 में आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि –

- 1) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
- 2) शिक्षा मंत्रालय सांविधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों (नियम पुस्तकों) और कार्यविधि साहित्य का अनुवाद अपने हाथ में ले।
- 3) एक मानक विधि शब्दकोश तैयार करने और हिंदी में विधि के पुनः अधिनियम के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।

- 4) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।
- 5) शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी के प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वह कैसी चल रही है। शिक्षा मंत्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए तथा अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

विधि एवं प्रशासन की भाषा
तथा पारिभाषिक शब्द और
अर्थ

12.4.3 राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

राष्ट्रपति के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित संस्थाएँ स्थापित की गईं :

- 1) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में हुई। इसने शब्दावली निर्माण के सिद्धान्त तय किए तथा विविध विषयों की विशेषज्ञ सलाहकार समितियों की और भाषा वैज्ञानिकों की सहायता से शब्दावली निर्मित की तथा परिभाषा कोश तैयार किए।
- 2) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन् 1960 में हुई। हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास के कार्य इस संस्था को सौंपे गए। आरंभ में विविध प्रकार के प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का कार्य भी निदेशालय के पास था। बाद में इसे एक अन्य संस्था को सौंप दिया गया। आज यह हिंदी के विकास और प्रचार से संबंधित योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण, विज्ञानेतर कोश और विश्वकोश के निर्माण, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि का कार्य करता है।
- 3) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में उस समय हुई जब राजभाषा संबंधी कार्य गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आ गया। असांविधिक स्वरूप के कार्यविधि साहित्य तथा मैनुअलों और फॉर्मों के अनुवाद का दायित्व ब्यूरो केंद्र सरकार तथा उसके स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के हिंदी कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।
- 4) राजभाषा (विधायी) आयोग खंड विधि मंत्रलाय के अधीन कार्यरत है। इसने अंग्रेजी-हिंदी विधि शब्दावली तैयार की है। इसके अतिरिक्त यह सांविधिक कागजात अर्थात् केंद्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि का हिंदी अनुवाद भी करता है।
- 5) हिंदी शिक्षण योजना को अहिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए सन् 1952 में शुरू किया गया था। आरंभ में यह विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन था किंतु सन् 1955 में इसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। यह हिंदी के तीन स्तरों के पाठ्यक्रम चलाता है— (1) प्रबोध, (2) प्राज्ञ, (3) प्रवीण।
- 6) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सन् 1985 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन की गई। इसका कार्य अधिकारी स्तर के कर्मचारीवृंद को हिंदी प्रशिक्षण देना है।

- 7) केंद्रीय हिंदी संस्थान सन् 1961 से हिंदी शिक्षण कार्य में संलग्न है। अहिंदी भाषियों तथा विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, शिक्षण प्रविधियों का विकास करने तथा तदनुकूल शिक्षण सामग्री निर्माण के अतिरिक्त यह हिंदी भाषा और साहित्य में अनुसंधान कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए सेवा-माध्यम के हिंदी पाठ्यक्रम चलाने और हिंदी शिक्षण संबंधी शोध सामग्री के प्रकाशन का कार्य भी कर रहा है। इसके केंद्र दिल्ली, हैदराबाद तथा गुवाहाटी में भी हैं।
- 8) भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर 1969 से भारतीय भाषाओं के अध्यापन, अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी माध्यम से शिक्षण को सुग्राह्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण व प्रकाशन का कार्य हिंदी भाषी राज्यों की विभिन्न हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय करता है। इन पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन व्यय का वहन शिक्षा मंत्रालय हिंदी पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिए केंद्र द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत करता है।

बोध प्रश्न

- 3) नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान पर दीजिए।
 - क) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के संबंध में राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिए?

.....

.....

.....

- ख) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था है?

.....

.....

.....

.....

- ग) अनुवाद कार्य की ज़िम्मेदारी किस संस्था की है?

.....

.....

.....

- घ) विविध भारतीय भाषाओं के विकास, प्रसार और संबद्ध अनुसंधान का कार्य किन संस्थाओं का है?

.....

विधि एवं प्रशासन की भाषा
तथा पारिभाषिक शब्द और
अर्थ

- 4) नीचे शब्दों की दो सूचियाँ दी गई हैं। 'क' सूची में दिए गए शब्द 'ख' सूची के शब्दों से संबंधित हैं। किंतु दोनों सूचियों के क्रम अलग—अलग हैं। 'क' सूची के शब्द से संबंधित शब्द 'ख' सूची में खोजकर उन्हें सही क्रम से लिखिए:

क	ख
1). उपबंध	संविधान सभा
2). अध्यादेश	अभिव्यक्ति
3). हिंदी	राष्ट्र
4). संविधान	संसद
5). प्रगति	विधान मंडल
6). विधायक	अधिनियम
7). विधेयक	शब्दकोश
8). शब्दार्थ	राजभाषा
9). भाषा	राष्ट्रपति
10). प्राधिकृत पाठ	संविधान

12.5 राजभाषा अधिनियम (यथा संशोधित) 1967

राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। किंतु अहिंदी भाषियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू के आश्वासनों को कानूनी रूप देते हुए सन् 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया तब से यह इसी रूप में लागू है।

राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि सन् 1965 के बाद केवल हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी। किंतु अंग्रेज़ी का प्रयोग करने की छूट तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेज़ी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प न पारित कर दें और उन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के दोनों सदन भी इस संबंध में संकल्प पारित न कर दें।

12.5.1 संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

ऊपर हमने देखा कि राजभाषा अधिनियम 1967 में की गई व्यवस्था के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ—साथ अंग्रेज़ी के प्रयोग की भी छूट दी गई है। आज हर कर्मचारी को अपना कामकाज हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में करने की छूट है। किंतु कुछ कामों के लिए हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है, ये हैं :

- 1) राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3 में बताए गए सभी कागजात हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में होने चाहिए। ये कागजात हैं—
 - i) सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ आदि।
 - ii) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई रिपोर्ट और सभी कागजात।
 - iii) केंद्रीय सरकार या उसके नियमों द्वारा की गई संविदाएँ, करार तथा इनके द्वारा जारी किए गए लाइसेंस, परमिट, निविदा फॉर्म आदि।
- 2) अहिंदी—भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र—व्यवहार
- 3) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की सभी नियम पुस्तकें, संहिताएँ और फॉर्म
- 4) रजिस्टरों के शीर्षक
- 5) फाइल कवरों पर विषय
- 6) पत्र शीर्ष
- 7) स्टाफ कारों आदि की प्लेटों पर कार्यालयों के नाम
- 8) मुद्राएँ और रबड़ की मोहरें
- 9) कार्यालयों के नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि
- 10) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र
- 11) समस्त भारत या हिंदी—भाषी क्षेत्रों के लिए जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापन
- 12) सम्मेलनों की कार्यसूची की टिप्पणियाँ तथा कार्यवृत्त।

12.5.2 कानूनों के हिंदी अनुवाद को मान्यता

केंद्रीय अधिनियमों या राष्ट्रपति के अध्यादेशों या संविधान या केंद्रीय अधिनियमों के अधीन निकाले गए आदेशों, नियमों आदि का जो हिंदी अनुवाद सरकारी गज़ट में छपेगा वह उनका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी यही नियम लागू होगा।

इसी तरह राज्य के सरकारी गज़ट में राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित राज्य के अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद भी उसका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

12.5.3 वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा अधिनियम के पास होने के साथ—ही—साथ संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प—पास किया जिसके अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए

हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हर वर्ष तय किया जाता है कि कार्यक्रम को किस सीमा तक लागू किया जाएगा। इसी के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन किया जाता है।

12.6 राजभाषा नियम 1976

राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्था को सरकारी कामकाज में लागू करने के लिए राजभाषा नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में इनका पालन आवश्यक है। इस तरह ये नियम संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा के इस्तेमाल के लिए हैं। इनका नाम 'राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976' है। ये तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हैं।

इन नियमों के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- क) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम अभिप्रेत है;
- ख) 'केंद्रीय सरकार के कार्यालय' के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात् :

 - i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
 - ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और
 - iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय;

- ग) 'कर्मचारी' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;
- ङ) 'हिंदी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;
- च) क्षेत्र 'क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य (अब दिल्ली राज्य) क्षेत्र अभिप्रेत है;
- छ) क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- ज) क्षेत्र 'ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- झ) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि—

- 1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं में छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें

किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से—

क) 'क्षेत्र ख' में किसी राज्य या संघ क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं, तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेज़ी या हिंदी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएँगे।

ख) 'क्षेत्र ख' के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में भेजे जा सकते हैं।

3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि—

क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और 'क्षेत्र क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाएँ और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर अवधारित करें;

ग) 'क्षेत्र क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है पत्रादि हिंदी में होंगे;

घ) 'क्षेत्र क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और 'क्षेत्र ख' या 'क्षेत्र ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

ङ) 'क्षेत्र ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

सरकारी कार्यालयों के बीच पत्र—व्यवहार की उपर्युक्त स्थिति को हम नीचे दिए गए चार्टों द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।

चार्ट सं. 1

(केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा)

विधि एवं प्रशासन की भाषा
तथा पारिभाषिक शब्द और
अर्थ

प्रेषक कार्यालय	प्राप्तिकर्ता कार्यालय				
केंद्र	केंद्र (मंत्रालय विभाग)	संलग्न/अधीनस्थ	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
केंद्र	हिं./अं.	हिं.	हिं.	हिं./अं.	हिं./अं.
'क' क्षेत्र			हिं.	हिं./अं.	हिं./अं.
'ख' क्षेत्र			हिं./अं.	हिं./अं.	हिं./अं.
'ग' क्षेत्र	हिं./अं.		हिं./अं.	हिं./अं.	हिं./अं.

चार्ट सं. 2

(केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा)

प्रेषक	प्राप्तिकर्ता		
	राज्य का कार्यालय	व्यक्ति	
केंद्र	'क' क्षेत्र	हिं./अं. (हिं.अनु.)	हिं./अं. (हिं.अनु.)
केंद्र	'ख' क्षेत्र	हिं./अं. (हिं.अनु.)	हिं./अं. (हिं.अनु.)
केंद्र	'ग' क्षेत्र	अं.	अं.

किंतु हिंदी में प्राप्त किसी भी पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है, चाहे वह पत्र किसी व्यक्ति से आया हो या किसी संस्था से या किसी राज्य सरकार से।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के नाम के बोर्ड

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के नाम के बोर्ड के लिए यथास्थिति दो भाषाओं या तीन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा :

- हिंदी भाषी राज्यों या दिल्ली स्थित कार्यालयों के बोर्ड पर कार्यालय का नाम सबसे ऊपर हिंदी में लिखा जाएगा, फिर अंग्रेज़ी में।
- अहिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों के बोर्ड पर कार्यालय का नाम सबसे ऊपर क्षेत्रीय (प्रादेशिक) भाषा में लिखा जाएगा, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेज़ी में।

बोध प्रश्न

- निम्नलिखित के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा ।
 - रजिस्टरों के शीर्षक
 - कार्यालयों के नामपट्ट और सूचनापट्ट
 - किसी व्यक्ति से हिंदी में आए पत्र का उत्तर
 - फाइल कवरों पर विषय
 - केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र-व्यवहार

- च) केंद्रीय सरकार के कार्यालय और 'ग' क्षेत्र के किसी कार्यालय के बीच पत्र—व्यवहार
- छ) किसी कार्यालय से हिंदी में आए पत्र का उत्तर
- 6) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उनके सामने लिखे 'हाँ' या 'नहीं' पर '√' का निशान लगाकर दीजिए :—
- क) राजभाषा अधिनियम में अहिंदी भाषियों के हितों का ध्यान रखा गया है। हाँ / नहीं
- ख) हर कर्मचारी को अपना कामकाज हिंदी या अंग्रेज़ी में करने की छूट है। हाँ / नहीं
- ग) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की सभी नियम पुस्तकें, संहिताएँ और फॉर्म केवल हिंदी में होंगे। हाँ / नहीं
- घ) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र केवल एक भाषा में हो सकते हैं। हाँ / नहीं
- ङ) सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हाँ / नहीं
- च) राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3 में बताए गए सभी कागज़ात हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों में होने चाहिए। हाँ / नहीं
- 7) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए स्थान पर अधिक से अधिक एक—दो वाक्यों में दीजिए :
- क) केंद्र और 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों के बीच पत्र—व्यवहार की भाषा क्या होगी ?
-
-
- ख) क्या राजभाषा नियम संपूर्ण भारत पर लागू है ?
-
-
- ग) द्विभाषिक स्थिति से आप क्या समझते हैं ?
-
-
- घ) हिंदी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था है ?
-
-
- ङ) राजभाषा अधिनियम और नियमों में दिए गए उपबंधों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं यह देखने की ज़िम्मेदारी किसकी है ?
-
-
-

12.7 भाषा विवेचन

12.7.1 राष्ट्रभाषा

इस इकाई में आप राजभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर है अथवा ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं। अब हम आपको इन दोनों का अंतर बताएँगे। राजभाषा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश की उस भाषा को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पूरे देश अथवा देश के अधिकांश भाग में किया जाता हो, साथ ही जिसे देश के अधिकांश लोग समझते हों। उसमें उच्च कोटि का साहित्य हो तथा उसका शब्द-भंडार व्यापक हो। इसके साथ ही वह देश की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं की प्रतिनिधि भाषा हो।

राष्ट्रभाषा के पद पर गौरवान्वित भाषा में भावनात्मक एकता स्थापित करने की क्षमता अनिवार्य है। इन सबके अतिरिक्त वह सीखने में आसान हो तथा उसमें देशी-विदेशी शब्दों को आवश्यकतानुसार ग्रहण करने और पचाने की शक्ति हो। इस दृष्टि से हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश को भावनात्मक एकता में बाँधने और जनमानस में आत्म-सम्मान तथा आत्मनिर्भरता की भावना के विकास के लिए गांधी जी तथा विभिन्न प्रदेशों के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया था और सरल हिंदी के इस्तेमाल पर जोर दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान करने में स्वाधीनता आंदोलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

12.7.2 संपर्क भाषा

यहीं आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त संपर्क भाषा क्या है ? किसी भी बहुभाषी देश में विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वह संपर्क भाषा कहलाती है। इसका इस्तेमाल केवल बात कहने-सुनने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ती है। संपर्क भाषा का विकास किसी देश का जनसामान्य अपनी ज़रूरत के अनुसार स्वयं ही कर लेता है। प्राचीन काल में भारत की संपर्क भाषा संस्कृत थी। मध्ययुग में हिंदी संपर्क भाषा बनी। मुगल काल में भी यह संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग का कारण देश की विशेष परिस्थितियाँ थीं। उस समय आगरा देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था और पूँजीपति और व्यापारी लोग देश के विभिन्न अहिंदी प्रदेशों में जाकर बस गए थे। अतः व्यापार के क्षेत्र में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग काफी व्यापक हो गया था। इसीलिए अंग्रेज़ व्यापारियों ने हिंदी सीखने की ज़रूरत महसूस की थी और ईसाई मिशनरियों ने इसकी व्यापकता को ध्यान में रखकर अपनी धार्मिक भावनाओं के प्रचार-प्रसार में इसी भाषा को प्रमुख माध्यम बनाया।

12.7.3 राजभाषा हिंदी का स्वरूप

इस इकाई में हमने संविधान में हिंदी की स्थिति के बारे में चर्चा की है। यह भी देखा है कि किन-किन कामों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली हिंदी का स्वरूप कैसा है।

सरकारी कामकाज का संबंध विधिक तथा प्रशासनिक विषयों से लेकर आम आदमी तक होता है। इसमें एक ओर तो शासनतंत्र को चलाने वाला अधिकारी-कर्मचारी वर्ग शामिल

होता है जो नियमों, कानूनों, प्रविधियों और तौर-तरीकों से परिचित होता है, दूसरी ओर इसका संबंध आम आदमी से भी होता है, क्योंकि शासन-व्यवस्था किसी भी देश के नागरिकों के जीवन को व्यवस्थित, नियंत्रित और सुख-सुविधापूर्ण बनाने के लिए होती है। अतः शासकीय कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट, सुनिश्चित और औपचारिक होती है। इसमें जो बात कही जाए उसका वही अर्थ निकलना ज़रूरी होता है, जो कहने वाले को अभीष्ट है। साथ ही इसमें अनेकार्थता की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके अतिरिक्त इसमें किलष्टता, जटिलता और दुरुहता भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसी सरल और स्पष्ट भाषा अपेक्षित होती है जो सबकी समझ में आ सके।

इस दृष्टि से राजभाषा हिंदी साहित्यिक हिंदी से भिन्न है। साहित्य में भाषा के अनेकार्थी, लाक्षणिक, व्यंजनाश्रित तथा प्रतीकात्मक प्रयोग की पूरी संभावना होती है। बात को सीधे ढंग से भी कहा जा सकता है और घुमा-फिरा कर भी। भाषा का लालित्यपूर्ण और सांकेतिक प्रयोग भी हो सकता है। किंतु सरकारी कामकाज की हिंदी का सरल, स्पष्ट, एकार्थक और सहज होना नितांत आवश्यक है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि राजभाषा का संबंध उन लोगों से भी है जो अहिंदी भाषी हैं या जिन्हें हिंदी बहुत कम आती है।

सरकारी कामकाज की भाषा आम बोलचाल की भाषा से भी भिन्न है। आम बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है किंतु राजभाषा औपचारिक होती है। हम अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं या उन्हें जिस भाषा में पत्र लिखते हैं, उसका इस्तेमाल हम शासकीय पत्रों या कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में नहीं करते।

राजभाषा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली होती है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित और परिसीमित होता है। किसी शब्द का यहाँ वही अर्थ निकलता है जो प्रयोक्ता को अभीष्ट हो, अन्य कोई अर्थ या संभावनार्थ निकलने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। इस पाठ में आपने कई ऐसे शब्दों की ओर भी ध्यान दिया होगा जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में किसी भिन्न अर्थ या अर्थों के द्योतक हैं, किंतु यहाँ उनका अर्थ विशिष्ट और सुनिश्चित है। नीचे के शब्दों को देखिए। आम जीवन में इनका इस्तेमाल अन्य अर्थों में होता है किंतु राजभाषा क्षेत्र में वे एक निश्चित अर्थ के द्योतक हैं—

	शब्द आम प्रयोग में	प्रशासनिक अर्थ में
सदन	कोई भी गृह या भवन	संसद का सदन
निगम-	वेद, वेद का कोई अंश, वेद सम्मत ग्रंथ	वह निकाय या संस्था जो कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति की तरह काम करने के लिए सक्षम हो।
धारा-	द्रव पदार्थ का गिरना या बहना जैसे नदी का बहना (नदी की धारा या जल धारा)	दफा, किसी अधिनियम आदि का वह स्वतंत्र अंग, जिनमें किसी एक विषय की सब बातें या आदेश शामिल हों ओहदा, कार्य और योग्यता के अनुसार नियत स्थिति
पद-	(1) पैर, कदम	
	(2) भवित्वपरक गीत	
	(3) अभिव्यक्ति	
विधि-	कार्य करने का ढंग या तरीका	कानून

पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में होता है—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम कानून का पालन सुनिश्चित करना। इस तरह इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से भाषा के दो रूप होते हैं—विधिक (विधि संबंधी) और प्रशासनिक (प्रशासन संबंधी) यानी कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली भाषा। इस खंड की पिछली इकाइयों में हम सामाजिक विज्ञानों तथा विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में विधि तथा प्रशासन की पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा है। विधि का हमने कोई कठिन प्रसंग नहीं लिया। संविधान में किए गए राजभाषा संबंधी उपबंधों को लिया है, जिनके माध्यम से दोहरी जानकारी मिलती है—संविधान में की गई व्यवस्था तथा विधि की भाषा।

विधि की भाषा स्पष्ट, सुनिश्चित, वस्तुनिष्ठ और एकार्थक होती है। वहाँ भाषा के शैलीगत सौदर्य की बजाय अर्थ की निश्चितता पर जोर दिया जाता है। वाक्य—विन्यास तथा शब्द प्रयोग का यहाँ एक विशिष्ट और रुढ़ ढाँचा होता है, जिसके अंतर्गत शब्दों की व्याख्या करने का चाहे जितना भी प्रयास किया जाए उनके एक से अधिक अर्थ नहीं निकल सकते। उदाहरण के लिए पाठ में एक वाक्य आया है 'संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उप-विधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

इस वाक्य में विधि (law) नियम (rules) विनियम (regulations) आदेश (orders) और उपविधि (by laws) पाँच चीजों का उल्लेख किया गया है। मोटे तौर पर ये सभी सरकार द्वारा जारी कायदे—कानून हैं, जिनका पालन आवश्यक है। किन्तु हर एक का उल्लेख अलग—अलग इसलिए किया गया है कि विधिक भाषा में हर एक अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'नियम' की जगह 'विनियम' अथवा 'उपविधि' का प्रयोग नहीं हो सकता। इसी तरह 'विधि' और 'नियम' समानार्थी नहीं हो सकते। पहले संसद अथवा विधान मंडल कोई अधिनियम बनाता है, बाद में उस विधि को कार्यान्वित करने के लिए उसके अधीन नियम बनाए जाते हैं। आपने पाठ में पढ़ा है कि राजभाषा अधिनियम 1967 के अधीन राजभाषा नियम 1976 बनाए गए।

इस तरह हम देखते हैं कि आम बोलचाल में हम भले ही 'पानी' के स्थान पर 'जल' का इस्तेमाल कर लें, राजभाषा के क्षेत्र में 'अनुमति' या 'स्वीकृति' जैसे शब्दों को अलग—अलग अर्थ में ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ समानार्थी शब्दों का प्रयोग भी औपचारिक और सुनिश्चित होता है। इसी तरह कार्यालय की भाषा में कोई 'मसौदा' या 'मामला' उच्चतर अधिकारी के 'आदेशार्थ' प्रस्तुत किया जाएगा 'आज्ञार्थ' नहीं।

12.8 शब्दावली

- | | |
|-------------------|--|
| पारित | — (प्रस्ताव, विधेयक आदि) जो किसी सभा, विधान सभा, संसद आदि में विधिपूर्वक स्वीकृत हो चुका हो। |
| उपबंध (provision) | — किसी विधि, अधिनियम आदि के खंड या उपखंड, जिनमें किसी बात की संभावना आदि को ध्यान में रखते हुए पहले से कोई प्रबंध या गुंजाइश रख दी जाए। इस तरह रखी गई गुंजाइश या गुंजाइश रखने की क्रिया। |
| आयोग (commission) | — कोई विशेष कार्य संपन्न करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का मंडल। |

वाचन और विविध विषय	समिति	— विशेष कार्य के लिए गठित थोड़े से व्यक्तियों की सभा।
	मानक	— परखने या मापने का सुनिर्धारित स्तर या क्रम।
	अधिसूचना (notification)	— अधिकृत सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गज़ट में छपी सूचना।
	अधिनियम (Act)	— विधायिका द्वारा पारित या स्वीकृत विधि।
	अध्यादेश (ordinance)	— राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया वह आधिकारिक आदेश जो किसी आकस्मिक या विशेष स्थिति में थोड़े समय के लिए लागू हो और जो उक्त स्थिति के न रहने पर वापस ले लिया जाए या आवश्यकता बनी रहने पर संसद या विधान सभा द्वारा अधिनियम के रूप में वापस ले लिया जाए या आवश्यकता बनी रहने पर संसद या विधान सभा द्वारा अधिनियम के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए।
	निविदा (tender)	— आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएँ जुटा देने, पहुँचा देने का लिखित वादा।
	संविदा	— कुछ निश्चित शर्तों पर दो या दो से अधिक पक्षों के बीच होने वाला समझौता।
	मसौदा (draft)	— (अ. मसब्दा) दुहराने के लिए लिखित-अशोधित लेख, पुस्तकादि का मूल लेख।
	विधेयक (bill)	— किसी विधान, अधिनियम आदि का वह प्रारूप (मसौदा) जो पारित होने के लिए लोक सभा, विधान सभा आदि में रखा जाए।
	प्रारूप	— किसी प्रस्ताव, योजना, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जो शीघ्रता में तैयार कर लिया जाता है, किंतु बाद में कुछ काट-छाँट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, मसौदा, खर्च, प्रालेख।
	मंत्रालय	— मंत्री तथा उसके विभाग का कार्यालय, मंत्री उसके सचिव तथा अन्य कर्मचारियों का समूह (मंत्री और उसका विभाग)।
	संविधान	— वह विधान तथा मौलिक सिद्धांतों का समूह, जिसके अनुसार किसी देश या राज्य या संस्था का संघटन, संचालन आदि होता है।
	संविधान सभा	— किसी देश का संविधान तैयार करने वाली सभा।
	संशोधन	— शुद्धीकरण, शुद्ध करने का साधन, अदायगी, सुधारना, संस्कार करना (विधि के संदर्भ में) पहले बने नियम या अधिनियम में परिवर्तन।
	अनुच्छेद	— किसी अधिनियम, विधान, नियमावली, संविदा आदि का वह विशिष्ट अंग या अंश, जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों आदि का उल्लेख हो। लेख आदि का वह अंश,

अनुज्ञाप्ति (permit)	— कोई वस्तु बेचने—खरीदने आदि की अनुमति जो उचित शुल्क देने पर प्राप्त की गई हो (अनुज्ञापत्र)।
विनियम	— वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदि के प्रबंध या नियंत्रण के लिए प्राधिकृत आदेश से या निश्चय के अनुसार बनाया गया हो।
विनिर्देश (Specification)	— निश्चित रूप से कोई बात कहना या निर्देश करना, इस प्रकार कही हुई बात, विशेषताओं संबंधी विवरण।
अंतर्प्रांतीय	— विभिन्न प्रांतों के बीच।

12.9 भाषिक विवेचन

इस इकाई में हम निम्नलिखित के बारे में भी चर्चा करेंगे—

अनेकार्थी शब्द

भिन्नार्थक शब्द

समानार्थी शब्दों के अर्थगत भेद

एक शब्द प्रतिस्थापन

वर्तनी संबंधी कुछ भूलों का सुधार

12.9.1 अनेकार्थी शब्द

इस पाठ में आपने कई ऐसे शब्द पढ़े हैं जिनका अर्थ भिन्न—भिन्न संदर्भों में भिन्न—भिन्न होता है। अन्यत्र भी आपने ऐसे शब्द पढ़े होंगे जो भिन्न—भिन्न क्षेत्रों में अलग—अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए 'विधि' शब्द को लीजिए इसके दो अर्थ हैं—

(1) किसी कार्य को करने का ढंग; और (2) कानून। पाठ में राजभाषा के स्वरूप की चर्चा करते समय हमने ऐसे शब्दों के सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग के बारे में बताया है।

अभ्यास

- 1) नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। इन शब्दों के दो—दो अर्थ लिखिए—
 - i) प्रबंध
 - ii) संघ
 - iii) विभाग
 - iv) अनुच्छेद
 - v) संकल्प
- 2) नीचे दिए गए शब्दों के दो—दो वाक्य इस प्रकार बनाइए कि उनके दो अलग—अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएँ—

- i) पाठ (क)
- (ख)
- ii) धारा (क)
- (ख)
- iii) सदन (क)
- (ख)
- iv) पद (क)
- (ख)
- v) निगम (क)
- (ख)
- vi) रिपोर्ट (क)
- (ख)

12.9.2 भिन्नार्थक शब्द

अक्सर हम देखते हैं कि कुछ शब्द एक-दूसरे से मिलते-जुलते मालूम पड़ते हैं, जैसे 'उपेक्षा' और 'अपेक्षा' दो शब्द मिलते-जुलते से मालूम होते हैं। इनकी वर्तनी में थोड़ा सा अंतर है किंतु अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न हैं। 'उपेक्षा' का अर्थ है तिरस्कार या अवहेलना। जबकि 'अपेक्षा' का अर्थ है आवश्यकता, आशा, आकांक्षा आदि। इस तरह के समधनीय भिन्नार्थक शब्दों का अंतर समझना ज़रूरी होता है अन्यथा हम भाषा प्रयोग में बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। 'उपेक्षा' की जगह यदि हम 'अपेक्षा' शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसी तरह 'विधेयक' का अर्थ होता है किसी अधिनियम का प्रारूप जो पारित होने के लिए संसद के सदन या राज्य विधान मंडल में विचारार्थ रखा जाता है और 'विधायक' शब्द का अर्थ होता है विधान बनाने वाला यानी विधान मंडल का सदस्य। इन दोनों के अर्थ को न समझने से इनके प्रयोग में भूल हो सकती है। इस पाठ में आपके सामने ऐसे कई शब्द आए हैं जो मिलते-जुलते दिखाई देते हैं। इनके सही अर्थ का ध्यान रखें।

अभ्यास

- 3) नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उनके सामने कोष्ठक में दिए गए समधनीय शब्दों में से उपयुक्त शब्द छाँटिए—
- हिंदी को भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति में सक्षम बनाने का उद्देश्य भारतीय संविधान में निर्धारित किया गया है। (सामाजिक, सामासिक, सार्वजनिक, सार्वत्रिक)
 - किसी राष्ट्र की के लिए जरूरी है कि उसका सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा में हो। (प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रगति, प्रविधि)
 - कोई तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया जाए। (विधिक, विधेयक, विधायक)

- iv) राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति दोनों का मत था कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह देने की कोई तारीख न की जाए। (नियुक्ति, नियत नियमित, निगमित)
- v) भारत एक राष्ट्र है। (बहुभाषी, हिंदी भाषी, अहिंदी भाषी, बंगला भाषी)
- 4) नीचे दिए गए शब्द आपस में मिलते-जुलते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं। उनका अंतर दिखाते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
- | | |
|-------------|---------|
| i) समिति | सीमित |
| ii) उपेक्षा | अपेक्षा |
| iii) समृद्ध | संबद्ध |
| iv) प्रभाव | प्रभार |
- 5) निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति 'संबंध', 'प्रबंध', 'उपबंध', शब्दों को भरकर कीजिए।
- i) कंपनी का करने वाला व्यक्ति प्रबंधक कहलाता है।
 - ii) राजभाषा संबंधी संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं।
 - iii) संविधान सभा ने राजभाषा के में निर्णय 14 सितंबर, 1949 को लिया।
 - iv) हमें लिखना आना चाहिए।
 - v) राजभाषा नियमों में किए गए का पालन अनिवार्य है।
 - vi) भारतीय भाषाओं का परस्पर बहनों का सा है।
- 6) नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए।
- i) योजना का तैयार कर लिया गया है। (संविदा, निविदा, मसौदा)
 - ii) केंद्रीय सरकार तथा उसके निगमों द्वारा की जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की जानी चाहिए। (संविदा, निविदा, मसौदा)
 - iii) लिपिक ने पत्र का अधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। (संविदा, निविदा, मसौदा)
 - iv) इमारत में बिजली की फिटिंग के लिए आमंत्रित किए गए। (संविदा, निविदाएँ, मसौदा)
 - v) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना राष्ट्रपति के से सन् 1960 में की गई। (प्रदेश, आदेश, संदेश)
 - vi) गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम देते हैं। (प्रदेश, आदेश, संदेश)

12.9.3 समानार्थी शब्दों के अर्थगत भेद

आपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में सुना होगा। एक ही अर्थ के द्योतक विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए 'पानी' शब्द को लें। 'जल', 'नीर', 'पानी' के समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह 'अनुमति' और 'स्वीकृति' समानार्थी हैं। किंतु अक्सर यह देखने में आता है कि समानार्थी शब्द एक अर्थ के द्योतक होने के बावजूद उनकी अर्थच्छायाओं में सूक्ष्म भेद होता है। यह भेद प्रायः उनके प्रयोग के आधार पर स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए हम दो शब्द लेते हैं। 'इच्छा' और 'आकांक्षा'। इनका प्रयोग देखिए। हम कहेंगे— 'मुझे पानी पीने की इच्छा है' पर हम यह कभी नहीं कहेंगे कि 'मुझे पानी पीने की आकांक्षा है'। आकांक्षा शब्द का प्रयोग वस्तुतः किसी व्यापक इच्छा के लिए होता है। जैसे कि 'बड़ा आदमी बनने की आकांक्षा है'। शब्द के सूक्ष्म अर्थगत भेद को समझ कर ही भाषा का सहज और सार्थक प्रयोग करना संभव होता है।

अभ्यास

- 7) i) नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपयुक्त शब्द के सामने सही (✓) का निशान लगाइए।
 - क) मैंने प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अपनी (अनुमति, स्वीकृति, सहमति) दे दी है।
 - ख) मैं अपने अधिकारी की (अनुमति, स्वीकृति, सहमति) के बगैर कार्यालय समय से जल्दी नहीं जा सकता।
 - ग) समिति के सभी सदस्यों की (अनुमति, स्वीकृति, सहमति) से प्रस्ताव पास कर दिया गया।
- ii) नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उनके सामने दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए।
 - क) सभी कागजात फाइल में नथी कर दिए जाएँ। (वांछनीय, अपेक्षित, अभीष्ट)
 - ख) राजभाषा नियमों के के लिए भारत के राज्यों को तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है। (प्रयोजन, ध्येय, लक्ष्य, मकसद)
 - ग) संविधान में कहा गया है कि हिंदी के का विस्तार संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए किया जाए। (शब्दकोश, शब्द-भंडार, शब्द-संग्रह)

12.9.4 एक शब्द प्रतिस्थापन

आप पढ़ चुके हैं कि पारिभाषिक शब्दों के अर्थ ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित और परिसीमित होते हैं। वे किसी अवस्था, संकल्पना, प्रक्रिया अथवा प्रविधि को व्यक्त करते हैं।

अभ्यास

- 8) नीचे कुछ वाक्यांश ऐसी ही संकल्पनाओं को प्रकट करते हैं उनके लिए एक शब्द बताइए।
 - i) किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का मंडल

- ii) वांछित वस्तुओं को आवश्यक रकम लेकर जुटा देने या पहुँचा देने का वादा
- iii) मंत्री तथा उसके विभाग का कार्यालय
- iv) वह सामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएँ छपती हैं
- v) वह विधान तथा मौलिक सिद्धांतों का दस्तावेज़ जिसके अनुसार किसी देश या राज्य या संस्था का संघटन, संचालन आदि होता है।

12.9.5 वर्तनी संबंधी कुछ भूलों का सुधार

अभ्यास

9) कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें लिखने में प्रायः लोग गलती करते हैं। हो सकता है कि आप भी इनकी वर्तनी गलत लिखते हों। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इन्हें दो रूपों में लिखा गया है, इन दो रूपों में से जो रूप वर्तनी की दृष्टि से सही हो उसके आगे सही का निशान लगाइए :

- i) स्थायी/स्थाई
- ii) राजपाल/राज्यपाल
- iii) शब्दकोश/शब्दकोष
- iv) द्रष्टि/दृष्टि
- v) अनुगृह/अनुग्रह
- vi) स्रष्टि/सृष्टि
- vii) शृंगार/श्रृंगार
- viii) स्रोत/स्त्रोत
- ix) भाषाई/भाषायी
- x) द्रष्टव्य/दृष्टव्य
- xi) क्रितृम/कृत्रिम

12.10 सारांश

इस इकाई में आपने राजभाषा हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपने पढ़ा है कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया? संविधान में राजभाषा के संबंध में की गई व्यवस्था के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की है। राजभाषा अधिनियम और नियमों के अतिरिक्त हिंदी के प्रचार-प्रसार के बारे में किए गए प्रयासों के बारे में भी आपने पढ़ा है।

राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के अंतर को भी आपने जान लिया है। आपको पता चल गया है कि राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप कैसा है तथा हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से यह किस प्रकार भिन्न है। विधि तथा प्रशासन के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन आपने कई दृष्टियों से किया है। अनेकार्थी शब्दों के विविध क्षेत्रों में प्रयोग समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अर्थगत भेदों के आधार पर उनके प्रयोग तथा समध्वनीय भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है।

12.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

रमा प्रसन्न नायक, 'सरकारी कामकाज में हिंदी' राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

विधि और न्याय विधायी विभाग, 'भारत का संविधान', राजभाषा खंड।

12.12 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

- 1) क) हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति नष्ट न हो।
ख) 15 वर्ष
- 2) (क) (✓) (ख) (✗) (ग) (✗) (घ) (✓) (ड) (✓) (च) (✗) (छ) (✓)
- 3) क) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
ख) सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने का कार्य दो संस्थाएँ कर रही हैं—हिंदी शिक्षण योजना; तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान।
ग) अनुवाद कार्य की जिम्मेदारी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा राजभाषा (विधायी) खंड की है।
घ) केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा भारतीय भाषा संस्थान।
- 4) 1) उपबंध संविधान
2) अध्यादेश राष्ट्रपति
3) हिंदी राजभाषा
4) संविधान सभा
5) प्रगति राष्ट्र
6) विधायक विधान मंडल
7) विधेयक संसद
8) शब्दार्थ शब्दकोश
9) भाषा अभिव्यक्ति
10) प्राधिकृत पाठ अधिनियम
- 5) क) हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों
ख) दोनों
ग) हिंदी
घ) दोनों
ड) हिंदी या अंग्रेज़ी
च) अंग्रेज़ी
छ) हिंदी
- 6) क) हाँ ख) हाँ ग) नहीं
घ) नहीं
ड) हाँ
च) हाँ
- 7) क) हिंदी या अंग्रेज़ी
ख) नहीं
ग) हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की स्थिति

- घ) उन्हें हिंदी सिखाने की व्यवस्था है।
- ड) संस्था या विभाग के प्रधान की।

विधि एवं प्रशासन की भाषा
तथा पारिभाषिक शब्द और
अर्थ

अभ्यास

- 1) i) क) व्यवस्था
 - ख) ग्रंथ, निबंध
- ii) क) संघीय शासन व्यवस्था में संघ सरकार (केंद्र सरकार)
 - ख) कोई सहयोगी संगठन या समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया हो।
- iii) क) किसी वस्तु का कोई हिस्सा
 - ख) महकमा
- iv) क) पैराग्राफ का भाग
 - ख) किसी अधिनियम संविदा आदि का वह हिस्सा जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों का उल्लेख हो।
- v) क) दृढ़ निश्चय
 - ख) किसी सभा या सम्मेलन में लिया गया औपचारिक निर्णय।
- 2) i) क) मैंने अपना पाठ याद कर लिया है।
 - ख) अधिनियम का प्राधिकृत पाठ विधि मंत्रालय में उपलब्ध होगा।
- ii) क) पहाड़ी इलाकों में नदी की धारा सँकरी किंतु बहुत तेज़ होती है।
 - ख) शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई।
- iii) क) संसद के दो सदन क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा कहलाते हैं।
 - ख) सदन में उपस्थित सभी लोग वाद-विवाद प्रतियोगिता के प्रतियोगियों के ज्ञान और अभिव्यक्ति क्षमता से प्रभावित थे।
- iv) क) सूरदास के पदों को शास्त्रीय संगीत की धुनों पर गाया जा सकता है।
 - ख) श्री श्याम नंदन ने निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
- v) क) आगम-निगम परंपरा का ज्ञाता पंडित कहलाता है।
 - ख) श्री शर्मा भारतीय खाद्य निगम में काम करते हैं।
- vi) क) चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है।
 - ख) मैंने आज अखबार में सम्मेलन की रिपोर्ट पढ़ी।
- 3) i) सामासिक ii) प्रगति iii) विधेयक iv) नियत v) बहुभाषी
- 4) i) समिति- मामले की जाँच के लिए एक समिति बैठाई गई है।
 - सीमित- कोई योजना बनाते समय अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखना जरूरी है।
 - ii) उपेक्षा- गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी में यातायात के नियमों की उपेक्षा करना उचित नहीं है।
 - अपेक्षा- मुझे आप से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा न थी।

- iii) समृद्ध— अमरीका एक समृद्ध देश है।
संबद्ध— सभी संबद्ध व्यक्तियों को सूचना दे दी गई है।
- iv) प्रभाव— आपके भाषा ज्ञान का प्रभाव आपकी अभिव्यक्ति क्षमता पर अवश्य पड़ता है।
प्रभार— डाक द्वारा पुस्तक मँगाने पर पुस्तक के मूल्य के साथ—साथ डाक प्रभार भी देने होंगे।
- 5) (i) प्रबंध (ii) उपबंध (iii) संबंध (iv) निबंध (v) उपबंधों (vi) संबंध
- 6) (i) मसौदा (ii) संविदा (iii) मसौदा (iv) निविदाएँ (v) आदेश (vi) संदेश
- 7) i) क) स्वीकृति ख) अनुमति ग) सहमति
ii) क) अपेक्षित ख) प्रयोजन ग) शब्द—भंडार
- 8) i) आयोग
ii) निविदा
iii) मंत्रालय
iv) गज़ट
v) संविधान
- 9) i) स्थायी
ii) राज्यपाल
iii) शब्दकोश
iv) दृष्टि
v) अनुग्रह
vi) सृष्टि
vii) शृंगार
viii) स्रोत
ix) भाषाई
x) द्रष्टव्य
xi) कृत्रिम

इकाई 13 वाणिज्य की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द

इकाई की रूपरेखा

- 13.0 उद्देश्य
 - 13.1 प्रस्तावना
 - 13.2 वाणिज्य के क्षेत्र और भाषा के विविध प्रयोग
 - 13.3 भारत में वाणिज्य शिक्षा का विकास
 - 13.4 वाणिज्य का क्षेत्र और हिंदी प्रयोग की संभावनाएँ
 - 13.5 वाणिज्य की हिंदी का व्यापक प्रयोग—क्षेत्र
 - 13.5.1 बैंकों में प्रयुक्त हिंदी
 - 13.5.2 बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी
 - 13.5.3 विपणन में प्रयुक्त हिंदी
 - 13.5.4 विज्ञापन में प्रयुक्त हिंदी
 - 13.5.5 जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी
 - 13.6 सारांश
 - 13.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
 - 13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
-

13.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप के विकास की जानकारी दे सकेंगे;
 - वाणिज्य के क्षेत्र, कार्य और वाणिज्यिक शिक्षा के प्रसार पर प्रकाश डाल सकेंगे;
 - वाणिज्य के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी शब्दावली और भाषा संरचना की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
 - बीमा, विपणन, विज्ञापन तथा जनसंचार के माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी पर प्रकाश डाल सकेंगे।
-

13.1 प्रस्तावना

‘हिंदी भाषा: विविध प्रयोग’ पाठ्यक्रम की यह अंतिम इकाई है। इस इकाई में हम वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के स्वरूप से आपको परिचित कराने जा रहे हैं।

आज का युग वाणिज्य का युग है। वाणिज्य का संबंध वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक से होता है। आज वाणिज्य में हिंदी का प्रयोग व्यापक पैमाने पर शुरू हो गया है। बैंकिंग, बीमा, विपणन, यातायात, विज्ञापन आदि में हिंदी का प्रयोग काफी प्रचलित है। वाणिज्य से संबद्ध प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग स्थिर हो चुका है।

इस इकाई में हमने वाणिज्य के व्यापक क्षेत्र और इसमें हिंदी भाषा के उपयोग की संक्षिप्त जानकारी दी है। तो आइए अब हम इस इकाई का अध्ययन आरंभ करें।

13.2 वाणिज्य के क्षेत्र और भाषा के विविध प्रयोग

वाणिज्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत बेचने और खरीदने के अलावा वे सभी क्षेत्र आते हैं। जिनके द्वारा माल या वस्तु उत्पादन से अपने उपभोक्ता तक पहुँचती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य का संबंध वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक से होता है। यह भी कहा जा सकता है कि वाणिज्य का तात्पर्य केवल लेखा—जोखा रखना या लेन—देन करना नहीं है। इसीलिए हम यह मान सकते हैं कि वाणिज्य व्यवसाय से कहीं अधिक व्यापक है। इसीलिए कुछ लोग यह मानते हैं कि वाणिज्य की भाषा भी केवल एक स्तर पर नहीं देखी जा सकती।

यहाँ हम लोग पहले वाणिज्य के विस्तृत क्षेत्र को जान लें तब इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भाषा और उसके विविध रूपों को आसानी से और अधिक स्पष्ट ढंग से देख पायेंगे। वास्तव में वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार वितरण के समस्त साधन आ जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वाणिज्य के क्षेत्र में वितरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वितरण व्यवस्था के अंतर्गत ही हम बैंकिंग, परिवहन और बीमा आदि को रखते हैं। यदि ये व्यवस्थाएँ न हों तो किसी भी उत्पादित वस्तु का बिक पाना संभव नहीं है और यह तो हम जानते ही हैं कि विक्रय के अभाव में माल का उत्पादन निरर्थक होता है। इस प्रकार वाणिज्य के साधन के रूप में उसके ये वितरण के अंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह भी ध्यान दीजिए कि इन सभी अंगों में भाषा का वैविध्यपूर्ण प्रयोग मिलता है।

वाणिज्य के इन विविध सहायक अंगों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाणिज्यिक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी कह सकते हैं। प्रयुक्ति की संकल्पना से आप परिचित हो चुके हैं। प्रयुक्ति की दृष्टि से वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र की हिंदी को हम वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रयुक्ति भी कह सकते हैं।

13.3 भारत में वाणिज्य शिक्षा का विकास

जैसे—जैसे भारत का औद्योगिक और व्यावसायिक विकास हुआ वैसे—वैसे भारत में वाणिज्य की शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस की गई। यह भी महसूस किया गया कि भारत में वाणिज्यिक शिक्षा का समुचित विकास किया जाए। समुचित विकास से तात्पर्य यह है कि भारत में उत्पादन की, बाजार की, उपभोक्ता की जो आवश्यकताएँ या समस्याएँ हैं उन्हें दृष्टि में रखकर वाणिज्यिक शिक्षा का ढाँचा निर्मित हो सके। कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन, बाजार, बैंकिंग आदि विषय जो इस शिक्षा के अंग हैं उनका समुचित अध्ययन कराते हुए ऐसे लोग तैयार हों जो भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे सकें अर्थात् उनकी दृष्टि भारत की समस्याओं को देखने वाली बन सके। ऐसी स्थिति में कई प्रकार के पाठ्यक्रम वाणिज्य शिक्षा में उपलब्ध कराए गए। माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक इसके पाठ्यक्रम लागू किए गए। धीरे—धीरे व्यवसाय प्रबंध जैसी संस्थाओं ने उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों के साथ डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किए। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी स्तरों पर अनेक स्थानों पर अर्थात् भारत के कई राज्यों में इस शिक्षा का माध्यम हिंदी को भी बनाया गया है। अभी हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हर स्तर पर वाणिज्य की शिक्षा व्यावहारिक बन सके। भारतीय संदर्भ में इस शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के लिए हमने यह निर्धारित कर दिया है कि हमारी वाणिज्यिक शिक्षा की व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए उद्योगों का लाभ तभी सार्थक ढंग से जनसामान्य तक पहुँच सकता है। जब हम ऐसे वाणिज्य स्नातकों को तैयार करें जो यह दृढ़ निश्चय कर के कार्य कर सकें कि वे प्रबंध व्यवस्था को भारतीय परिस्थिति के योग्य

बनाएँगे और यह प्रमाणित करेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य उद्योग व्यापार को अधिक लाभ कमाने की तकनीक बताने तक ही नहीं सीमित होना चाहिए बल्कि यह होना चाहिए कि उससे उद्योग, देश और समाज की जरूरतें पूरी कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा से अधिक से अधिक लोग लाभ लें क्योंकि वाणिज्य का क्षेत्र शहर से गाँव तक विस्तृत है। तो यह जरूरी है कि वाणिज्य शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को स्थान मिले। ऐसा अनेक क्षेत्रों में कई दृष्टियों से हो भी रहा है।

13.4 वाणिज्य का क्षेत्र और हिंदी प्रयोग की संभावनाएँ

वाणिज्य ही नहीं बल्कि व्यवहार के कई ऐसे क्षेत्र आज देखने में आ रहे हैं जहाँ अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की उत्तरोत्तर माँग की जा रही है। ऐसा होने का एक कारण साक्षरता और शिक्षा का प्रचार-प्रसार है। चाहे हम अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की ओर कितना भी आकर्षित क्यों न हों लेकिन यह सच्चाई है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का लाभ महानगरों और कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित है। गाँव व कस्बों की अधिकांश जनता अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त कर रही है। इनमें भी हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अतः ऐसे लोग हिंदी भाषा में ही अपना काम-काज करना चाहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों को व्यापक संदर्भ मिला है। उदाहरण के लिए व्यापार-वाणिज्य क्षेत्र को ही देखें तो कई घटनाएँ इस बात की ओर संकेत दे रही हैं कि इस क्षेत्र को विस्तृत बनाकर जनता तक खींच लाया गया है जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लघु, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, बहुराष्ट्रीय उत्पादनों को बढ़ावा, अंतर्क्षेत्रीय संदर्भों में गत्यात्मकता आदि। यह तो स्वाभाविक ही है कि जब कोई क्षेत्र जनता तक अपना विस्तार करना चाहता है तो उसे जनता की भाषा को अपने काम-काज में अपनाना ही पड़ता है।

वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की माँग बढ़ने या उसके प्रयोग की संभावनाओं का विकास होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विज्ञान के विकास के कारण क्षेत्रीय महत्व के स्थान पर सर्वदेशीय महत्व को प्रतिष्ठा मिल रही है। इसीलिए कलकत्ता, बंबई, मद्रास जैसे महानगर विशाल भारत के लघु-संस्करण बन गए हैं। इसका कारण औद्योगिक विकास है। सुदूर दक्षिण का निवासी उत्तर भारत के कारखाने में सेवारत है। दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राऊरकेला जैसे औद्योगिक केंद्रों का स्वरूप प्रदेश की सीमाओं से मुक्त होकर सर्वभारतीय प्रकृति धारण कर चुका है। यहाँ विभिन्न भाषा-भाषी समुदाय के लोग एक स्थान पर रहते हैं और ये सभी संप्रेषणीयता की माध्यम-भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग कुछ इने-गिने शीर्षस्थ अधिकारियों तक ही सीमित हो गया है। यह स्थिति धीरे-धीरे उन सभी नगरों में बढ़ रही है जो औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हैं, इन्हें ही हम कॉस्मोपालिटन सिटी कहते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में कार्य करने वाले आम कर्मचारियों के बीच हिंदी या क्षेत्रीय बोलियाँ ही प्रचलित रहती हैं। इसलिए व्यापारियों तथा व्यवसायियों के लिए भी हिंदी का प्रयोग सुविधाजनक और आवश्यक बन गया है। भारत का कोई भी व्यापारी आज हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उसके कर्मचारी हिंदी बोलते हैं और उसके ग्राहक हिंदी समझ लेते हैं चाहे वे कोचीन, विशाखापट्टनम के हों, बंगलोर, कोलकाता के हों या गुवाहाटी, एटानगर के।

अन्य सुविधाओं के बढ़ने से भी वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के प्रसार को बढ़ावा मिला है और उसके प्रयोग की संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं अंग्रेजी शासन काल में वाणिज्य शिक्षा का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी भाषा ही थी। तब भारतीय भाषाओं में वाणिज्य संबंधी पुस्तकों का अभाव था और अध्ययन-अध्यापन की सुविधा भी नहीं थी। परंतु

अब ऐसी स्थिति नहीं है। अध्ययन अध्यापन और पुस्तकों की सुविधा के साथ ही टंकण, मुद्रण, डाक-तार सेवा, बैंक सेवा जैसी सुविधाएँ भी हिंदी के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध हैं। सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों से हिंदी में वाणिज्य संबंधी अच्छी से अच्छी पुस्तकें लिखी या अनूदित की जा रही हैं। समस्त व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक शब्दावली के हिंदी रूपों का निर्माण हो चुका है। अतः आज यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में वाणिज्य की शिक्षा के लिए उपयुक्त सामग्री या शिक्षण सुविधाओं का अभाव है। भारत के अधिकांश विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी के माध्यम से वाणिज्य शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर तक दी जा रही है।

जहां तक वाणिज्य—जगत में हिंदी के अल्प-प्रयोग को लेकर चिंता व्यक्त करने का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान अभी भी अपने कारोबार में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका कारण हिंदी के प्रति उदासीनता या अंग्रेजी के प्रति अतिरिक्त मोह नहीं है। इसका कारण हिंदी में प्रशिक्षित कुशल कर्मचारियों का अभाव है। इसके समाधान के लिए वाणिज्य और व्यवसाय प्रबंध की शिक्षा का माध्यम देश भर में हिंदी को बनाकर किया जा रहा है। वर्धा (महाराष्ट्र) में स्थित महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा भोपाल (मध्यप्रदेश) स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय दो ऐसे संस्थान हैं जहाँ लंबे समय से सफलतापूर्वक प्रबंधन की पढ़ाई हिंदी माध्यम में हो रही है। यह तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपने कारोबार में अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले उद्योग भी जब जनता तक पहुँचना चाहते हैं तो वे हिंदी का प्रयोग करते ही हैं। आपने देखा ही होगा कि बड़े से बड़े उत्पादक भी अपने विज्ञापन हिंदी में अवश्य देता है। जहाँ तक सरकारी प्रयत्नों का सवाल है, इस दिशा में कई योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय जैसे वाणिज्य व्यापार से संबद्ध मंत्रालय हिंदी के कार्यान्वयन को निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग वाणिज्य—व्यापार के क्षेत्र को केंद्र में रखकर किए जाने वाले मौलिक लेखन को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित ‘वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग’ अन्य क्षेत्रों की शब्दावली के साथ—साथ वाणिज्यिक शब्दों पर भी अनुसंधान और उनका निर्माण कर रहा है। इस तरह वाणिज्य—व्यापार के क्षेत्र में हिंदी प्रयोग की संभावनाएँ क्रमशः बढ़ी हैं और निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

बोध प्रश्न

- 1) वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी प्रयोग की संभावनाएँ कैसे बढ़ी हैं? (पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए)

- 2) निम्नलिखित कथनों के सामने के कोष्ठक में सही (/) या गलत (×) का निशान लगाइए।
 - क) भारत के कई राज्यों में वाणिज्य शिक्षा का माध्यम हिंदी है। ()
 - ख) वाणिज्य के फैलाव के लिए इस क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग जरूरी है। ()

- ग) शीर्षस्थ अधिकारीगण प्रायः हिंदी का प्रयोग करते हैं। ()
- घ) हिंदी माध्यम में वाणिज्य संबंधी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। ()
- ङ) वस्तुओं को आम जनता तक पहुँचाने के लिए आज वाणिज्य में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। ()
- च) महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्व विद्यालय में हिंदी माध्यम में प्रबंधन की पढ़ाई होती है। ()

वाणिज्य की भाषा तथा
पारिभाषिक शब्द

13.5 वाणिज्य की हिंदी का व्यापक प्रयोग—क्षेत्र

13.5.1 बैंकों में प्रयुक्त हिंदी

राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों के सभी कार्यों का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही थी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकों का क्षेत्र और उद्देश्य सीमित थे। सामान्य जनता के साथ भी बैंकों का संबंध नहीं था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेवाओं में विस्तार हुआ है और अब हिंदी के प्रयोग को बैंकों में स्थान न देना बैंकों की व्यावसायिक प्रगति को रोकना होगा। इसमें भी संदेह नहीं कि राजभाषा के रूप में जिन-जिन प्रयुक्ति क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग प्रारंभ हुआ, उस क्षेत्र की हिंदी (प्रयुक्ति) पर जटिलता, कठिनाई आदि के आरोप भी लगाए जाते रहे। ये आरोप वही लोग लगाते हैं जो अपनी भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं वे लोग जो हिंदी को अक्षम बताकर अपनी हिंदी प्रयोग संबंधी अक्षमता को छुपाना चाहते हैं।

यह तो स्पष्ट है कि बैंक की हिंदी का अपना स्वरूप है। जैसा कि आप पिछली इकाइयों में देख भी चुके होंगे कि प्रत्येक अनुशासन की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है, उसकी अपनी अभिव्यक्तियाँ होती हैं तथा उसकी विशिष्ट वाक्य संरचना होती है। इस प्रकार की भाषा को हम विशिष्ट प्रयोजनों की भाषा (लैंग्वेज फॉर स्पेशल परपजेज) कहते हैं। अतः बैंक की हिंदी साहित्यिक हिंदी से नितांत भिन्न है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि बैंकों में प्रयुक्त हिंदी में प्रशासनिक / कार्यालयीन हिंदी तथा व्यावसायिक हिंदी का मिला-जुला प्रयोग होता है। इसकी वजह यह है कि बैंकों के भीतर की कार्यप्रणाली कार्यालयों की ही भाँति है। बैंक व्यावसायिक लेन-देन से संबद्ध होते हैं इसलिए बैंक की हिंदी में व्यावसायिक भाषा का स्वरूप भी अनिवार्यतः आ जाता है। इतना ही नहीं बैंकों के विस्तार के साथ बैंक जब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इसकी शब्दावली और अभिव्यक्ति में हमें कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कृषि उपकरणों, कुकुठ पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन से संबंधित भाषा-प्रयोग भी दिखाई देने लगे हैं।

इन सभी क्षेत्रों में बैंक की हिंदी ने अपना एक स्वरूप निर्मित किया है। यह भी कहा जा सकता है कि बैंक की हिंदी प्रयुक्ति की एक से अधिक उपप्रयुक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग विभिन्न बैंक आवश्यकतानुसार करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बैंकों की हिंदी शब्दावली संस्कृतनिष्ठ या जटिल नहीं है। अंग्रेजी के कई प्रचलित शब्द इसमें यथावत् स्वीकार कर लिए गए हैं। जैसे: बैंक, वाउचर, ड्राफ्ट, चेक, बिल, रजिस्टर, लेजर, पासबुक, टोकन, शेयर आदि। इसी प्रकार भारत में प्रचलित परंपरागत देशी बैंकिंग व्यवस्था की शब्दावली को भी बैंकों ने अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर पारिभाषिक बनाकर स्वीकार किया है, जैसे, रेहन, गिरवी, कर्ज, लेनदार, देनदार, ब्याज, जमा बंधक, घाटा, बीजक, खाता आदि। अतः यह कहना कि हिंदी में बैंकिंग शब्द नहीं हैं या कठिन हैं, गलत है। बल्कि यदि हम विश्लेषणात्मक ढंग से देखें तो बैंक की शब्दावली, अभिव्यक्तियाँ और

वाक्य रचनाएँ काफी सहज और बोलचाल की भाषा के निकट हैं। बैंकिंग शब्दावली की रचना को हम निम्नलिखित प्रकारों में विश्लेषित कर के देख सकते हैं :

- 1) विदेशी शब्द (अंग्रेजी, अरबी—फारसी के प्रचलित शब्द) — अमानत, नुकसान, खपत, ट्रेड यूनियन, रेंट कंट्रोल, गबन, बेदखली, वसीयत, कंपनी, जालसाजी, कूपन; बजट, किश्त, पेशगी, मुआवजा, पार्सल, रकम, नीलाम, दलाल, बकाया, बैंकर, सौदा, अदायगी, दावा, सिक्का, आदि ।
- 2) संस्कृत और प्रचलित शब्द का साथ—साथ प्रयोग — अग्रिम—पेशगी, राशि—रकम, कारोबार—व्यवसाय, मुआवजा—क्षतिपूर्ति, क्रय करना—खरीदना, क्रेता—खरीदार, प्रतिष्ठा—हैसियत, कर—टैक्स, सांविधिक—कानूनी, क्षति—नुकसान, आवेदन—अर्जी, शेष—बाकी, मूल्य—कीमत, संपत्ति—जायदाद, आदि ।
- 3) संकर शब्द — चुकौती पत्र, दैनिक मिलान, रद्द नोट, नगदी प्रमाण पत्र, वसूली प्रभार, लेखा शीर्ष, बैंक उधार, संशोधित बजट, नीलाम कमीशन, शेयरधारी, आदि ।
- 4) देशी बैंकिंग प्रणाली से गृहीत शब्द — फुटकर, चुँगी, वसूली, बोली (बिड), पट्टा, साहूकार, उधार, चालान, हुँडी, गिरवी, दरें, बट्टा, घाटा, बीजक, बेबाकी पत्र, साख, भुनाना, कटौती, निपटान आदि ।
- 5) निर्मित अभिव्यक्तियाँ — निविदा— (टेंडर), देयता (लाइबिलिटी), शीर्ष (एपेक्स), तदर्थ (एड—हॉक), आदि ।
- 6) अंग्रेजी शब्दों के शब्दानुवाद — वार्षिक लेखा—Annual account, वित्तीय—Financial, मुक्त अर्थव्यवस्था—Free economy, स्वर्ण मान—Gold standard, निर्यातोन्मुखी—Export oriented, कराधान—Taxation, अनविधिकृत—Unauthorised, आदि ।
- 7) संस्कृत शब्द — वाहक, उद्योग, संयुक्त, निधि, संचय, आवंटन, अनुबंध, असंगत, धारक, निकाय, ऋण, विलेख, अवमूल्यन, विगद, उद्यम, प्राक्कलन, अतिदेय, स्वामित्व, संसाधन, आदि ।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंकों की हिंदी शब्दावली पारिभाषिक होने के साथ—साथ सहज है। यह शब्दावली विभिन्न स्रोतों से ली गई है और इसका विकास बैंकिंग हिंदी के जनता में प्रचलन को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इसे सामान्य व्यक्ति को समझने या प्रयोग करने में कोई कठिनाई न हो। बैंक की हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में कई संस्कृत के शब्द लिए गए हैं, पर इससे बैंक की हिंदी कठिन नहीं बन गई है। ऐसे शब्दों के प्रयोग द्वारा एक शब्द से कई शब्द बनाने की सुविधा प्राप्त हुई है। हमें यह समझना चाहिए कि संस्कृत के शब्दों में एक से अनेक शब्द बनाने या निर्मित करने की अपार क्षमता है। अन्य स्रोत के शब्दों में यह शक्ति या तो नहीं या बहुत सीमित है। इसे हम संस्कृत शब्दों की प्रजनक शक्ति कह सकते हैं। इस शक्ति का लाभ हमें हिंदी की प्रत्येक प्रयुक्ति की पारिभाषिक शब्दावली के विकास में मिला है। जबकि अंग्रेजी में इनके लिए भिन्न—भिन्न शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्दों को देखें :

- क) आदेश (आर्डर), अनुदेश (इंस्ट्रक्शन), अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), समादेश (रिट), धनादेश (मनीआर्डर) ।
- ख) कथन (स्टेटमेंट), प्राक्कथन (फोरवर्ड), अभिकथन (एलेगेशन) ।
- ग) कार्य (ड्यूटी / वर्क), कार्यकारी (एक्टिव), कार्यभार (चार्ज), कार्यक्षमता (एफिशिएंसी), कार्यपालक (एक्जीक्यूटिव), कार्यवृत्त (प्रोसीडिंग्स), कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) ।

- घ) क्रिया (एक्शन), प्रक्रिया (प्रोसेस), क्रियाविधि (प्रॉसीजर), क्रियाकलाप (एक्टिविटीज)।
- च) पत्र (लेटर), विपत्र (बिल), प्रपत्र (फार्म), परिपत्र (सर्क्युलर), माँग पत्र (इन्डेंट), प्रतिज्ञा पत्र (प्लेज), अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस), आवेदन—पत्र (एप्लीकेशन)।
- छ) योग (टोटल), अभियोग (प्रासिक्यूशन), विनियोग (इन्वेस्टमेंट), दुरुपयोग (मिस्यूज), योगदान (कॉन्ट्रिब्यूशन)।
- ज) लेख (आर्टिकल), प्रलेख (डॉक्यूमेंट), विलेख (डीड), आलेखन (ड्रापिटंग)।
- झ) शोधन (प्यूरीफिकेशन), परिशोधन (रिवीजन), संशोधन (एमेंडमेंट), प्रशोधन (प्रॉसेसिंग), समाशोधन (विलयरिंग)।

बैंक की हिंदी में प्रशासनिक और व्यावसायिक कामकाज को निपटाने के लिए कुछ अभिव्यक्तियों को प्रयोग किया जाता है। इनमें से अधिकांश अभिव्यक्तियाँ कार्यालय में भी प्रयुक्त होती हैं, कुछ बैंक की अपनी हैं। बैंकों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्मित की है। सभी बैंक इसी सूची का अनुसरण करते हैं और अपने कर्मचारियों के लिए इन्हीं अभिव्यक्तियों के द्विभाषी संस्करण उपलब्ध कराते हैं। यदि इन अभिव्यक्तियों का स्वरूप देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि ये अभिव्यक्तियाँ अंग्रेजी और हिंदी में तीन प्रकार से तुलनीय हैं। पहले स्तर पर अंग्रेजी की एक शब्द की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी में एकाधिक शब्दों की अभिव्यक्ति निर्मित की गई है। दूसरे स्तर पर अंग्रेजी की कई शब्दों में व्यक्त अभिव्यक्ति को हिंदी के एक शब्द द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और तीसरे स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अभिव्यक्तियाँ समान हैं। अर्थात् यहाँ अंग्रेजी अभिव्यक्तियों का हिंदी में शाब्दिक अनुवाद किया गया है। तीसरे प्रकार की अभिव्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। अतः हिंदी अभिव्यक्तियों के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं होती। इन तीनों के कुछ उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। जिससे कि आप बैंक की हिंदी की अभिव्यक्तियों के सरल स्वरूप को देख और समझ सकें :

स्तर : I की अभिव्यक्तियाँ:

Sealed – मोहर लगा दी गई
 Condone— क्षमा करना
 Increment— वेतन वृद्धि
 No bar—कोई प्रतिबंध नहीं

स्तर : II की अभिव्यक्तियाँ:

above mentioned – उपर्युक्त
 by force – जबरदस्ती
 at an early date – शीघ्र
 early as possible – यथाशीघ्र
 incumbent of an office – पदस्थ
 on an average – औसतन
 in due course – यथासमय
 yours faithfully – भवदीय

स्तर : III की अभिव्यक्तियाँ:

Tax deducted at source – स्रोत पर काटा गया कर
 Claim accepted – दावा स्वीकृत

बैंक की वाक्य रचना की अधिकांश संरचनाएँ कार्यालयीन हिंदी की ही भाँति निर्वैयक्तिक और पैसिव होती है। कई अभिव्यक्तियाँ भी वाक्यों की तरह काम करती हैं, परंतु विशिष्ट रूप से केवल बैंकों के कामकाज में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों की संख्या भी कम नहीं है। कुछ वाक्यों को उनके अंग्रेजी पर्याय वाक्यों के साथ देखें :

नकद प्राप्त – Cash received

भगतान किया – Paid

खाता बंद – Account Closed

अधिक देर हो चुकी है, — Too late for
आज जमा नहीं होगी — todays learnings

इस पर विचार किया जाएगा – It will be considered

मामला विचाराधीन है – Matter is under consideration

कार्यालय ध्यान दे और पालन करे – Office to note and comply

प्रश्न उठाया गया है – Question has been raised

प्रश्न नहीं उठता – Question does not arise

अदा करना पड़ेगा = Shall be liable to pay

and amma's name still stays. You would like to buy it when you are ready.

हिंदी पाठ्योग्य और हिन्दिभाषीक्रान्ति

बैंकों में हिंदी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से धीरे-धीरे होने लगा है। 'क' क्षेत्र में तो ऐसा होता ही है 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन देकर और कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करके हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। दविभाषीकरण की स्थिति में तो हिंदी का अनिवार्यतः और पहले स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। सभी प्रकार के फार्म, पत्र-शीर्ष, चेक, डाफ्ट, वाउचर, खाता, बहियाँ, पास बक आदि सभी हिंदी और अंग्रेजी में रहते हैं।

साइन बोर्ड और काउंटर बोर्ड पर द्विभाषिक प्रयोग में हिंदी की वरीयता को आप किसी भी बैंक में जाकर देरेख सकते हैं। यहाँ कछु नमने आपकी जानकारी के लिए दिए जा रहे हैं :

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 1) | साइन बोर्ड : | देना बैंक
Dena Bank
गोरखपुर शाखा
Gorakhpur Branch |
| 2) | काउंटर बोर्ड : | चालू खाता
Current Account |
| | शाखा प्रबंधक
Branch Manager | लेखाकार
Accountant |
| | बचत खाता
Savings Bank
Account | विदेशी मुद्रा विभाग
Foreign Exchange
Department |
| | नकदी प्रमाण पत्र
Cash Certificates | माँग ड्राफ्ट
Demand Draft |

भुनाए गए बिल
Discounted Bill

वाणिज्य की भाषा तथा
पारिभाषिक शब्द

3) रबर की मुहरें :

स्वीकृत Sanctioned
कृते इंडियन बैंक
For Indian Bank

राजभवन रोड शाखा
Rajbhavan Road
Branch

अदायगी प्राप्त
Recieved Payment

शाखा प्रबंधक
Branch Manager

हस्ताक्षर सत्यापित
Signature Attested

नकद भुगतान करें
Pay cash

बोध प्रश्न

3) बैंकिंग शब्दावली की रचना के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) निम्नलिखित के हिंदी पर्याय लिखिए।

- क) Branch Manager
- ख) Cash received
- ग) Paid
- घ) Accountant
- ङ) Savings Bank Account
- च) Demand Draft
- छ) Sealed
- ज) Order
- झ) Current Account
- ञ) Yours Faithfully

13.5.2 बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी

वाणिज्य के क्षेत्र में बीमा का महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। व्यापार में होने वाले आर्थिक संकटों, जोखिमों तथा हानियों से बचने के लिए एकमात्र साधन बीमा है। उपरोक्त संकटों से बचने के लिए अति-अल्प राशि द्वारा बीमा किश्त देकर व्यापारी निश्चित हो जाता है। इस बीमा किश्त द्वारा आर्थिक हानियों का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी लेती है। बीमा जोखिमों से बचने का एकमात्र और महत्वपूर्ण साधन है। जोखिम या दुर्घटना से तात्पर्य 'हानि की संभावना' से है। दुर्घटना हमेशा अनिश्चित होती है जिसकी क्षतिपूर्ति करना ही बीमा का मूल कार्य है। बीमा प्रणाली के अंतर्गत बीमाकर्ता, बीमा शुल्क या किश्त तथा बीमा पत्र, मुख्य घटक हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ-साथ आज राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं क्रियान्वयन के सांविधिक प्रावधानों का पालन इनमें किया जाता है। दूसरे बीमा कंपनियाँ केवल बड़े व्यापारियों से ही नहीं, आम जनता से भी अपना संपर्क बना चुकी हैं इसलिए हिंदी का प्रयोग इनके कार्य में लाभप्रद सिद्ध होता है। ग्राहकों को पत्रादि हिंदी में लिखना, सामान्य प्रपत्रों का हिंदी में प्रकाशन, विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग तथा आंतरिक प्रशासनिक क्रियाकलापों में हिंदी का क्रियान्वयन इन बीमा कंपनियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। बीमा प्रणाली से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का विकास हिंदी में हो चुका है। इस क्षेत्र में प्रयुक्त कुछ शब्दों को उनके अंग्रेजी पर्यायों के साथ देखें तो यह तथ्य प्रमाणित हो जाएगा:

तकनीकी शब्दावली

जोखिम—Risk, क्षति—Loss, क्षतिपूर्ति—Indemnity, बीमा—Insurance, बीमा—पत्र—Policy, बीमा—किश्त—Premium, 'बीमाधारी—Policy holder, उत्तरदायित्व—Responsibility, जीवन—बीमा—स्पष्टि insurance, अग्नि बीमा—Insurance against fire, सामुद्रिक बीमा—Marine insurance, संपत्ति—Asset, चल संपत्ति—Movable assets, अचल संपत्ति—Immovable assets, माल—Goods, गोदाम—Godown, प्रमाण पत्र—Certificate, रोकड़ हानि—Loss of cash, जाँच पड़ताल—Inquiry, बीमाकृत—Insured, दर—Rate, ब्याज—Interest, आदि।

आजकल डाक और रेल—सेवा के कई कार्यों में बीमा प्रणाली अपनाई जा रही है। इनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बीमाकृत पत्र द्वारा रूपये भेजना, बीमाकृत पत्र पार्सल भेजना, बीमाकृत माल रेल से भेजना अब अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है। इनके लिए बीमा की फीस साधारण डाक व्यय या रजिस्ट्री की फीस और रेल भाड़े के अतिरिक्त देनी पड़ती है। ऐसे लिफाफों के ऊपर बीमा राशि अंकों और शब्दों में लिख दी जाती है — '600/- (छह सौ रुपये) के लिए बीमा' बीमा की फीस की प्रति सौ रुपये के हिसाब से निश्चित दर है।

13.5.3 विपणन में प्रयुक्त हिंदी

वाणिज्यिक गतिविधियों में विपणन (marketing) का सर्वाधिक महत्व है। व्यवसाय का संबंध उत्पादन से होता है। उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता (consumer) तक पहुँचाना ही व्यापार की सफलता है। इसके लिए वाणिज्य के क्षेत्र में जो अंतिम चरण हमारे सामने आता है वह वितरण (distribution) का है। वितरण के माध्यम से ही वस्तु/माल निर्माता या उत्पादक से उपभोक्ता के पास पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार पहुँचाई जाती है। इस प्रक्रिया को ही विपणन की शृंखला (marketing channel) कहा जाता है। विपणन के माध्यमों के उपयोग के पूर्व वस्तु के संभावित क्रेता की कुल माँग का अध्ययन किया जाता है। आप जानते ही

हैं कि माँग व्यापार का मूल है। इस माँग और विपणन को नियंत्रित करने वाले तत्व ये हैं – उत्पादन (production)– पैकेजिंग (packaging), विज्ञापन (advertisement), मूल्य, (price), ब्रैंड (brand), यातायात (transportation) आदि।

इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग के आगमन के बाद से विपणन की शृंखला के स्वरूप में व्यापक बदलाव आया है। परंपरागत विपणन के वितरण माध्य अब बदल गए हैं। ई० ट्रेनिंग हेतु बने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर उपभोक्ता अब सीधे उत्पादक से वस्तु खरीद सकता है। विपणन के क्षेत्र में आए इस बड़े बदलाव ने दलाल और बिचौलियों की भूमिका को नगण्य कर दिया है। सरकारी संस्थानों की खरीद के लिए सरकार ने GEM (Government E-Marketing) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है और संरकारी संस्थानों हेतु वस्तुओं की खरीद को GEM के माध्यम से करना अनिवार्य बना दिया है।

वाणिज्यिक विस्तार में उपभोक्ता ही केंद्र में रहता है। उपभोक्ता तक वस्तुओं के गुण, मूल्य आदि जानकारी पहुँचाने में जनसंचार के माध्यमों का उपयोग अब बहुत तेजी से होने लगा है। वाणिज्यिक गतिविधि में अब यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है कि 'बिक्री कैसे बढ़ाएँ' इनमें विज्ञापन सर्वाधिक सहयोगी हैं। विज्ञापन के महत्व और प्रभाव से तो आप परिचित ही हैं। पत्रकारिता, रेडियो, दूरदर्शन सभी माध्यमों से विज्ञापन प्रसारित होते हैं। छपाई के प्रसार ने भी विज्ञापन को विस्तार दिया है। पोस्टर, पैपलेट, पत्र-पत्रिकाएँ छपाई के विस्तार का ही परिणाम हैं। भारत में भी देखते-देखते व्यावसायिक विज्ञापन विश्व स्तर पर पहुँच गए हैं। व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिदिव्यविता ने विज्ञापनों की भाषा और उनके प्रस्तुतिकरण में भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर डाला है। विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग सभी माध्यमों में निरंतर हो रहा है। चाहे वे श्रव्य माध्यम हों (रेडियो), चाहे दृश्य '(पत्र-पत्रिकाएँ)' या चाहे दृश्य-श्रव्य (टी.वी., फ़िल्म) अथवा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम हर जगह हमें हिंदी विज्ञापन दिखाई सुनाई पड़ते हैं। विज्ञापनों के चार गुण निर्धारित किए गए हैं – आकर्षक तत्व (attention value), श्रव्यता एवं सुपाद्यता (readability and listenability), स्मरणीयता (memorability) तथा विक्रय की शक्ति (selling power)। इन चारों गुणों की दृष्टि से हिंदी विज्ञापनों की भाषा सर्वथा संपन्न एवं सफल है।

13.5.4 विज्ञापन में प्रमुख हिंदी

हिंदी विज्ञापनों का उपयोग वाणिज्य से संबंधित मुख्य तीन क्षेत्रों में आज पूरी तरह विकसित हो चुका है। ये तीन क्षेत्र हैं – उत्पादित वस्तु के वाणिज्यिक प्रसार के क्षेत्र के लिए बैंक, बीमा जैसी सेवाओं के विकास के लिए तथा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक विश्वसनीय संबंध निर्मित करने के लिए। आपने देखा होगा कि इन सभी क्षेत्रों में हिंदी विज्ञापनों को रंगों, शीर्षक, नारों आदि के माध्यम से और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। यह भी ध्यान दें कि विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी का अब एक अपना ही स्वरूप विकसित हो चुका है। पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो और टी. वी. विज्ञापनों में सहज और आकर्षक हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी को हिंदी की एक विशिष्ट प्रयुक्ति मान कर उसके अध्ययन विश्लेषण की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया है। यह देखा गया है कि ध्यानाकर्षण आदि गुणों को प्राप्त करने के लिए हिंदी विज्ञापन कई प्रकार की वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से हिंदी विज्ञापन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। हिंदी विज्ञापनों के कुछ उदाहरण देखिए तो आपको यह बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तथा जब आप हिंदी विज्ञापनों को पढ़ेंगे या देखेंगे तो विज्ञापन की हिंदी के स्वरूप की ओर आप वैज्ञानिक और भाषायी दृष्टि से देख सकेंगे:

- i) सामान्य रूप से 'और' का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में किया जाता है। हिंदी विज्ञापनों में हमें 'और' का प्राथमिक प्रयोग भी मिलता है। इस प्रकार का प्रयोग वस्तु के गुण

और उसकी लोकप्रियता को बताने के साथ—साथ अतिरिक्त (additional) प्रभाव भी पैदा करता है। जैसे:

‘और नैसकैफे अब नए पैक में’

‘और इनके निर्माता हैं डिपी’।

- ii) ‘और’ की भाँति ही ‘क्योंकि’ और ‘सिर्फ़’ का भी प्रारंभ में प्रयोग हिंदी विज्ञापनों को प्रभावी बनाता है जैसे:

‘क्योंकि इसमें अधिक सफेदी की ताकत है’

- iii) विज्ञापनों में शीर्ष पंक्तियाँ पाठक, दर्शक और श्रोता पर सबके अधिक प्रभाव डालती हैं। ये शीर्ष पंक्तियाँ ध्यानाकर्षण का भी प्रमुख कार्य करती हैं। विज्ञापनों में प्रयुक्त इस प्रकार की शीर्ष पंक्तियों को संक्षिप्त वाक्य (minor sentences) की संज्ञा दी गई है। आपने भी हिंदी विज्ञापनों की ऐसी कई शीर्ष पंक्तियाँ देखी होंगी जिन्होंने बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर खींच लिया होगा

‘जुबाँ पर रखे लगाम’ (च्चिंगम)

‘दाग अच्छे हैं’ (डिटर्जेंट)

‘नया पियर्स चेहरा, देखो तो दिन बन जाए’

- iv) हिंदी विज्ञापनों में ‘लीजिए’ ‘मँगिए’ ‘दीजिए’ जैसी अनुरोधात्मक क्रियाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादनकर्ता अपने ग्राहक से अपनी वस्तु खरीदने का अनुग्रह करता है। इस प्रकार के प्रयोग स्मरण रखने में भी आसान होते हैं:

‘सेरिडोन लीजिए’।

‘आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए’।

‘ले आइए उषा फैन’।

‘हमेशा टैंगे ही मँगिए’।

- v) ग्राहक को सुझाव देने के लिए हिंदी विज्ञापनों में अनेक प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ये सुझाव वस्तु, गुण और उपयोगिता के आधार पर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करते हैं :

‘लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मात दे’।

‘आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएँगे नहीं’।

‘बढ़ते बच्चों के लिए कॅम्प्लान’।

‘आर बी एल बैंक, अपनों का बैंक’।

- vi) काव्यमय भाषा द्वारा भी हिंदी विज्ञापनों को रोचक बनाया जाता है। इसमें एक ओर शब्द की पुनरावृत्ति या तुकांत द्वारा प्रभाव को बढ़ाया जाता है तो दूसरी ओर काव्यमय पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है

‘टिंग से लेकर टोंग और डिंग से लेकर डोंग’

‘दर्द का अंत, तुरंत!’

‘दिल को हल्का कर लेना, दिल के लिए अच्छा होता है’।

‘लाइफबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती हैं वहाँ’

- vii) विज्ञापनों में विस्मयादिबोधक रूपों द्वारा शीर्ष पंक्तियाँ निर्मित की जाती हैं :

‘वाह! ताज’

‘नया! टाइड प्लस’

‘नया! क्रोसिन’

viii) कई हिंदी विज्ञापनों को संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों के सटीक प्रयोग द्वारा अधिक रोचक, प्रभावशाली और संप्रेषणीय बनाया जाता है :

वारंटीवाला वाटरप्रूफ, स्मार्ट केयर सोल्यूशन फ्रॉम एशियन पेंट्स, जुबान दे दो'।
'इट्स गुड टू बी टफ'
'खास खुशबू गाली टाटा टी गोल्ड'।

वाक्य संरचना के अन्य अनेक धरातल और हैं जो विज्ञापन की हिंदी को एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। ऊपर के कुछ उदाहरणों द्वारा आपको इसकी प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। वाक्यों के अतिरिक्त शब्द स्तर पर भी विज्ञापन की हिंदी का विशिष्ट स्वरूप आप देख सकते हैं। विज्ञापनों में संस्कृत, उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए :

Unique – असाधारण, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, अनूठा, बेजोड़, बेमिसाल, लाज़वाब

Charming – सुहाना, लुभावना, आकर्षक

Attractive – मनमोहक, मनोरम, मनोहारी

Pleasant – खुशनुमा, सुखद, आनंददायक, मजेदार

Soft – कोमल, मुलायम, मखमली

Tasty – मजेदार, स्वादिष्ट, जायकेदार, लज्जतदार

Fresh – उमंगभरा, ताजगीदायक, ताज़ा

इस प्रकार विभिन्न स्रोतों के शब्द भी विज्ञापन की हिंदी में देखे जा सकते हैं :

आराम—comfort, राहत—relief, छुटकारा, मुक्ति—freedom, असर—effect, शक्ति, बल, ताकत—strength, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य—health, कुरकुरापन—crisp आदि।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाणिज्य के क्षेत्र में विज्ञापनों के माध्यम से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इन विज्ञापनों में हिंदी के शैलीगत वैविध्य का सौंदर्य उभरा है और हिंदी की संप्रेषणक्षमता उसकी प्रवाहमय प्रकृति के साथ उद्घाटित हुई है। भारतीय संदर्भ में वाणिज्यिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में हिंदी भाषा विज्ञापनों के द्वारा बहुस्तरीय सहयोग दे रही है।

13.5.5 जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी

जनसंचार के माध्यमों में पत्र—पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रयोग वाणिज्य के एक अन्य क्षेत्र में भी पूरी तरह विकसित हुआ है। इस क्षेत्र को बाज़ार समाचार (market report) कहा जाता है। व्यवसाय जगत की गतिविधियों की रपट देने के लिए बाज़ार समाचार प्रकाशित होते हैं। अधिकांश पत्र—पत्रिकाएँ नियमित रूप से बाज़ार संबंधी सूचनाएँ देती हैं। हिंदी पत्रकारिता ने भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान देना प्रारंभ कर दिया है। बाज़ार समाचार की हिंदी का अपना ही स्वरूप निर्मित हो चुका है बाज़ार समाचार की हिंदी में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों का संबंध बाज़ार की स्थिति, मूल्यों की स्थिति, बाज़ार की प्रवृत्ति, बाज़ार के भविष्य आदि से रहता है। अतः ये प्रयोग बड़े ही विशेषीकृत होते हैं। अतः इनका अर्थ समझने के लिए बाज़ार की गतिविधियों की जानकारी भी आवश्यक है। इसीलिए यह कहा गया है कि बाज़ार समाचार की भाषा शैली तकनीकी होती है और बाज़ार समाचार लेखन एक कला है। हिंदी भाषा ने अपना यह तकनीकी स्वरूप पूरी तरह प्राप्त कर लिया है और वाणिज्य की समस्त गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए उसने अभिव्यक्तियाँ व शब्दावली गढ़कर स्थिर कर ली हैं:

तकनीकी शब्दावली

वस्तु बाजार—commodity market, स्कंध बाजार—stock market, मुद्रा बाजार—money market, मूल्यवृद्धि—price hike, सौदा—transaction, भुगतान—payment, पैंजी—capital, माँग—demand, आपूर्ति—supply, अवधि—period, आमद—arrival, बाजार मूल्य—market price, कुल, व्यापार—turnover, मूल्य—hard price, मंदा मूल्य—soft price

अभिव्यक्तियाँ

सबल बाजार, मजबूत बाजार

- जब वस्तु की बाजार से माँग अधिक हो और पूर्ति कम।

शांत बाजार, सरल बाजार

- जब बाजार में पूर्ति अधिक हो और माँग कम तथा वस्तु कम मूल्य पर बिकने लगे।

खुशहाल बाजार, विश्वसनीय बाजार

- बाजार की स्थिति जब अच्छी हो। जब माँग के अनुसार पूर्ति होती रहे और वस्तु बिकती रहे।

तेज बाजार, ऊँचा बाजार

- जब बाजार की प्रवृत्ति मूल्य वृद्धि की ओर हो।

मृत बाजार, मंदा बाजार

- जब बाजार की प्रवृत्ति मूल्य हास की ओर हो।

बाजार में खामोशी रहना

- जब कम सौदे हों।

बाजार गिरना

- मूल्यों में कमी

आपने देखा कि बाजार की स्थिति बताने के लिए हिंदी भाषा में लिखित बाजार समाचार में जिन शब्दों—अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ विशिष्ट होता है। मूल्य वृद्धि और मूल्य हास के लिए, आपने दैनिक अखबारों में हिंदी की कई अभिव्यक्तियाँ पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ीं तो किसी दिन के दैनिक—पत्र में पढ़िए, आपको इस प्रकार के प्रयोग मिल जाएंगे:

मूल्य वृद्धि : चाँदी उछली दाल तेज,

मूल्य हास : सोना लुढ़का, चावल नरम,

वाणिज्य के क्षेत्र में बाजार समाचार की उपयोगिता असंदिग्ध है। व्यापारी, अर्थशास्त्री, व्यापार—वाणिज्य के छात्र के लिए इन समाचारों का अपना महत्व है। इस दिशा में हिंदी भाषा ने अपना स्वरूप विकसित करके प्रमाणित किया है कि विशिष्टतम् सूचनाओं को प्रदान कर पाने की क्षमता भी उसके भीतर है।

बोध प्रश्न

5) विपणन का क्या अर्थ है? (दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए।)

.....
.....
.....
6) विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डालिए। (पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।)

अभ्यास

- 1) नमूने के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों की व्याख्या एक पंक्ति में कीजिए।

नमूना : आयात : विदेश से वस्तु मँगाना,

- 1) निर्यात –
- 2) कच्चामाल –
- 3) कुटीर उदयोग –
- 4) विपणन –

- 2) Godown— गोदाम, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए :

Treasury, Comedy, Tragedy, Interim

.....
.....

- 3) एक शब्द से तीन शब्द बनाइए :

- 1) बीमा :
- 2) खाता :
- 3) उत्पादन :
- 4) बाज़ार :
- 5) निर्यात :

- 4) नीचे दिए अंग्रेजी शब्दों के लिए दो—दो हिंदी शब्द लिखिए :

- 1) Charming:
- 2) Durable :
- 3) Soft :
- 4) Tasteful:
- 5) Strong :

- 5) लिखित शब्दों की सहायता से सार्थक वाक्य बनाइए।

- 1) प्रतिस्पर्धा :
- 2) विक्रय की शक्ति :
- 3) उपभोक्ता :
- 4) मँग :
- 5) क्षतिपूर्ति :

13.6 सारांश

आपने इस पाठ के माध्यम से यह देखा कि वाणिज्य से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र एवं उपक्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग स्थिर हो चुका है। किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में उस राष्ट्र की भाषा ही पूर्ण सहायक हो सकती है, इस तथ्य को आज सभी

वाचन और विविध विषय

स्वीकार करते हैं। वाणिज्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। इसकी कई शाखाएँ उपशाखाएँ हैं। वाणिज्य की हिंदी ने परंपरागत व्यापार केंद्रित भाषा से, अर्थशास्त्र की पारिभाषिक और संकल्पनात्मक शब्दावली से, लोक बोलियों से, अरबी-फारसी से शब्द आदि लेकर वाणिज्य की भाषा के रूप में अपने को स्थापित किया है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद अब आप:

- वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप के विकास की जानकारी दे सकते हैं;
- वाणिज्य के क्षेत्र, कार्य और वाणिज्यिक शिक्षा के प्रसार पर प्रकाश डाल सकते हैं;
- वाणिज्य के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी शब्दावली और भाषा संरचना की सामान्य जानकारी दे सकते हैं; और
- बीमा, विपणन, विज्ञापन तथा जनसंचार के माध्यम में प्रयुक्त हिंदी पर प्रकाश डाल सकते हैं।

13.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- हिंदी भाषा चिंतन, प्र०० दिलीप सिंह, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2009
- हिंदी शब्द कोश
- अंग्रेजी शब्द कोश

13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

- देखिए 13.4
- क) √ ख) √ ग) ×
घ) × घ) √ च) √
- देखिए 13.5.1
- देखिए 13.5.1
- देखिए 13.5.3
- देखिए 13.5.4.....

अभ्यास

अभ्यासों का उत्तर देने के लिए आप हिंदी और अंग्रेजी कोश की सहायता ले सकते हैं।

